छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

षष्ठम् विधान सभा **षष्ठम् सत्र**

मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई, 2025
(आषाढ़ 24, शक सम्वत् 1947)

[अंक 02]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 15 जुलाई, 2025

(आषाढ़ 24, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वान्ह 11.00 बजे समवेत् हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुये}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सी.एस.आर. मद से प्राप्त एवं व्यय राशि

[वाणिज्य एवं उद्योग]

1. (*क्र. 397) श्री किरण देव : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2022 से 20-06-2025 तक बस्तर संभाग में संचालित किन-किन उद्योगों से कितनी-कितनी राशि सी.एस.आर. मद में प्राप्त हुई ? सी.एस.आर. मद में राशि प्रदान करने हेतु उद्योगों के लिए क्या-क्या नियम निर्धारित हैं? जानकारी वर्षवार, उद्योगवार उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' की प्राप्त राशि में से जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य, कहां-कहां स्वीकृत किये गये ? स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण एवं कितने अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्यों की अद्यतन स्थिति सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ? यदि कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है तो कारण बतावें? **(ग)** सी.एस.आर. मद में प्राप्त राशि का व्यय किसकी अनुशंसा पर किन-किन कार्यों में किये जाने का नियम निर्धारित है ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) कार्यालय कलेक्टर सुकमा, कांकेर, दन्तेवाड़ा, नारायणपुर, कोण्डागांव, बीजापुर एवं कार्यालय जिला पंचायत बस्तर से प्राप्त जानकारी अनुसार, वर्ष 2022 से 20.06.2025 तक बस्तर संभाग में संचालित विभिन्न उद्योगों से कुल राशि रू. 10471.10 लाख रु. (दस हजार चार सौ इक्हत्तर दशमलव एक शून्य लाख रूपये) सीएसआर मद में प्राप्त हुई। वर्षवार, उद्योगवार **विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। सी.एस.आर. मद में उद्योगों द्वारा राशि देने हेतु तथा प्राप्त राशि को व्यय करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 के अंतर्गत नियम/मापदण्ड

निर्धारित है। निर्धारित नियम/मापदण्ड के अनुसार प्रत्येक कंपनी जिसकी गत वित्तीय वर्ष में नेटवर्थ रूपये 500 करोड़ अथवा अधिक या गत वित्तीय वर्ष में विक्रय रूपये 1000 करोड़ या अधिक या गत वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ रूपये 5 करोड़ अथवा अधिक हो, के द्वारा गत तीन वित्तीय वर्ष के औसत लाभ का न्यूनतम 2 प्रतिशत राशि का व्यय किये जाने का मापदण्ड निर्धारित है। **(ख)** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नांश क की प्राप्त राशि में से जगदलपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत राशि रु. 1046.62 लाख रु. (एक हजार छियालीस दशमलव छह दो लाख रूपये) के 89 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत कार्यों में से 65 कार्य पूर्ण हैं एवं 24 कार्य अपूर्ण हैं। कार्यों की पूर्णता-अपूर्णता की अद्यतन स्थिति सहित वर्षवार **विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब** अनुसार है। सी.एस.आर. अन्तर्गत पर्याप्त बजट नहीं होने के कारण कार्य स्वीकृत नहीं किया गया। **(ग)** सी.एस.आर. मद में प्राप्त राशि का व्यय भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 के अंतर्गत निर्धारित नियम/मापदण्ड अनुसार कंपनी द्वारा स्वयं अथवा स्व-निर्धारित एजेंसी के माध्यम से अधिनियम में वर्णित कार्यों पर व्यय की जा सकती है।

श्री किरण देव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से आदरणीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी से प्रश्न है कि वर्ष 2022 से वर्ष 2025 तक बस्तर संभाग में और विशेषकर बस्तर जिले में संचालित किन-किन उद्योगों से कितनी-कितनी राशि सी.एस.आर. मद में प्राप्त हुई है? सी.एस.आर. मद में राशि प्रदान करने हेतु उद्योगों के लिए क्या-क्या नियम निर्धारित किये गये हैं?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर संभाग में वर्ष 2022 से वर्ष 2023 तक अलग-अलग जिलावार मैं आपको जानकारी दे देता हूं। कांकेर जिला में वर्ष 2022 में उद्योगों से 754 लाख रूपये प्राप्त हुए। वर्ष 2023 में 6 उद्योगों से 857 लाख रूपये प्राप्त हुए। वर्ष 2024-2025 में 6 उद्योगों से 547.23 लाख रूपये प्राप्त हुए। वर्ष 2025-2026 में 20 जून, 2025 तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। कोण्डागांव जिला में वर्ष 2022 से 2023 तक 1 उद्योग से 1 करोड़ 41 लाख 85 हजार रूपये प्राप्त हुए। वर्ष 2023 में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2024-2025 में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2025-2026 में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। दंतेवाड़ा जिला में वर्ष 2022 से वर्ष 2023 तक 2 उद्योगों से 28 करोड़ 13 लाख रूपये प्राप्त हुए। वर्ष 2023-2024 में 2 उद्योगों से 1 करोड़ रूपये प्राप्त हुआ। वर्ष 2024-2025 में 10 करोड़ 48 लाख 41 हजार रूपये प्राप्त हुए। वर्ष 2025-2026 में 20 जून, 2025 तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। बीजापुर जिला में वर्ष 2022-2023 में 1 उद्योग से 2 करोड़ 41 लाख 62 हजार रूपये प्राप्त हुए। वर्ष 2023-2024 में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2024-2025 में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2025 में 20 जून तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। नारायणपुर जिला में 3 उद्योगों से 745.23 लाख रूपये प्राप्त हुए। वर्ष 2023-2024 में 3 उद्योगों से 39 लाख रूपये प्राप्त हुए। वर्ष 2024-2025 में 3 उद्योगों से 107.10 लाख रूपये प्राप्त हुए। वर्ष 2025-

2026 में 3 उद्योगों से 3 करोड़ 30 लाख रूपये प्राप्त हुए। बस्तर जिला में वर्ष 2022-2023 में 4 उद्योगों से 12.5387 लाख रूपये प्राप्त हुए। वर्ष 2023-2024 में 4 उद्योगों से 5.571 लाख रूपये प्राप्त हुए। वर्ष 2024-2025 में 4 उद्योगों से 2.2 करोड़ 94 लाख 43 हजार रूपये प्राप्त हुए। वर्ष 2025-2026 में 4 उद्योगों से 69 लाख 64 हजार रूपये प्राप्त हुए। सुकमा जिला में वर्ष 2022-2023 में 2 उद्योगों से 6 करोड़ 82 लाख 22 हजार रूपये प्राप्त हुए। वर्ष 2023-2024 में 2 उद्योगों से 1 करोड़ 34 लाख 31 हजार रूपये प्राप्त हुए। वर्ष 2025 में 2 उद्योगों से 1 करोड़ 18 लाख रूपये प्राप्त हुए।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह जो जानकारी पढ़ रहे हैं, वह परिशिष्ट में पहले से दी हुई है या अभी आई है ? यह इतना बहुमूल्य समय है। यदि मंत्री जी आधा घंटा सिर्फ परिशिष्ट पढ़ने में लगा देंगे तो कैसे चलेगा ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि अलग-अलग बता दें तो मैं अलग-अलग बता रहा हूं।

डॉ. चरण दास महंत :- अध्यक्ष महोदय, कागज आया है तो आपको, उनको दे देना चाहिए था। माननीय सदस्य, आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर कागज आया है तो ख्याल करके पहले बता देते।

अध्यक्ष महोदय :- थोड़ा डिटेल प्रश्न है। काफी डिटेल प्रश्न है तो जानकारी दे रहे हैं। आप थोड़ा संक्षिप्त कर लें।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 जून तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। आपने सी.एस.आर. मद का गाईड लाईन पूछा है तो मैं उसका गाईड लाईन बताना चाहूंगा।

श्री किरण देव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारा विवरण आपके जवाब में आया हुआ है। आपने अपने उत्तर में बताया है कि स्लरी पाईप लाईन परियोजना में 10 करोड़ 97 लाख 73 हजार है। किरंदुल आयरन एवं माईन्स से 3 करोड़ 22 लाख 42 हजार रूपया प्राप्त हुआ है। नगरनार इस्पात संयंत्र से 7 करोड़ 44 लाख रूपये, इस तरह 21 करोड़ रूपये प्राप्त होने की जानकारी दी है। सी.एस.आर. मद में राशि देने की बात कही है। यह संभाग के विभिन्न जिलों से प्राप्त राशि है। जहां तक बस्तर और जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र की स्पेसीफिक बात करूं तो चूंकि नगरनार स्टील प्लाण्ट एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लाण्ट है। जगदलपुर में 10 करोड़ 46 लाख रूपये के कार्य स्लरी पाईप लाईन किरंदुल परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सी.एस.आर. मद में प्राप्त राशि 21 करोड़ में से 7 करोड़ 44 लाख रूपये की राशि अब तक किस मद में खर्च की गई है ? यदि खर्च नहीं किया गया है तो क्यों खर्च नहीं किया गया ? अगर राशि खर्च किया

गया है तो कहां-कहां खर्च किया गया है, यह बताने का कष्ट करेंगे। किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है ?

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जी बोल रहे थे, उनको पूरी सूची उपलब्ध कराई गई है। अगर मैं पढ़ूंगा तो आपकी अनुमति से अलग-अलग पढ़कर बता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- किस-किस मद में खर्च हुआ है, डिटेल जानकारी माननीय विधायक जी को दे दें। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। वैसे उत्तर में पूरा जानकारी गया है।,अलग-अलग विस्तार से जानकारी गया है।

श्री रामकुमार यादव :- जेला बताना चाही ओला बतात नइ हस। जेला नइ बताना चाही तेला बतात हस।

डॉ. चरण दास महंत :- माननीय मंत्री जी, आप बैठ जाईये। अगर आपका कोई प्रश्न बचा नहीं होगा तो मैं प्रश्न पूछंगा। पहले आप पूछ लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय :- पहले प्रश्नकर्ता का प्रश्न हो जाये।

श्री किरण देव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास डिटेल्स है। समय-समय पर जिला प्रशासन, कलेक्टर के माध्यम से बारंबार कहा गया, पिछले दो वर्षों से, वर्ष 2023-24 और 2024-25 में किसी भी प्रकार राशि कार्यों के लिए स्वीकृत नहीं की गई है। जब प्रश्न लगता है तो इस प्रकार की जानकारी एकत्र करने के लिए या स्पेसीफिक रूप से कार्य की संपूर्णता कितनी हुई है, इसकी जानकारी लेकर यहां पर भेजा जाता है। मेरे पास इसका सारा रिकार्ड है, सारी जानकारियां हैं। पिछले 2 वर्षों में किसी भी प्रकार की कोई राशि जारी नहीं हुई है। मेरे द्वारा विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया है, लेकिन उसमें किसी भी कार्य को स्वीकृत नहीं किया गया है। इसलिए इसमें माननीय मंत्री जी से मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पूर्व में एन.एम.डी.सी. द्वारा सी.एस.आर. मद में 5 प्रतिशत राशि बस्तर जिला के अन्तर्गत प्रदान किया जाता था, अब उसे घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है। अगर यह सही है तो माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि राशि घटाने के पीछे क्या कारण है?

अध्यक्ष महोदय :- राशि घटा दिया गया है क्या ? यह पूछ रहे हैं।

श्री लखन लाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय सदस्य जी ने कहा कि मेरे अनुमोदन से कोई कार्य नहीं हुआ है। तो मैं बताना चाहूंगा कि उनके प्रस्ताव से 1 करोड़ 05 लाख रूपये का बैडमिंटन कोर्ट वुडन फ्लोरिंग का एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। अभी 17 प्रस्ताव बजट के अभाव में लंबित है। जैसा उनके पास बजट होगा, भारत सरकार के गाईड लाईन के अनुसार सी.एस.आर. मद का

पैसा होता है, उसमें उनके कार्यों को स्वीकृत करेंगे। माननीय सदस्य, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनका ज्यादा कार्य स्वीकृत हो, इसके लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- बाकी का नहीं होगा क्या ? प्रदेश अध्यक्ष जी का बस होगा ?

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, बहुत घालमेल होता है। पूरे छत्तीसगढ़ में, हर जिले में सी.एस.आर. में बहुत घालमेल है। हमारे कार्यों की भी स्वीकृति नहीं मिलती और कहां से क्या मिलता है, पता नहीं चलता है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप अपना प्रश्न complete करिए।

श्री किरण देव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर में एक बात स्पष्ट हुई है कि सी.एस.आर. मद का कितना उपयोग किया जाता है और किस-किस मद में किया जाता है। इसकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। सिर्फ न्यूट्रिशन और अन्य उसके न्यूट्रीशन को लेकर जवाब में आया है, लेकिन विकास कार्यों के लिए और संबंधित क्षेत्र के विकास की दृष्टि से किसी भी प्रकार की राशि स्वीकृत नहीं की गई है। इसके लिए कोई निर्देश या प्रावधान है?

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप विधायक जी को पूरे प्रावधान तत्काल भेजवायें।

श्री लखनलाल देवांगन :- जी।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत प्रश्न हो गये। एक मिनट। नेता जी कुछ बोल रहे हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, मैं आपसे सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि प्रदेश का कोई भी औद्योगिक संस्थान हो, चाहे बालको हो, चाहे ए.सी.सी.एल. हो या चाहे एन.एम.डी.सी. हो, इनको अपने लाभ का या लाभांश का कितनी प्रतिशत राशि सी.एस.आर. मद के लिए देना आवश्यक है? क्या वह नियम सबके लिए सामान्य है या अलग-अलग है?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सी.एस.आर. मद के लिए भारत सरकार की जो गाइडलाईन बनी है, उसके अनुसार सी.एस.आर. मद के लिए उनको 3 साल के अनुपात में अपनी आमदनी का 2 प्रतिशत राशि देने का प्रावधान है। 3 वर्ष का अनुपात लेते हैं और वह अपनी आमदनी का 2 प्रतिशत की राशि सी.एस.आर. मद में खर्चा करते हैं। अगर कहीं पर ऐसी कुछ गड़बड़ी होगी, तो उसकी मॉनिटरिंग भी भारत सरकार के द्वारा की जाती है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय मंत्री जी, क्या आप जांच करायेंगे कि भूपेश बघेल जी के मंत्रिमण्डल के समय में कितनी प्रतिशत राशि दी जाती थी और आपके समय कितनी राशि दी जा रही है? यदि राशि नहीं दी जा रही है तो आप इसका भी परीक्षण करा लीजिएगा।

अध्यक्ष महोदय :- श्री बालेश्वर साहू जी।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत प्रश्न हो गये। नेता जी प्रश्न पूछ लिये हैं।

जिला सक्ती के उद्योगों से संबंधित शिकायतों की जांच एवं कृत कार्यवाही

[वाणिज्य एवं उद्योग]

2. (*क्र. 154) श्री बालेश्वर साहू : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला सक्ती के ग्राम उच्चपिंडा आर.के.एम. पॉवरजेन पॉवर प्लांट व ग्राम बड़ाहरदा डी.बी. पॉवर लिमिटेड उद्योगों के संबंध में विगत 3 वर्षो में कब, किसके द्वारा, किसको एवं क्या शिकायत की गई है और इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा जांच किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब की गई एवं कौन-कौन दोषी पाया गया तथा दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? शिकायतवार जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका "क" अवधि में इन उद्योगों में दुर्घटनाओं में कितनी मृत्यु हुई तथा कितने घायल हुए? दुर्घटनावार जानकारी देवें ? इस संबंध में कितना मुआवजा दिया गया व कितना शेष है तथा मुआवजा के लिये शासन के क्या नियम व निर्देश हैं? व्यक्तिवार जानकारी देवें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) जिला सक्ती के ग्राम उच्चपिण्डा मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्लांट व ग्राम बाड़ादहरा मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड उद्यागों के संबंध में विगत 03 वर्ष में की गयी शिकायत और इन शिकायतों पर की गयी कार्यवाही तथा जांच के संबंध में कार्यालय श्रम पदाधिकारी, जिला- जांजगीर-चांपा से प्राप्त जानकारी अनुसार कुल 05 शिकायतें प्राप्त हुई है। शिकायतकर्ता का विवरण तथा की गई कार्यवाही एवं जांच का विवरण तथा दोषियों के विरूध्द की गई कार्यवाही **विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखेप्रपत्र-अ** में है। सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा भी उक्त इकाईयों का, मुख्यालय के निर्देश एवं समय-समय पर औचक निरीक्षण किया गया है। अनियमितता पर कार्यवाही की गई है। **विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखेप्रपत्र-ब** में दर्शित है। **(ख)** सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, जिला जांजगीर-चांपा से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नांक "क" की अवधि में मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्रा. लि.ग्राम उच्चपिण्डा जिला-सक्ती (छ.ग.) एवं मेसर्स डी. बी. पावर लिमिटेड ग्राम बड़ादरहा पोस्ट-कंवली तह. डभरा जिला-सक्ती (छ.ग.) में हुई दुर्घटना में किसी श्रमिक की मृत्यु नहीं हुई है तथा मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्रा. लि. में दुर्घटना में 03 श्रमिक एवं मेसर्स डी. बी. पावर लिमिटेड में दुर्घटना में 01 श्रमिक घायल हुए हैं। इस प्रकार कुल घायल श्रमिकों की संख्या 04 है। दुर्घटनावार**विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखेप्रपत्र-स** पर है। इस संबंध में 04 घायल श्रमिकों में से 01 श्रमिक की स्थायी अंगहानि हुई है। उक्त श्रमिक ईएसआईसी के तहत पंजीकृत है। ई.एस.आई.सी. द्वारा दुर्घटना प्रकरण को

रोजगार चोट के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है राशि निर्धारण हेतु लंबित है। अन्य 03 श्रमिकों का स्थायी अंगहानि नहीं हुई है। घायल श्रमिकों को स्थायी क्षति नहीं होने के कारण कोई मुआवजा राशि देय नहीं है। कारखाने में घटी दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु या स्थायी अंगहानि होने पर श्रमिक ईएसआईसी के तहत पंजीकृत है तो ई.एस.आई.सी. द्वारा मुआवजा/पेंशन देने काप्रावधान है तथा श्रमिक ई.एस.आई.सी. में पंजीकृत नहीं होने पर कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के प्रावधानानुसार मुआवजे का प्रावधान है। व्यक्तिवार **विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स** पर है।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला सक्ती के ग्राम उच्चपिण्डा आर.के.एम. पॉवरजेन पॉवर प्लांट व ग्राम बड़ाहरदा डी.बी. पॉवर लिमिटेउ उद्योगों के संबंध में विगत 3 वर्षों में कब, किसके द्वारा, किसको एवं क्या शिकायत की गई है और इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही गई है तथा जांच किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब की गई है एवं कौन-कौन दोषी पाया गया तथा दोषियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? शिकायतवार जानकारी देवें?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला सक्ती के ग्राम उच्चपिण्डा मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्लांट वर्ष 2022 में एक निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक पाया गया था। वर्ष 2023 में दो निरीक्षण हुआ था, जिसमें एक निरीक्षण में पालन प्रतिवेदन संतोषजनक था तथा एक निरीक्षण में श्रम न्यायालय द्वारा एक लाख रूपये का दण्ड आरोपित किया गया था। वर्ष 2024 में तीन निरीक्षण में पालन प्रतिवेदन में संतोषजनक पाया गया था। एक में श्रम न्यायालय द्वारा 50 हजार रूपये का दण्ड आरोपित किया गया था एवं माननीय न्यायालय के निर्देश पर निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक पाया गया था। वर्ष 2025 में न्यायालय के निर्देश निरीक्षण में प्रतिवेदन संतोषजनक था। वर्ष 2022 में डी.बी. पॉवर लिमिटेड में एक निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक पाया गया था। वर्ष 2023 में एक निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक पाया गया था। वर्ष 2024 में चार निरीक्षण में पालन प्रतिवेदन संतोषजनक तथा दो निरीक्षण में श्रम न्यायालय द्वारा एक-एक लाख का अर्थ दण्ड आरोपित किया गया था। वर्ष 2025 में दो निरीक्षण पालन प्रतिवेदन संतोषजनक था। एक निरीक्षण में माननीय न्यायालय के निर्देश पर निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक पाया गया था। इस तरह से random के आधार पर निरीक्षण होते रहते हैं और कहीं पर कोई शिकायत मिलती है तो उसका अतिरिक्त जांच कराई जाती है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बालेश्वर जी।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय मंत्री जी, बड़ाहरदा मेसर्स डी.बी. पॉवर लिमिटेड के विरूद्ध एक रामाधर यादव द्वारा शिकायत की गई है कि उसका एक हाथ कट गया और ईलाज के दौरान 78,622 रूपये व्यय हुआ है, लेकिन प्लाण्ट के द्वारा उनको 50 हजार रूपया दिया गया है और बाद में उसको काम से भी निकाल दिया गया है । इसी प्रकार से जीवन चन्द्रा का एक्सीडेंटल केस है, इसमें ईलाज में 1

लाख 87 हजार 611 रूपया खर्चा आया है और प्लाण्ट के द्वारा मात्र 1 लाख रूपया दिया गया है और उसको भी काम से बाहर निकाल दिया गया है, ऐसी कई शिकायतें मिली है । अभी इसमें जांचकर्ता का नाम भी नहीं दिया गया है, जांच दिनांक और दोषी कर्मियों के लिये निरंक दिया गया है । क्या प्लाण्ट के द्वारा अवैध रूप से कहीं पर भी राखड़ डम्प किया जा रहा है या यहां-वहां काम कर रहे कर्मचारियों में एक्सीडेंटल केस हो जाता है, क्या हमारे तहसीलदार साहब द्वारा परिवार के जीवन-यापन के लिये 25 हजार रूपये मिल जाना ही काफी है, यह बताने की कृपा करें ? वर्ष 2022 से आज तक जो शिकायत नहीं हुई है, दिनांक तय नहीं हुआ है, उस पर आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, जो 4 दुर्घटनायें हुई थी, उसमें जीवन चन्द्रा को 9 लाख 31 हजार 720 रूपये ईलाज हेतु दिया गया था एवं 3 माह का वेतन कारखाना प्रबंधन के द्वारा 1 लाख 27 हजार 611 रूपया दिया गया था । उसी तरह से परमानंद पटेल को 10 लाख 99 हजार 676 रूपया ईलाज के लिये दिया गया था, देवेन्द्र कुमार लहरे को 2 लाख 27 हजार 962 रूपया ईलाज के लिये दिया गया था, एसआई के द्वारा उक्त तीनों कार्य पर उपस्थिति हो गया है, इसके अतिरिक्त श्रम न्यायालय में 1 लाख रूपये का दंड कंपनी को आरोपित किया था और श्री रामाधार यादव जी हैं, उनको 78,662 रूपया ठेका कंपनी मेजर बिलकाम ने ईलाज हेतु दिया था । श्रम न्यायालय द्वारा 50 हजार रूपया का दंड कंपनी को आरोपित किया गया है । स्थायी अंग हुआ है, एस.आई. बोर्ड के वास्तविक मुआवजा का निर्धारण होना अभी बाकी है, मुआवजा का निर्धारण बोर्ड में होगा...।

एक माननीय सदस्य :- माननीय अध्यक्ष महोदय ....।

अध्यक्ष महोदय :- उनका प्रश्न आने दो भई ?

श्री बालेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, आज दिनांक तक जांच अधिकारी का टीम गठित नहीं हुआ है, शिकायतों में दोष क्या पाया गया और इसका क्या निराकरण करना है, लगभग 3 वर्ष हो गया है । आज दिनांक तक जॉच कमेटी का गठन क्यों नहीं किया गया है, जांच कमेटी का गठन न होने से आपके द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, इसका एस.आई. बोर्ड के माध्यम से वास्तविक मुआवजा वगैरह का निर्धारण होगा, अगर पर्टिकूलर कोई है तो लिखकर दे दीजिएगा, मैं निश्चित तौर पर जॉच करा दूँगा ।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी ने 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में जो दिया है, अभी तक निरंक दिया गया है । इसमें किसी प्रकार से जांच अधिकारी का नाम नहीं है । अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सी.एस.आर. मद के बारे में भी क्वेश्चन उठाया गया है । हम लोग भी चाहते हैं, हमारे क्षेत्र में भी काफी प्लाण्ट है, लेकिन सी.एस.आर. मद का खर्च वास्तव में होता कहां हैं, हमारे क्षेत्र में तो जितना डस्ट मटेरियल है, वह आ रहा है । जहां छोटी गाड़ी चलनी चाहिये, उस

क्षेत्र में बड़े-बड़े हाईवा और ट्रक चल रहे हैं, वहां पर 18 चक्के, 22 चक्के, 24 चक्के और 26 चक्के की गाड़ियॉ चल रही है, क्या उसकी क्षमता के बराबर है ? आपने लगातार शिकायत करने के बाद में ...।

अध्यक्ष महोदय :- भाषण नहीं है, प्रश्न होता है । आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर लिया है । मंत्री जी का भी करीब-करीब जवाब आ गया है । श्री भूपेश बघेल जी।

श्री बालेश्वर साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, छोटी सड़कों पर बड़े-बड़े वाहन और वहां पर एक्सीडेंट होने के बाद 25 हजार रूपये का मुआवजा दिया जाता है, वहां न कोई मंत्री ध्यान देता है और न कोई अधिकारी ध्यान देता है और न कोई प्लाण्ट के जिम्मेदार अधिकारी ध्यान देते हैं । वहां पर धरना-प्रदर्शन करते हैं तो जो अधिकारी आते हैं...।

अध्यक्ष महोदय :- आप कोई स्पेसिफिक मामला हो तो लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दें, उसे माननीय मंत्री जी कर लेंगे । चलिये ।

श्री बालेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, लिखकर देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होता है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ने अभी आश्वासन दिया है ना ? श्री भूपेश जी । ठीक है । (शेम-शेम की आवाज)

जल जीवन मिशन योजना में व्यय राशि

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

3. (*क्र. 116) श्री भूपेश बघेल : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:- जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में व्यय की गयी राशि की जानकारी दें ? लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक कितने घरों के लोग जल की सुविधा प्राप्त कर चुके हैं? जिलेवार जानकारी दी जाये ?

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में व्यय की गयी राशि की जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ**[1] अनुसार है। लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक 3116398 घरों के लोग जल की सुविधा प्राप्त कर चुके है। जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि जल जीवन मिशन में 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में व्यय की गई राशि की जानकारी और लक्ष्य के विरूद्ध अभी तक कितने घरों में लोगों को जल सुविधा प्राप्त हो चुका है । परिशिष्ट में आपकी ओर से उत्तर दिया गया है, वह काफी लंबा-चौड़ा है । उसे पढ़ने के लिए मैं मंत्री जी से नहीं कहूंगा, नहीं तो देवांगन जी जैसे पढ़ेंगे तो

[1] परिशिष्ट "एक"

बहुत समय लगेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 की अपेक्षा में 2024-25 में जिला रायपुर में केवल 69 करोड़ रूपए, धमतरी में केवल 63 करोड़ रूपए, राजनांदगांव में केवल 69 करोड़ रूपए, मुंगेली में केवल 85 करोड़ रूपए, जांजगीर में केवल 79 करोड़ रूपए व्यय किये गए हैं, जबकि आप देखेंगे तो 2023-24 में जांजगीर में ही 320 करोड़ रूपए और 2022-23 में 338 करोड़ रूपए व्यय हुए हैं तो आपने जो राशि व्यय की है, वह राशि बहुत कम है । जैसे बलरामपुर में बहुत कम राशि खर्च हुई है, कोरिया में केवल 43 करोड़ रूपए व्यय हुए हैं, जबकि 135 करोड़ रूपए पहले दिए गए थे । इतना कम खर्च होने के कारण क्या हैं ? दूसरा, आपने जो लक्ष्य बताया है, जिसमें लक्ष्य के विरूद्ध 31,16,398 घरों में पानी पहुंच चुका है, जबकि आपका लक्ष्य 49,98,249 था । लेकिन इसमें कुछ जिले हैं, जिसमें मुंगेली में भी आपका लक्ष्य 1,67,000 कनेक्शन देना है, उसमें से आपने केवल 73 हजार नल कनेक्शन दिए हैं, कोरबा में 2 लाख नल कनेक्शन देने का लक्ष्य है, लेकिन केवल 46 हजार नल कनेक्शन दिए हैं मतलब वह 20 प्रतिशत भी कनेक्शन नहीं दिए गए हैं । रायगढ़ में 2,42,000 कनेक्शन देना है, उसमें से केवल 1,43,000 कनेक्शन दिए गए हैं । सरगुजा में 1,85,000 नल कनेक्शन के विरूद्ध 51000 कनेक्शन दिए गए हैं । सूरजपुर में 1,64,000 कनेक्शन के विरूद्ध में आपने केवल 30,000 नल कनेक्शन दिए हैं । कोरिया में 51000 नल कनेक्शन के विरूद्ध केवल 10 हजार कनेक्शन दिए गए हैं और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 2,14,000 के विरूद्ध में केवल 73 हजार नल कनेक्शन दिए गए हैं । इसके कारण क्या हैं ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जो प्रश्न किया है, हमने उसका उत्तर बहुत स्पष्ट रूप से दिया है । 2022-23 में 4203 करोड़ रूपए व्यय हुए, जो कुल योजना की लागत का 16 प्रतिशत होता है । 2023-24 में 5474 करोड़ रूपए व्यय हुए, जो कि लागत का 20 प्रतिशत होता है । 2024-25 में 3522 करोड़ व्यय हुए, जो कि लागत का 14 प्रतिशत है । कुल मिलाकर 1.7.2025 तक 15,045 करोड़ रूपए लगभग 57 प्रतिशत खर्च हुए हैं । 31 लाख घरों को नल से पानी मिल रहा है । योजना 2024 में पूरी होनी थी, पर वह पूरी नहीं हुई। हमारी सरकार बनने के बाद हम लगातार इस योजना के काम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारी सरकार बनने के बाद जो उपलब्धियां हैं, वह 12,316 अतिरिक्त नलकूप खोदकर लोगों तक पानी पहुंचाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं और आज की तिथि में 3836 गांवों में पूरी तरह से नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है । कुल मिलाकर लगभग 29000 योजनाएं हैं, उन योजनाओं में से 5017 योजनाओं में पूरी तरह से पानी आ रहा है । माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है तो राशि का भुगतान है, काम का प्रोग्रेस है, वह एक बार में एक साल में नहीं होता है। आपने दो साल विलम्ब से योजना प्रारंभ की । एक साल बाद 2023 में आपने ट्यूब वेल खनन का आदेश किया, इस कारण से अलग-अलग जिलों में अलग-अलग परफारमेंस हुआ है । वहां पर स्त्रोत की उपलब्धता, वहां पर काम की प्रगति और इसके कारण से यह

वेरीएशन दिख रहा है । जल जीवन मिशन में 19,656 गांवों में 49,98,249 घरों तक नल से जल पहुंचाने की हमारी प्रतिबद्धता है । उसके लिए हम तेज गति से काम कर रहे हैं । घरों में शुद्ध जल पहुंचे, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है और हम तेज गति से काम कर रहे हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, परिशिष्ट में जो जानकारी दी गई थी, उससे उद्भुत जो प्रश्न थे, वह मैंने किए, लेकिन उन्होंने फिर व्यापक उत्तर दे दिया। मैं तो जिलेवार पूछा, जिले का उल्लेख किया कि अमुक-अमुक जिले में आपकी राशि कम क्यों व्यय हुई? दूसरा, मैंने पूछा कि अमुक-अमुक जिले में नल कनेक्शन कम क्यों हुए? इसका उत्तर तो आया नहीं। आपने कहा कि विलंब से शुरू किए, इस कारण से हुआ। एक तो मेरा उत्तर आया नहीं, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, इस प्रकार से खूब तेजी से काम कर रहे हैं? अब इसमें देखेंगे कि वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में तो हमारी सरकार थी और इसमें हमने जो बजट एलोकेट किया, वह वर्ष 2022-23 में 4200 करोड़ रूपए एवं 2023-24 में 5374 करोड़ रूपए है, जबकि आपकी डबल इंजन की सरकार आने के बाद तो 3500 करोड़ रुपए हो गया। यह बढ़ना चाहिए ना? आपको तो स्पीड बढ़ाना चाहिए, तो कम क्यों हो गया? आप बता रहे हैं कि आपने केवल 57% का ही लक्ष्य हासिल किया है। इसका मतलब है कि आपको 43% लक्ष्य हासिल करना है, तो आपका बजट बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? यह हुआ नंबर-एक और दूसरा, जो मैंने पहले प्रश्न किया था, वह आप बताएं कि जिलेवार क्यों ऐसा हुआ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है कि अलग-अलग जिलों की अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं। पूर्व में उन जिलों में ज्यादा काम हुआ होगा, इस बार कम प्रोग्रेस हुआ और इसके कारण सभी जिलों में एक साथ समान काम हो, समान भुगतान हो, ये संभव नहीं है। काम जितना हुआ, उसके हिसाब से अलग-अलग जिलों का काम के आधार पर भुगतान हुआ है। मैं जो वास्तविकता है, उसे बताना चाहता हूं। आपने पूछा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो प्रारंभ में भारत सरकार का जो 'इमिश' पोर्टल है, जिस पर नल के कनेक्शनों का इंद्राज करना था, उसमें काम का प्रोग्रेस दिखाने के लिए दिसंबर, 2023 तक 36 लाख परिवारों में नल का कनेक्शन दिखाया गया, लेकिन उन घरों में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका कोई varification नहीं किया गया। केवल आंकड़े दिखाने के लिए 36 लाख इंद्राज दिखाए गए। जून, 2024 में जब हमने उसका varification किया, तो पाया कि केवल 21 लाख घरों में, परिवारों में पानी जा रहा है। (शेम-शेम की आवाज) 15 लाख घरों में केवल कनेक्शन कर दिया, पोस्ट खड़ा कर दिया, टोंटी लगा दी, पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने गलती की, दो साल बाद ट्यूबवेल खनन कर रहे हैं, सोर्स बना रहे हैं और इसलिए ये परिस्थितियां बनी हैं। आज जब हम काम कर रहे हैं, तो जब नल में पानी आ जा रहा है, तब उसका इंद्राज कर रहे हैं और इसलिए हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी सरकार आने के बाद यह हो रहा है।(मेजों की थपथपाहट) जैसा कि

आपको मालूम है कि योजना वर्ष 2024 में पूरी होनी थी, आप पूरा नहीं कर पाए। वर्ष 2024 के बाद आज भारत सरकार ने उस योजना को आगे बढ़ाना तय किया है। इसलिए यदि आप समय पर कर दिए होते, तो ये हालात नहीं होते कि बिना नल के टोंटी लग गई, पोस्ट खड़ा हो गया।

श्री भूपेश बघेल :- (अपने आसन पर बैठे हुए) बिना नल के टोंटी कैसा होता है?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर हो गया हो तो मैं प्रश्न पूछ लेता हूं?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आगे पूछिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा कि 36 लाख नल कनेक्शन्स दे दिए गए थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी। आपने उसका physical varification किया, तो पता चला कि 21 लाख नल कनेक्शन्स हुए थे, जिनमें पानी पहुंच रहा था। ये आपने अभी कहा। अब सवाल ये उठता है कि आपके इन 2 सालों में क्योंकि आपको लगभग 20 महीने हो गए, आपके उत्तर के अनुसार 21 लाख तो हमारे समय में हुआ, लेकिन आप बहुत काम करने वाले हैं और दो सालों में आपने केवल 10 लाख कनेक्शन्स दिए? (शेम-शेम की आवाज़) अभी आपने कहा, तो दो साल में बहुत काम करने वाली, डबल इंजन-ट्रिपल इंजन की सरकार केवल 10 लाख कनेक्शन दे पाई? सवाल इस बात का है कि इन 21 लाख तक सच में पानी पहुँच पा रहा है या यह भी आंकड़ेबाजी है, कृपा करके बताएं?

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धरातल में कुछ नहीं है। आप हमारे मस्तुरी क्षेत्र में एक नल बता दीजिये। एक गांव बता दीजिये, जहां पानी मिल रहा हो। आपका जल जीवन मिशन सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- धरातल पर कहीं कुछ नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- कहीं पर पानी नहीं पहुंच रहा है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष एवं सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये, बैठिये। प्रश्नकाल को बाधित नहीं करते। भूपेश जी ने अपना प्रश्न किया है और वह अपनी बात को कहने में सक्षम हैं। इसमें ऐसे हल्ला करने की जरूरत नहीं रहती। उन्होंने पूरा प्रश्न किया है और उसका जवाब भी काफी स्पष्ट रूप से आ गया है। इसलिए इस प्रश्न को आगे बढ़ाया जाये।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी गांव में जल नहीं मिल रहा है। (व्यवधान) जल जीवन मिशन पूरा पूरा फेल है। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोल रहे हैं इसलिए हम आपका संरक्षण चाहते हैं। मंत्री जी का उत्तर होना चाहिए।

श्री दिलीप लहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह असत्य आंकड़ा है। कहीं पानी नहीं मिल रहा है। आप पूरे बिलासपुर जिले में एक गांव बता दीजिये जहां पानी मिल रहा हो ?

श्री भूलन सिंह मरावी :- आप लोगों ने तो काम नहीं किया इसलिए हम लोगों को समय लग रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- सब एक साथ नहीं बोल सकते। नेता जी, आप बोलिये।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी बड़ी संख्या में उत्तर देते हुए थोड़ा हिचकिचा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। मैं सामान्य रूप से पूछ रहा हूं कि आपकी जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, वह जनवरी, 2024 से लेकर अब तक 20 माह के कार्यकाल में..

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, ट्रिपल इंजन नहीं है, अब चार इंजन की सरकार हो गयी है।

डॉ. चरणदास महंत :- चलिये, चार इंजन की सरकार है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में चारों इंजन फेल है।

डॉ. चरणदास महंत :- आपके चारों इंजन की सरकार ने 20 माह के कार्यकाल में जल जीवन मिशन का 7 प्रतिशत कार्य किया है, यह आपका उत्तर है। हमने मतलब हमारी सरकार ने दिसम्बर, 2023 तक 83.85 प्रतिशत काम किया है। अब आप बताईये कि हमारी सरकार ने ज्यादा काम किया है या आपकी 20 महीने की सरकार ने ज्यादा काम किया है ? जब हमने ज्यादा काम किया है तो उसके बावजूद भी आप यह बताना चाहते हैं कि हमने कुछ काम नहीं किया, हमने लेट किया, ऐसा किया, वैसा किया। आप 7 प्रतिशत काम करके वाहवाही लूटना चाहते हैं। आपने क्या बताया कि कितने इंजन है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, हमारी सरकार कहना तो आपकी मजबूरी है। आप ऐसा नहीं कहेंगे तो नहीं चलेगा। हम तो वहां बैठकर देखते थे कि आपकी कितनी सरकार थी।

डॉ. चरणदास महंत :- क्यों ? अब हम वहां बैठे होते तो हम नहीं कहते। वह तो दिख रहा है न कि हमारी सरकार थी। कांग्रेस की सरकार चली गयी।

श्री रामकुमार यादव :- तोर दशा ला भी तो देख ले ग कि कैसे हे तेला।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं तो यह कह रहा हूं कि आपने कुल 80.95 प्रतिशत का काम बताया है उसमें 74.84 प्रतिशत कार्य हमने किया है, कांग्रेस सरकार ने किया है, भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है और 7 प्रतिशत कार्य आपने किया है तो आप किस बात की वाहवाही लेना चाहते हैं ? (शेम-शेम की आवाज)

श्री अरूण साव :- अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों माननीय वरिष्ठ सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। माननीय भूपेश बघेल जी ने भी प्रश्न किया। हमने जब जून, 2024 में व्हेरिफिकेशन किया तब आंकड़े 21 लाख के आये, तब हमारी सरकार को आये 6 महीने हो चुके थे। उन 6 महीनों में हमारा काम भी शामिल है। उसके बाद जो हुआ तो कुल मिलाकर 10 लाख केवल कनेक्शन नहीं बल्कि हमने पानी सहित नल के कनेक्शन दिये हैं, यह हमारी उपलब्धि है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रश्न किया है, मैंने उन्हें उसका संशोधित उत्तर दे दिया है। आप 15 लाख का अंतर हमारे लिये छोड़कर गये। जून, 2024 में 21 लाख घरों में पानी आ रहा था। आपने दिसम्बर तक 36 लाख का आंकड़ा दर्ज किया था। हमने 6 महीने में जो काम किया और आप हमारे लिये 15 लाख का डिफरेंस छोड़कर गये थे, हम उसे पूरा कर रहे हैं। हमने माननीय वरिष्ठ सदस्य, नेता जी को संशोधित उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से एक प्रश्न उसी उत्तर में पूछ रहा हूँ। दिसम्बर, 2023 में सरकार बन गई। आपने जून, 2023 तक काम किया और बहुत काम किया। अब यह बता दीजिए कि उन 7 महीनों में आपने कितने नल कनेक्शन दिये और इसमें कितनी राशि खर्च की ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनने के बाद लगभग 10 लाख परिवारों को नल से कनेक्शन दिया है। (व्यवधान)

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह असत्य है। (व्यवधान)

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने लगभग 10 लाख परिवारों को नल से कनेक्शन दिया है। (व्यवधान)

श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कोई नल कनेक्शन नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यह केवल गाल बजाने का काम कर रहे हैं, काम करने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए इनके उत्तर से असंतुष्ट होकर, हम बहिर्गमन करते हैं।

श्री सुशांत शुक्ला :- आप लोगों ने जेब भरने का काम किया, अब कहां जा रहे हो?

समय

11.36 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में.

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर. (क्रमशः)

राज्य स्तरीय उच्च पावर समिति की अनुशंसा पर कृत कार्यवाही

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

4. (*क्र. 222) श्री धरमलाल कौशिक : क्या उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि प्रश्न (क्र. 194), दिनांक 27 फरवरी, 2025 के उत्तर में "राज्य स्तरीय उच्च पावर समिति की अनुशंसा पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है", जानकारी दी गई थी? यदि हॉ तो इसकी अद्यतन स्थिति क्या है? **(ख)** राज्य स्तरीय उच्च पावर समिति के द्वारा कब-कब, क्या-क्या अनुशंसा की गई तथा किन-किन फर्मो व अधिकारियों को दोषी पाया गया और उनके विरूद्व क्या-क्या कार्यवाही की गई है और यदि नही की गई है तो उसके लिये दोषी कौन है? **(ग)** क्या यह सही है कि प्रश्नांश **(क)** सत्र में माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जहां पर जल स्त्रोत नहीं है, वहां पर 60 प्रतिशत से अधिक भुगतान नहीं किया जावेगा? यदि हॉ तो किन-किन स्थानों पर उक्तानुसार प्रकरण प्राप्त हुए हैं व इन स्थानों पर ठेकेदार फर्म को प्रश्न दिनांक तक कुल कार्य लागत का तथा कुल किये गए कार्य का कितना प्रतिशत भुगतान किया गया है? स्थानवार, ठेकेदार फर्मवार जानकारी देवें।

उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) (श्री अरूण साव) : (क) जी हां। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (शीर्ष समिति) उच्च पॉवर समिति द्वारा दिनांक 17.02.2025 को कार्यवाही हेतु अनुशंसा की गई जिसमें मेसर्स विजय वी. सालुंखे के विरूद्ध अनुबंध अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही (जैसे-प्रथम प्राथमिकी दर्ज करना, ब्लेक लिस्ट करना) एवं मेसर्स ए.के. कंस्ट्रक्शन, मेसर्स विक्रम टेली इन्फ्रा, मेसर्स श्री गणपती कंस्ट्रक्शन, मेसर्स आनंद कंस्ट्रक्शन, रायपुर, मेसर्स धर्मेश कुमार, रायपुर, मेसर्स सोमबंसी इनवायरो के विरुद्ध अन्य निविदाओं में मेसर्स विजय वी. सालुंखे की ज्वांईट वेन्चर के रूप में भागीदारी होने पर निविदा दूषित होने पर संबंधित निविदाकार के विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही की जावे (जैसे-एकल पंजीयन प्रणाली से विलोपित करना, तीन वर्षों के लिये जल जीवन मिशन के कार्यों से वंचित करना तथा अनुबंध

निरस्त करना)। मेसर्स विजय वी. सालुंखे के अनुबंध निरस्त कर एजेंसी के विरूद्ध रायपुर के सिविल लाईन थाने में दिनांक 21.02.2025 को धारा 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। 06 निविदाकारों का जिला सूरजपुर-06, कोरिया-03 एवं मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर-02 इस प्रकार कुल 11 समूह जल प्रदाय योजनाओं की निविदाओं में अनुभव प्रमाण पत्र के कूटरचित पाये जाने के कारण जिला जल एवं स्वच्छता समिति जिला सूरजपुर, कोरिया एवं मनेन्द्रगढ-चिरमिरी-भरतपुर द्वारा समूह जल प्रदाय योजनाओ के अनुबंध निरस्त किया गया है। एकल पंजीयन प्रणाली से विलोपित करने एवं 03 साल तक समस्त निविदाओं में भाग लेने से वंचित करने ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के W.P.C. No. 1263 of 2025, W.P.C. No. 1280 of 2025, W.P.C. No. 1292 of 2025, W.P.C. No. 1354 of 2025, W.P.C. No. 1287 of 2025 एवं W.P.C. No. 1284 of 2025 में पारित आदेश के तारतम्य में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ख)** राज्य स्तरीय उच्च पॉवर समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन पर दिनांक 17.02.2025 को कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गई-1. अनुबंध अनुसार कार्यवाही के पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि कार्य की गुणवत्ता एवं माप कानूनन हो। 2. अनुबंध अनुसार क्रियान्वित कार्यों का आंकलन कर भुगतान की कार्यवाही लंबित रखे। 3. अनुबंध की शर्तों के अनुसार न्यायायिक मापदण्ड अनुसार कार्यवाही की जावे। निविदा आमंत्रण के पूर्व भली- भांति समस्त अवयव व अभिलेखों का परीक्षण कर लिया जावे एवं की गई कार्यवाही का वित्त विभाग से अभिमत प्राप्त किया जावे। तद्पश्चात् रिस्क एण्ड कास्ट के आधार पर निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु कार्यकारिणी समिति को अधिकृत किया जाता है। 4. निविदाकार मेसर्स विजय वी. सालुंखे के विरूद्ध अनुबंध अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही (जैसे-प्रथम प्राथमिकी दर्ज करना, ब्लेक लिस्ट करना) 5. अन्य निविदाओं में मेसर्स विजय वी. सालुंखे की ज्वांईट वेन्चर के रूप में भागीदारी होने पर निविदा दूषित होने पर संबंधित निविदाकार के विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही की जावे (जैसे-एकल पंजीयन प्रणाली से विलोपित करना, तीन वर्षों के लिये जल जीवन मिशन के कार्यों से वंचित करना) राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (शीर्ष समिति) उच्च पॉवर समिति द्वारा दिनांक 17.02.2025 को कार्यवाही हेतु अनुशंसा की गई के आधार पर दोषी फर्मों के नाम -

स.क्र.	फर्म का नाम	की गई कार्यवाही
1	मेसर्स विजय वी. सालुंखे	अनुबंध निरस्त कर एजेंसी के विरूद्ध रायपुर के सिविल लाईन थाने में दिनांक 21.02.2025 को धारा 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई।
2	मेसर्स ए.के. कंस्ट्रक्शन,	अनुबंध निरस्त कर एकल पंजीयन प्रणाली से विलोपित करने एवं 03 साल तक समस्त

3	मेसर्स विक्रम टेली इन्फ्रा,	निविदाओं में भाग लेने से वंचित करने ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जा रही है।
4	मेसर्स श्री गणपती कंस्ट्रक्शन	
5	मेसर्स आनंद कंस्ट्रक्शन, रायपुर	
6	मेसर्स धर्मेश कुमार, रायपुर	
7	मेसर्स सोमबंसी इनवायरो	

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (शीर्ष समिति) उच्च पॉवर समिति द्वारा अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु कोई टीप नहीं है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि कुछ संस्थाओं ने जिस प्रकार से कूटरचित दस्तावेजों और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर काम प्राप्त किया और वह बाद में प्रमाणित भी हुए। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक अधिकारी के द्वारा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अपराध किया जाता है और उनके खिलाफ में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाता है तो क्या उसी प्रकार से फर्जी दस्तावेजों और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर काम प्राप्त करने वालों ने जिस प्रकार से अपराध किया है, उनके खिलाफ भी उसी प्रकार से कार्यवाही करेंगे क्या ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन को लेकर जो अपेक्स कमेटी है उसी कमेटी ने, जो फर्म है उसने फोर्ज experience certificate के आधार पर मल्टीविलिज स्कीम का टेण्डर प्राप्त किया। उसके खिलाफ एफ.आई.आर. करने की अनुशंसा की और बाकी के जो अनुबंध थे, कुल मिलाकर 12 अनुबंध, उन सबको निरस्त करने की अनुशंसा की। उस आधार पर हमने कार्यवाही की। हमने 12 अनुबंध निरस्त किये और जो मुख्य एजेंसी थी, उसके खिलाफ एफ.आई.आर.दर्ज किया है। हमने ब्लैक लिस्टिंग के लिए शो-कॉज नोटिस दिया और जो अपेक्स कमेटी के रिकमण्डेशन थे उसके खिलाफ सभी 7 फर्मों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। दिनांक 3.08.2024 का जो ब्लैक लिस्टिंग के लिए नोटिस था, दिनांक 17.02.2024 का अपेक्स कमेटी का रिकमण्डेशन था, दोनों को

माननीय उच्च न्यायालय ने सेटेसाईट किया और मुख्य सचिव को उस पर विचार करके, निर्णय करने के लिए कहा है। अब सरकार ने उसके खिलाफ अपील करने का तय किया है तो वह प्रक्रियाधीन है। उसमें अधिकारियों की संलिप्तता के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं आयी है, इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की है। यदि ऐसी कोई रिपोर्ट आती तो निश्चित रूप से, यदि हमने 6 executive engineer को निलंबित किया है, हमने 4 के खिलाफ नोटिस दिया है, उनकी विभागीय जांच चल रही है तो किसी भी अधिकारी को बक्शने का कोई सवाल ही नहीं है, इसमें जिसकी कोई जिम्मेदारी हो।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी अधिकारी के संदर्भ में नहीं पूछा है। मैंने तो आपसे यह पूछा है कि जैसे इन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर काम प्राप्त किया और अपराध किया। यदि शासकीय अधिकारी उसी आधार पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत करे तो उनके खिलाफ में एफ.आई.आर. किया जाता है तो इनके खिलाफ एफ.आई.आर. क्यों नहीं की गई है ? जब इसको प्रमाणित पाया गया है और आपने केवल एक के खिलाफ में उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की है, आपने बाकी के खिलाफ में नहीं किया है तो आपने कोर्ट का हवाला दिया कि हाईकोर्ट में जो मामला पेंडिंग है । हाईकोर्ट में जो लंबित मामले हैं, आपके अनुसार से अभी उसका निराकरण नहीं हुआ है लेकिन अधिकारियों को दिशानिर्देश हाईकोर्ट के द्वारा प्राप्त हुआ है। इसमें आपने कहा है कि उसको किया जा रहा है तो वह कब तक किया जायेगा?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, forged experience certificate प्रस्तुत किया गया था वह मेमर्स विजय वी. सालुंखे कंपनी के द्वारा था। बाकी की जो 6 एजेंसी हैं उन्होंने ज्वाईंट वेन्चर में 12 एग्रीमेंट किये थे। जिस फर्म ने forged experience certificate प्रस्तुत किया था, उसके खिलाफ हमने एफ.आई.आर. की है। बाकी लोगों का ज्वाईंट वेन्चर में जो टेंडर हुआ था, उन सबके अनुबंध निरस्त किये हैं और हम उनकी ब्लैकलिस्टिंग भी कर रहे थे। ब्लैकलिस्टिंग के लिये सो-काज नोटिस दिया था। माननीय उच्च न्यायालय ने उसे क्वेश किया। अब उस पर अपील करने की हमारी प्रक्रिया चल रही है। माननीय उच्च न्यायालय का जैसा आदेश होगा। पर किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त करने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उपमुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने पिछले समय प्रश्न में एक जवाब दिया था कि जहां पर जल का स्त्रोत नहीं है, वहां पर जो भुगतान की स्थिति है और इन्होंने जान-बूझकर उस प्रकार के जो काम किये हैं, उनका 60 प्रतिशत से अधिक भुगतान नहीं किया जायेगा। उसमें मैं केवल आज आपको एक उदाहरण बताना चाह रहा हूं, आज ही के प्रश्न में है। लता उसेंडी का 15 नंबर में प्रश्न है, 80 प्रतिशत से अधिक राशि का भुगतान हो गया है एवं 22 ग्रामों में पेयजल अभी भी प्रारंभ नहीं हुआ है। यह तो आज के प्रश्न में है, लेकिन ऐसे कई

मामले हैं। तो जब उस समय आपने आदेश किया, उसके बाद किस अधिकारी के द्वारा भुगतान किया गया ? आपके आदेश की जो अवहेलना की गई, क्या आप ऐसे अधिकारी के विरूद्ध में कार्रवाई करेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो 60 प्रतिशत वाला कोई कमिटमेंट नहीं था।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस सदन का कागज है और इसमें माननीय मंत्री जी ने ये साफ कहा है कि मैं सदन के सामने यह स्पष्ट रूप से कहूंगा कि किसी भी ठेकेदार का जब तक काम पूरा नहीं होगा 70 प्रतिशत से अधिक भुगतान नहीं करेंगे। यह सम्मानित विधान सभा से आया हुआ कागज है और इसी सदन में इन्होंने ये बात कही है और इसके बाद जो विभाग है वह गुमराह कर रहा है। जो माननीय का सवाल है उसमें बिल्कुल साफ लिख दिया गया है कि ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं है। जबकि इनके विधान सभा के वक्तव्य में ये है। माननीय मंत्री जी यह आपका वक्तव्य है, यह कोई मेरा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- इनको सवाल करने दीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पेपर में जांच होनी चाहिए और माननीय मंत्री जी जो बोल रहे हैं, दोनों की जांच होनी चाहिए कि कौन सी बात सही है।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको पटल पर रखना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी की बात सही है या यह पेपर सही है, यह आप स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जनता को पूरी तरह गुमराह कर रहे हैं। इसमें विभाग भी मिला है और मंत्री जी भी मिले हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये, बात तो सुनिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस कागज को पटल पर रखना चाहता हूं। आप अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप पहले मेरी बात सुनिये।

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का जो रिकार्ड है, उसी को सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैंने कहा कि 60 प्रतिशत वाली बात नहीं थी। मैंने ये नहीं कहा कि 70 प्रतिशत वाली बात नहीं थी। 70 प्रतिशत वाली बात थी।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय मंत्री जी, मैं यह पूछना चाहता हूं कि विभाग ने इस प्रश्न में साफ तरीके से ये कह दिया है कि ऐसा नहीं है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- 70 प्रतिशत से अतिरिक्त भुगतान हुआ है, क्या उसमें कार्रवाई करेंगे?

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सम्मानित कौशिक जी यह पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई कमिटमेंट है तो इस पर विभाग यह जवाब देता है कि ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, [XX][2] यह प्रश्नकाल है।

श्री देवेन्द्र यादव :- हम अपनी बात कह रहे हैं, [XX] आप कैसे खड़े हो? आप कैसे खडे हो सकते हो? [XX] हम जनता की बात करेंगे। यहां विभाग गुमराह कर रहा है, मंत्री महोदय गुमराह कर रहे हैं [XX]

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिना आपकी अनुमति के भाषण नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये।

श्री देवेन्द्र यादव :- [XX]

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ... (व्यवधान)

श्रीमती गोमती साय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं चलेगा। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बैठिये। .. (व्यवधान)

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए, आप बैठिए । प्रश्नकाल में इस प्रकार...। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह बात आ रही है । (व्यवधान)

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- कोई इनकी भाषा देख रहे हैं, यह ऐसे बोलेंगे और क्या हम सुनेंगे । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह है कि सम्माननीय सदस्य...। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी खड़े हैं ।

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- मैं बोलने का समय दूंगा । चूंकि पूरा छत्तीसगढ़ प्रश्नकाल के महत्व को देखता है । विधानसभा की मर्यादा है, विधानसभा में बोलने का तरीका है, विधानसभा सड़क नहीं है कि आप भाषण देने आ रहे हो । (मेजों की थपथपाहट) इसलिये मेरा आप सभी सदस्यों से आग्रह है, चूंकि

[2] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आप तो दूसरी बार जीतकर आये हैं, सीनियर हैं तो सभी सदस्यों से आग्रह है कि विधानसभा की मर्यादा को पूरा छत्तीसगढ़ और पूरा देश देख रहा है और इस प्रकार के लहजे में यदि विधानसभा में बातचीत होगी तो इसलिये मैं सभी से यह आग्रह करूंगा कि जो भी विषय है, अपनी बात को रखें लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखें कि सीधे सदस्य आपस में बात न करें । आसंदी को देखकर, एक-दूसरे को देखकर बात करने की यह जगह नहीं है । आसंदी को सीधा संबोधित करिये और इस प्रश्न में काफी समय निकल गया, बाकी जवाब भी आ गया । हो गया ।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है । यह विभाग का जवाब है इसलिये इसकी स्पष्टता आनी चाहिए, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब आप बैठिए । प्रश्नकर्ता खड़े हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि वह खड़े हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 17 फरवरी, 2025 के बाद जिन संस्थाओं को आपके आदेश के बाद में जो भुगतान किया गया और जिस अधिकारी ने भुगतान किया, मैंने उसके संबंध में कहा कि उनके खिलाफ में कार्रवाई हो । दूसरी बात यह है कि उस समय 13 कंपनियों के नाम आये थे, उच्च स्तरीय पॉवर कमेटी ने केवल 7 की अनुशंसा की लेकिन जो 6 हैं । आनंद कंस्लटेंट पटना, बिहार, मैसर्स बंसल इंफ्रास्ट्रक्चर रायपुर, के.के. नायर भंडारा महाराष्ट्र, एन.आई.टी. डेव्लपर्स पटना, बिहार, पी.एम. इंटरप्राईजेस बिलासपुर, ओ.एफ.ए. कंटलजेंसी रायपुर । इनके खिलाफ में जो अनुशंसा नहीं आयी और उसके कारण इनके खिलाफ में आपने कार्रवाई की कोई घोषणा आज नहीं की है या जो आपका जवाब आया है उसमें नहीं है । मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब उस 13 में से सेम प्रकरण में दोषी पाया गया, इनके खिलाफ भी यह पाया गया कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर इन्होंने काम प्राप्त किया तो केवल उन्होंने अनुशंसा नहीं की इसलिये उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई आप नहीं करेंगे तो मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि यदि सेम मामला है, जिस प्रकार से उस कंपनी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर और कूटरचित दस्तावेज के आधार पर काम प्रारंभ किया । यह सभी के नाम उसमें हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने का और दूसरा अधिकारी ने जो पेमेंट किया, आदेश की जो अवहेलना की तो इन दोनों में आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं और कब करेंगे ?

श्री अरूण साव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 24.03.2025 को संचालक, जनजीवन मिशन ने एक आदेश सभी जिला जल स्वच्छता, मिशन के अध्यक्ष और सचिव इन सभी को पत्र लिखा और पत्र में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि एकल ग्राम योजनांतर्गत उन कार्यों में देयकों जिसमें आवश्यक

सफल स्त्रोत उपलब्ध हो चुका है एवं पानी टंकी एवं अन्य कार्यों की पूर्णता निकट भविष्य में हो जायेगी तथा योजना से पेयजल प्रारंभ कर दिया जायेगा ऐसी योजनाओं में कार्य का 70 प्रतिशत की राशि से अधिक का भुगतान न करें । इस निर्देश की किसी ने अवहेलना करके भुगतान किया है तो निश्चित रूप से जांच करने के उपरांत उस पर कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, श्री अनुज शर्मा । यह प्रश्न बहुत हो गया । अनुज जी बोलें ।

श्रम अधिनियम के अंतर्गत वि.स. क्षेत्र धरसींवा के मेसर्स जायसवाल निको इण्डकस्ट्रीज लि. में जांच

[श्रम]

5. (*क्र. 468) श्री अनुज शर्मा : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-(क) क्या यह कथन सत्य है कि विभाग द्वारा मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लि. मि. सिलतरा के ब्लास्ट फर्नेस एवं पावर प्लांभट में दिनांक 28/।।/2024 को श्रम कल्या ण निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत निरीक्षण किया गया था ? यदि हां तो उक्त् निरीक्षण में क्या्-क्या विंसगतियां प्राप्त हुई ? (ख) प्रश्नांक "क" अनुसार इस निरीक्षण में जांच अधिकारी के द्वारा क्या किसी प्रकार का "प्रतिबंधात्मक आदेश " कारखाना प्रबंधन को जारी किया गया था ? यदि हां तो क्या ? (ग) प्रश्नां क "क" अनुसार निरीक्षण उपरांत जारी आदेश/सुझाव का पालन कारखाना प्रबंधन द्वारा किया गया है अथवा नहीं ? इसे कब पुन: परीक्षण कर जांचा गया ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) जी हॉ, यह कथन सत्य है कि विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्र धरसींवा के सिलतरा स्थित मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमि. के ब्लास्ट फर्नेस एवं पावर प्लांट में दिनांक 28/11/2024 को श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाई गई विसंगतियों की जानकारी संलग्न "प्रपत्र"[3] अनुसार है। (ख) जी नहीं, श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाने का प्रावधान नहीं है। (ग) निरीक्षण उपरांत निरीक्षण में पायी गयी कमियों को दूर करने संबंधी दिये गये निर्देश के संबंध में कारखाना प्रबंधन द्वारा पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जो कि परीक्षण में संतोषजनक पाया गया।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र है और मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार घटनायें होती रहती हैं इसलिये अलग-अलग विभाग समय-समय पर अलग-अलग जांच करते हैं । मेरा माननीय उद्योग मंत्री जी से इसी से संबंधित सवाल था । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

[3] परिशिष्ट "दो"

माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दिनांक 27/11/2024 से दिनांक 01/12/2024 के मध्य क्या श्रम कानूनों के अंतर्गत जो जायसवाल निको प्लांट है, उसमें कोई जांच की गई थी और क्या उस जांच के खिलाफ कोई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था? यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने श्रम कल्याण अधिनियम के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे हैं, वैसे मुझको लगता है कि वह प्रश्न लगाने में थोड़ा चूक गए। जो प्रश्न लगाए हैं, उस अधिनियम के तहत कोई भी प्रतिबंधात्मक कर्रवाई नहीं की जा सकती और उनको उत्तर दे दिया गया है। अगर वह और भी जानकारी चाहते हैं कि क्या-क्या जांच हुई है तो मैं उनको दे दूंगा, क्योंकि उन्होंने श्रम कल्याण निधि के बारे में पूछा है। उसमें इस तरह के किसी भी कानून का प्रावधान नहीं है। उनका जो एक प्रावधान था, वह जांच में संतोषप्रद पाया गया है और भी जांच हुआ है। उनका कहना सत्य है। बाकी वे अभी प्रश्न लगाने के लिए चूक गये। वे मुझे व्यक्तिगत बता देंगे, मैं उनको जानकारी दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- इनको पूरी जानकारी दे देंगे।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने किसी भी श्रम कानून में पूछा था। मैंने इस पर एक और सवाल लगाया है, उसका आज जवाब आया है। यह है मेरा प्रश्न क्रमांक 469।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं आप संदर्भ इसी का देंगे।

श्री अनुज शर्मा :- संदर्भ इसी का दे रहे हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न के आगे नहीं बढ़ सकते। जो प्रश्न संख्या 5 में है, वहां तक सीमित रहिए। इसमें नए प्रश्न उत्पन्न नहीं कर सकते।

श्री अनुज शर्मा :- नहीं, इसी संदर्भ में है।

अध्यक्ष महोदय :- आप इसमें मंत्री जी से जो पूछ रहे हैं, पूछिए।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आगे मत बढ़िये ।

श्री अनुज शर्मा :- जी-जी। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत 28 और 30 तारीख को जांच की गई और इस जांच में 71 धाराओं का उल्लंघन पाया गया। इसमें कारखाना अधिनियम, 1948 की 43 धाराएं, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत् 8 धाराएं, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के तहत् 5 धाराएं, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अंतर्गत 3 धाराएं, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत् 3 धाराएं, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत 2 धाराएं, उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत 5 धाराएं, श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के तहत् 2 धाराओं का उल्लंघन पाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस परीक्षण में बहुत ही गंभीर विषय है,

बहुत ही चिंता का विषय है। 23 तारीख को एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया और उसमें कहा गया कि निरीक्षण के दौरान कारखाने में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट के ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, एयर सस्पेंशन प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं रूप संबंधित स्ट्रक्चर अत्यंत जर्जर एवं बेमरम्मती की अवस्था में पाया गया। लेकिन इन स्ट्रक्चर्स की जांच, रिपेयरिंग एवं reinforcement के लिए कोई कार्यवाही नहीं किया जाना किसी भी समय गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मूल विषय यह है कि इतनी गंभीर बातों के बाद मैं आपको बताऊंगा मुझे बहुत गंभीर विषय लग रहा है। इसके सिर्फ तीन दिन बाद इन 71 बिंदुओं का निराकरण कर दिया गया। विभाग संतुष्ट हो गया और उन्होंने फैक्ट्री को चालू रखा। प्रतिबंधात्मक आदेश होने के बावजूद इस फैक्ट्री को एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं किया गया, जहां मजदूरों की जान का जोखिम है।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न कर लीजिए।

श्री अनुज शर्मा :- तो माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हुआ था, उस पर क्या वह कारखाना एक सेकंड के लिए भी बंद हुआ क्या?

श्री लखनलाल देवांगन :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि के बारे में पूछा था, उसका मैंने बता दिया और वे जैसे बता रहे हैं कि फैक्ट्री को बंद किया गया है क्या। हम लोग किसी फैक्ट्री को बंद थोड़ी करेंगे, उसका निराकरण करते हैं और उसमें जो जांच हुई थी, उसमें इस प्रकार के 10 अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण किया गया, जिसमें 4 अधिनियम के अंतर्गत प्रबंधन के विरूद्ध 4 अभियोजन प्रकरण दायर किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री अनुज शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपका संरक्षण चाहिए । अत्यंत जर्जर और जो रिपेयर न किया जा सके, ऐसी रिपोर्ट है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश मेरे हाथ में है। अगर यहां कोई बड़ी दुर्घटना होती है, इस बात का निरीक्षण के दौरान जिक्र किया गया है, उस कारखाने को फिर से चालू रखना मजदूरों के भविष्य को लेकर उनके जीवन को लेकर गंभीर विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मेरा एक आग्रह है कि एक समिति बनाई जाए । इसमें जितने विभाग हैं, उनसे निष्पक्ष जांच कराई जाए, मेरा आपसे आग्रह है कि जयसवाल निको के जितने भी कारखाने हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए हो गया ।

श्री अनुज शर्मा :- अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं । छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित उनके विभिन्न विभाग जैसे उद्योग, श्रम, राजस्व, खनिज, पर्यावरण, जी.एस.टी. विभाग के संचालक स्तर पर या उच्च स्तरीय समिति बनाकर इसकी जांच कराई जाए । दूसरा, यह जो फ्लैट प्रोडक्ट डिविजन है जहां ऑक्सीजन का उत्पादन होता है इस प्लांट को तुरंत बंद किया जाए क्योंकि इसमें मजदूरों को जान का जोखिम है जिसकी रिपोर्ट आपके पास ऑलरेडी रखी हुई है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, मंत्री जी, क्या जवाब देंगे ?

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, हम लोग पूरे श्रमिकों के हितों में काम करते हैं । यदि कहीं पर इस तरह से शिकायत होती है तो उसकी जांच भी कराते हैं और किसी भी फैक्ट्री में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसको सुधार करने के लिए समय दिया जाता है, समय सीमा पर यदि वे सुधार कर लेते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती ।

श्री अनुज शर्मा :- अध्यक्ष जी, जो रिपेयर नहीं किया जा सकता, वह तीन दिन में कैसे हो सकता है ?

श्री लखनलाल देवांगन :- समय सीमा में वे सुधार नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी जवाब दे रहे हैं सुन लीजिए ।

श्री लखनलाल देवांगन :- श्रम कानून के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जाती है और माननीय सदस्य को लगता है कि बहुत बड़ा गंभीर मामला है तो क्या-क्या गंभीर है लिखकर दें दें, निश्चित तौर पर कराएंगे ।

श्री अनुज शर्मा :- अध्यक्ष जी, केवल इतना ही निवेदन है कि वे एक बार जांच की घोषणा कर दें । अध्यक्ष जी, पूछिए ना कि हमारे सामने जांच कराएंगे ?

श्री रामकुमार यादव :- 2048 तक हो जाही ।

श्री अनुज शर्मा:- मंत्री जी से मेरा आग्रह है, निवेदन है । माननीय अध्यक्ष जी, मजदूरों की जान का सवाल है ।

एक माननीय सदस्य :- अध्यक्ष जी, कम से कम एक सेकेंड के लिए बंद करवा दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया, पर्याप्त जवाब आ गया, बैठिये ।

श्री अनुज शर्मा :- बहुत गंभीर विषय है, अध्यक्ष जी ।

अध्यक्ष महोदय :- पिछले प्रश्न पर व्यवधान के मध्य माननीय सदस्यों द्वारा जो असंसदीय वार्तालाप हुआ है, उसे मैं कार्यवाही से विलोपित करता हूं (मेजो की थपथपाहट) । कृपया सदस्यों से अनुरोध है कि आपस में सीधे संवाद न करें और संसदीय मर्यादा का पालन करते हुए विधान सभा की गरिमा को बढ़ाने का प्रयास करें। रजत जयंती वर्ष में पूरे हिंदुस्तान में हम उदाहरण देते हैं, इसलिए उदाहरण प्रस्तुत करें । नये उदाहरण देने की जरूरत नहीं है ।

आरकेएम पॉवर प्लांट, जिला सक्ती में कार्यरत स्थानीय श्रमिक एवं कर्मचारी

[वाणिज्य एवं उद्योग]

6. (*क्र. 163) श्री रामकुमार यादव : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला सक्ती अंतर्गत आरकेएम पॉवर प्लांट में वर्तमान में कुशल एवं अकुशल छत्तीसगढ़ के कितने स्थानीय श्रमिक एवं नियमित, अनियमित कर्मचारी कार्यरत हैं, नामवार विवरण देवें। **(ख)** क्या उक्त पावर प्लांट में छत्तीसगढ़ के स्थानीय कुशल एवं अकुशल श्रमिकों एवं नियमित, अनियमित कर्मचारियों की संख्या का अनुपात छत्तीसगढ़ शासन के नियम के अनुसार है? यदि हां तो विवरण देवें और नहीं तो क्यों? **(ग)** प्रश्नांक "क" एवं "ख" के अनुसार उक्त पावर प्लांट में कार्यरत छत्तीसगढ़ के स्थानीय कुशल एवं कुशल श्रमिकों एवं नियमित, अनियमित कर्मचारियों से क्या भारत सरकार श्रम अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय-सीमा तक कार्य लिया जाता है तथा छत्तीसगढ़ शासन के नियम अनुसार श्रमिकों एवं कर्मचारियों को वेतनमान दिया जाता है? यदि हां तो विवरण देवें और यदि नहीं तो क्यों?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखन लाल देवांगन) : (क) श्रम पदाधिकारी, जिला-सक्ती से प्राप्त जानकारी अनुसार आर.के.एम. पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड में वर्तमान में कुशल एवं अकुशल, नियमित तथा अनियमित कुल 1726 छत्तीसगढ़ के स्थानीय श्रमिक कार्यरत हैं। नामवार **विस्तृत विवरण जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** इकाई मेसर्स आर.के.एम. पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड को उत्पादन पश्चात औद्योगिक नीति के अंतर्गत किसी प्रकार का औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नहीं दिया गया है, अतः इकाई को औद्योगिक नीति के नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत में राज्य के मूल निवासियों को रोजगार दिये जाने की अनिवार्यता लागू नहीं होती है । **(ग)** श्रम पदाधिकारी, जिला-सक्ती से प्राप्त जानकारी अनुसार आर.के.एम. पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत छत्तीसगढ़ के स्थानीय कुशल एवं अकुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ शासन के श्रम अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय सीमा तक कार्य लिया जा रहा है तथा छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित वेतन दर से श्रमिको एवं कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है जो कि निम्नानुसार है:-

	अकुशल	अर्धकुशल	कुशल	उच्च कुशल
दैनिक वेतन दर	430/-	455/-	485/-	515/-

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय उद्योग मंत्री ले पूछे रहें कि चंद्रपुर विधान सभा मा अउ आसपास बहुत सारा फैक्ट्री हे, विशेषकर मैं आरकेएम कंपनी के उल्लेखित करे रहें कि वहां पर कुशल और अकुशल कितना कन कर्मचारी हैं, प्लांट मा जोन काम करते हे ओकर जवाब तो

दे हे, लेकिन मैं यह पूछना चाहत हौं कि जो कुशल और अकुशल कर्मचारी हे वो हा प्रॉपर आरकेएम कंपनी के अंडर काम करथे या ओकर अंडर ठेकेदारी मा रखे गे हे ?

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा था कि वहां पर छत्तीसगढ़ के कितने कुशल और कितने अकुशल कर्मचारी, नियमित, अनियमित कर्मचारी हैं ? उन्होंने नाम सहित पूछा था और मैंने नाम सहित, पता सहित उन्हें जानकारी दी है और सब कंपनी के अंतर्गत काम करते हैं । पूरी जानकारी नाम सहित दी गई है । पूरी सूची है अगर आप समय देंगे तो पढ़कर बता देता हूं ।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष जी, ये अइसे बात हे, कोई भी कंपनी खुलथे चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, एथेना हो, चाहे वेदांता हो, चाहे आरकेएम चाहे जो भी हो । वोमन का करथे, अपन अंडर मा एक और ठेकेदार रखथे । वो आसपास के छत्तीसगढ़िया आदमी रथे, भात-बासी खवइया, जेमन के ठगके जमीन ला ले रथे, ओकर अंडर मा कर देथे । अउ असली मालिक के अंडर मा नइ लिये जाए । माननीय मंत्री जी आप सदन ला गुमराह मत करौ । ये जतका कंपनी जेमन अपन अंडर मा ठेकेदार रखथे, आप ओकर जवाब देवव कि सही मा अपन अंडर रखे हे या बाहर के ठेकेदार के अंछर रखे हे ?

श्री लखनलाल देवांगन :- अध्यक्ष महोदय, कंपनी के अंतर्गत 1984 कर्मचारी हैं । मैं अलग-अलग बता देता हूं । कुशल श्रमिक ..।

श्री रामकुमार यादव :- जवाब देत तक टाइम पार हो जाही ।

श्री लखनलाल देवांगन :- जवाब ही तो देथौं । कुशल श्रमिक जिसमें 1984 में 1284 श्रमिक छत्तीसगढ़ के हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, प्रश्नकाल समाप्त ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब तो आ नहीं पाया है ।

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर तो ऐसे ही होता है ।

(प्रश्नकाल समाप्त)

समय :
12.01 बजे

सदन को सूचना

उत्कृष्टता अलंकरण समारोह का आयोजन

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि माननीय राज्यपाल महोदय के "मुख्य आतिथ्य" में बुधवार, दिनांक 16 जुलाई, 2025 को सायं 6 बजे से, वर्ष 2024 हेतु चयनित "उत्कृष्ट विधायक", "उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार" एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर" पुरस्कार वितरण हेतु "उत्कृष्टता अलंकरण समारोह" विधान सभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल के दायीं ओर स्थित "लॉन" में आयोजित है।

उत्कृष्टता अलंकरण समारोह पश्चात् संस्कृति विभाग के सौजन्य से सांस्कृतिक संध्या की प्रस्तुति एवं रात्रि भोज आयोजित है।

इस कार्यक्रम में आप समस्त माननीय सदस्यगण एवं पत्रकारगण सादर आमंत्रित हैं।

समय :
12.01 बजे

अध्यादेश का पटल पर रखा जाना.

छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (क्रमांक 2 सन् 2025)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (क्रमांक 2 सन् 2025) पटल पर रखता हूं।

समय :
12.01 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024.

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024 पटल पर रखता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-2/2024/आठ-परि., दिनांक 20 जून, 2025.

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 23 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 5-2/2024/आठ-परि, दिनांक 20 जून, 2025 पटल पर रखता हूं।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 (1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024) (1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024).

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 (1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024) पटल पर रखता हूं।

(4) राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा प्रस्तुत बांध सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024 2025.

जल संसाधन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (क्रमांक 41 सन् 2021) की धारा 45 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा प्रस्तुत बांध सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखता हूं।

(5) छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24.

सहकारिता मंत्री (श्री केदार कश्यंप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 पटल पर रखता हूं।

(6) संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचनाएं

(i) 126/एफ 2(7)/48/सं.का./2024, दिनांक 13 मार्च, 2025

(ii) 128/एफ 2(7)/48/सं.का./2024, दिनांक 13 मार्च, 2025 तथा

(iii) 239/एफ 2(1)/48/सं.का./2025, दिनांक 30 मई, 2025

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक :-

(i) 126/एफ 2(7)/48/सं.का./2024, दिनांक 13 मार्च, 2025

(ii) 128/एफ 2(7)/48/सं.का./2024, दिनांक 13 मार्च, 2025 तथा

(iii) 239/एफ 2(1)/48/सं.का./2025, दिनांक 30 मई, 2025 पटल पर रखता हूं।

(7) छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं, अनुदान प्राप्त एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-2024)

वित्त मंत्री (श्री ओ.पी. चौधरी) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 8-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं, अनुदान प्राप्त एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-2024) पटल पर रखता हूं।

पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आज गांव में किसान खाद के लिए भटक रहा है, जिससे उसमें आक्रोश व्याप्त है और पूरे प्रदेश में जिस तरह से हमारी नदियों में रेत का उत्खनन हो रहा है, जिनको हम मां कहते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं तथा जिनके किनारे हमारे कई तीर्थ स्थल स्थित हैं, उन नदियों में आज की तारीख में इतना रेत का उत्खनन हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी का ही विभाग है और मैंने उनसे जो प्रश्न पूछा है, यह उसका उत्तर है। इसमें उन्होंने 152 पन्नों की रिपोर्ट दी है। इस 152 पन्नों की रिपोर्ट में सिर्फ 7 पन्नों में 119 रेत खदानों का विवरण है, जो स्वीकृत हैं और बाकी 139 पन्नों में 2000 खदानों में अवैध रेत उत्खनन चल रहा है। दुख की बात यह है कि यह अवैध उत्खनन पुलिस

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वालों की देख-रेख में चल रहा है, माइनिंग वालों की देख-रेख में चल रहा है। चाहे राजनांदगांव में हो, चाहे बलरामपुर में हो, चाहे कोरिया में हो, सभी जगहों में बाहर से यहां आकर ठेकेदार लोग रेता का उत्खनन कर रहे हैं। आपको तो पता है कि आपके यहां गोलियां भी चली हैं। गोली चल रही है, मारपीट हो रही है, जिंदा आदमी के ऊपर ट्रेक्टर-ट्रक और बड़े-बड़े वाहन चलाये जा रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि आपकी विष्णु देव जी की सरकार, आपकी चार चक्कों वाली सरकार बदनाम न हो, इसलिए इस स्थगन को आप स्वीकृत करके इसपर हमसे चर्चा करवाइये, ताकि हम आपको इस संबंध में विस्तृत जानकारी दे सकें।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। मैंने आपकी बात सुन ली है।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने यहां स्थगन प्रस्ताव रखा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने विस्तृत रूप से इस बात को कहा है, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि यह विषय गंभीर क्यों हो जाता है? यह विषय गंभीर इसलिए हो जाता है, क्योंकि जब माइनिंग के अधिकारियों से यह पूछा जाता है कि अवैध रेत उत्खनन हो रहा है तो वह यह कहते हैं कि हमको ऊपर से आदेश है कि उनको नहीं पकड़ना है। वह स्टेटमेन्ट देते हैं और न्यूज पेपर में उनका आधिकारिक स्टेटमेन्ट आता है। (शेम-शेम की आवाज) चाहे कलेक्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे माइनिंग अधिकारी हो, चाहे हर तरह के अधिकारी हो, कई बार उनसे पत्राचार करने के बावजूद भी उनपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और यह कहा जाता है कि ऊपर से आदेश है कि आपको उनको अवैध उत्खनन करने दिया जाना है और सबको अवैध उत्खनन करना है। हमारे रायगढ़ जिले में मांड नदी का ऐसा कोई घाट नहीं बचा है, जहां आज के दिन में अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि इस स्थगन प्रस्ताव को आप ग्राह्य करके इसपर चर्चा कराइये, ताकि इसपर वृहद रूप से चर्चा हो और छत्तीसगढ़ के लोगों को इससे लाभ मिल सके।

समय :
12.08

(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई-नगर) :- माननीय सभापति महोदय, रेत माफियाओं का जो कहर पूरे छत्तीसगढ़ पर बरस रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है। न आपसे छुपा है और न इस सदन के सदस्यों से छुपा है। आप देखेंगे कि पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं। गोलियां चल रही हैं। राजनांदगांव जिले से किस्से आते हैं। धमतरी व गरियाबंद जिले में आप जाएंगे तो आपको एकड़ों में रेत के बड़े-बड़े पहाड़ दिखेंगे और उसमें कितनी गाड़ियों की परमिशन होती है और कितनी डम्पिंग हो जाती है और बिना रॉयल्टी की कितनी अवैध रेत बेची जाती है, यह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। यह पूरा प्रकरण मिलीभगत के कारण हो रहा है। इससे आम जनता को बड़ी तकलीफ हो रही है। यदि वह अपने गांव में एक ट्रेक्टर रेत अपने

व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ले ले तो उसको वहां पर अवैध रेत खनन करने वाले ठेकेदारों के द्वारा पीटा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसपर गहन चिंतन आवश्यक है। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इससे प्रभावित हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस विषय पर विस्तार से चर्चा कराई जाए।

सभापति महोदय :- द्वारिकाधीश जी।

श्री द्वारिकाधीश यादव (खल्लारी) :- माननीय सभापति महोदय, रेत माफियाओं की कार्यशैली और जैसे वह खनन कर रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज नहीं है, सरकार का नियंत्रण नहीं है। रेत माफियाओं के द्वारा जैसे चाहे वैसे रेत का खनन हो रहा है। रेत ही एक ऐसी खनिज थी, जो बारिश होते ही उतनी ही हो जाती है। लेकिन आज स्थिति यह है कि इतना ज्यादा रेत का उत्खनन हो रहा है कि महानदी में कई जगहों में रेत की भरपाई बारिश में भी नहीं हो पा रही है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, रेत माफिया गोली भी चला रहे हैं, दूसरा चाकूबाजी कर रहे हैं, ग्रामीण विरोध करते हैं तो उनको दहशत में ला देते हैं। कहते हैं कि ऊपर का आदेश है, अधिकारी बोलते हैं कि ऊपर का आदेश है। हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। कहां के ऊपर का आदेश है ?

समय
12.11 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ के रेत माफिया का मामला दिल्ली के सदन में भी उठा है। उसके बावजूद भी आज तक रेत माफियाओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, निवेदन है कि यह गंभीर समस्या है और इसमें चर्चा की आवश्यकता है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- (एक साथ कई सदस्यों द्वारा बोलने की अनुमति प्राप्त करने के लिए हाथ उठाने पर) अब इसमें सब बोलेंगे तो कैसे चलेगा। आपके नेता बोल चुके हैं, आप लोग बोल चुके हैं। भूपेश जी को बोलना है तो वह बोल लें।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पवित्र सदन मा रेत के बात आथे त हम सुने रहेन कि जो प्रधानमंत्री आवास बनाने वाला मन ला फ्री मा रेत मिलही, रेत दिए जाही, ये पवित्र सदन से घोषणा होय रहिस ए। आज प्रधानमंत्री आवास बनाने वाला मन कहीं थोड़ा सा भी रेत उठात हे तो ओला जेल के अंदर डाल दिए जात हे। लेकिन एक समय रहिस कि छत्तीसगढ़ ला शांति के टापू माने जाय, इहां इस प्रकार से गोली नइ चलाय, लेकिन जब ले एक इंजन नहीं, हमर चन्द्राकर जी कहे रहिस हे चौथा ले पांचवा इंजन हो गय हे, पांचवा इंजन बने हे तब ले देखथन कि यू.पी., बिहार जैसे गोली चलत हे। पुलिस वाला के ऊपर ट्रेक्टर ला चला दिये जाथ हे। तो जेन हा ट्रेक्टर ला पुलिस वाला के

ऊपर चढ़ाही तेन हा कोई मामूली व्यक्ति नइ रहय। ओ काकरो न काकरो नाक के बाल बरोबर होही, ओखर मूड़ मा बैठे होही, तैसने आदमी होही।

अध्यक्ष महोदय :- चल हो गय, बहुत हो गय।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, मोर एक थन निवेदन हे ऐसे विषय मा चर्चा करावा।

अध्यक्ष महोदय :- एक ही विषय को कितना रिपीट करेंगे ?

श्री रामकुमार यादव :- ताकि छत्तीसगढ़ मा रेत के अवैध खनन दोबारा नइ हो सकय।

अध्यक्ष महोदय :- भूपेश बघेल जी सबकी ओर से बोल रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल (पाटन) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्य बोलना चाहते हैं क्योंकि यह उनके जिले का मामला है। आज महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन लाया गया है। रेत निर्माण से संबंधित है, रेत से मकान भी बनने हैं। लेकिन रेत खनन में जो रेत माफिया जिस प्रकार से सरकार को अपनी जेब में रखकर पूरी दादागिरी के साथ नदियों को बिलकुल रेत से खाली करने का षड़यंत्र चल रहा है। यह बेहद दुर्भाग्यजनक है। जिस प्रकार से नेता जी ने कहा कि इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि सिपाही पर गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं। आपके जिले में गोलियां चल रही हैं। बलौदाबाजार जिले में बंधक बनाया जा रहा है, वहां पिटाई की जा रही है, इनके हौसले बहुत बुलंद हैं। ऐसे यह विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इसे ग्राह्य करके चर्चा करायें।

व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत जी एवं प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों द्वारा प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन से उत्पन्न स्थिति के विषय में दी गई स्थगन की सूचना मुझे आज प्रात: प्राप्त हुई। परन्तु उक्त विषय में संबंधित माननीय सदस्यों के ध्यानाकर्षण सूचना पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 55(6) के अनुसार प्रस्ताव में उस विषय की पूर्वाशा नहीं की जायेगी, जो विचार के लिए पहले से नियत किया जा चुका है। अत: मैं इस स्थगन को अग्राह्य करता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ध्यानाकर्षण में कन्वर्ट किया है। तो जितने सदस्यों ने स्थगन में दस्तखत किए हैं, उनको प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाए।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- जितने सदस्य बोलना चाहते हैं, उनको अवसर दे दीजियेगा, हमें इतना वचन दे दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, वह तो बाद का विषय है।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं, अध्यक्ष महोदय। हमको आसंदी से आश्वासन दे दीजिये।

डॉ. चरण दास महंत :- आप आसंदी से निर्देश दे दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण में जितना हो सके, करेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- मान लीजिये सत्ता पक्ष के लोग पूछ लेंगे तो हम लोगों को पूछने का मौका नहीं मिलेगा। अब स्थगन किसने दिया है, हमको पता नहीं है। लेकिन जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन दिया है तो सभी माननीय सदस्यों को एक-एक सवाल पूछने का अवसर मिले।

अध्यक्ष महोदय :- आप ही लोग ध्यानाकर्षण लगाये हैं, कोई बात नहीं है।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, तो हम सबको अवसर दीजियेगा।

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण की जितनी सीमा है, उतना ही होगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब स्थगन दिए हैं, उनका अवसर खत्म हो जाता है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण सूचना।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण विषय में सरकार ध्यान नहीं दे रही है और उसके संरक्षण में, सत्ता के संरक्षण में अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, रेत माफिया फलफूल रहे हैं। हम इसके विरोध में बहिर्गमन करते हैं।

समय :
12:15 बजे

बहिर्गमन

स्थगन ग्राह्य नहीं होने के विरोध में

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा स्थगन ग्राह्य नहीं होने के विरोध में बहिर्गमन किया गया।)

समय :
12:16 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय :- सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(1) अम्बिकापुर विधान सभा क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों में एम्बुलेंस की कमी होना.

श्री राजेश अग्रवाल (अम्बिकापुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

अंबिकापुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अधिकांश P.H.C. एवं C.H.C. में एम्बुलेंस की भारी कमी है। कई स्वास्थ्य केंद्रों में एम्बुलेंस है ही नहीं और जहां है भी, वहाँ या तो वे खराब स्थिति में हैं या पर्याप्त नहीं हैं। इस कारण गंभीर मरीजों को समय पर जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज पहुंचाने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है। विशेषकर दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले गरीब एवं आदिवासी समुदाय के लोग इस असुविधा से सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं। मरीजों को निजी साधनों से लाना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता है और कई बार समय पर इलाज न मिलने से जान की हानि तक हो जाती है। यह स्थिति न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि प्रदेश की प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था की भी विफलता को दर्शाती है। अंबिकापुर विधान सभा के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में समुचित संख्या में एम्बुलेंस की उपलब्धता नहीं होने से क्षेत्र की जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री श्याम बिहारी जायसवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहना सही नहीं है कि अंबिकापुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत संचालित प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एम्बुलेंस की भारी कमी है। कई स्वास्थ्य केंद्रों में एम्बुलेंस है ही नहीं और जहां है भी, वहाँ या तो वे खराब स्थिति में हैं या पर्याप्त नहीं हैं। इस कारण गंभीर मरीजों को समय पर जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज पहुंचाने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 01, जिला अस्पताल अंबिकापुर में 07 (06 बी.एल.एस. + 01 ए एल.एस.) एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र दरिमा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लखनपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भफौली, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उदयपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बतौली, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीतापुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धौरपुर में 01-01 एम्बुलेंस तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कमलेश्वरपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुन्नी, इन स्वास्थ्य केन्द्रों में 01-01, इस प्रकार कुल 17 एम्बुलेंस उपलब्ध हैं। वर्तमान में सभी एम्बुलेंस ऑन रोड, चालू स्थिति में है व भारत सरकार के मापदण्ड अनुसार पर्याप्त संख्या में है। यह कहना भी सही नहीं है कि विशेषकर दूरस्थ एवं वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले गरीब एवं आदिवासी समुदाय के लोग इस असुविधा से सर्वाधिक प्रभावित हो रहे हैं। मरीजों को निजी साधनों से लाना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता है और कई बार समय पर इलाज न मिलने से जान की हानि तक हो जाती है, बल्कि ज्ञातव्य है कि जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से वर्ष 2023

एवं 2024 में कुल 22,979 मरीजों का आकस्मिक परिवहन कर उन्हें स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायी गई है।

यह कहना भी सही नहीं है कि यह स्थिति न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है तथा प्रदेश की प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था की भी विफलता को दर्शाती है, बल्कि भारत सरकार के मापदण्ड के अनुसार सम्पूर्ण प्रदेश में प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था के अंतर्गत 4834 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 769 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 60 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 182 शहरी उप स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से सुचारू रूप से आम जनमानस को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदाय की जा रही है, जहां उन्हें 12 प्रकार की विशेष सेवायें एवं 14 विभिन्न प्रकार की निदान सेवायें दी जा रही हैं। साथ ही अंबिकापुर जिले में 17 संजीवनी एक्सप्रेस-108 व 16 महतारी एक्सप्रेस-102 के द्वारा जनमानस को सेवायें प्रदान की जा रहीं हैं। अंबिकापुर जिले में 10 अन्य शासकीय एम्बुलेंस भी उपलब्ध हैं। जिले में चलित स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान किये जाने हेतु 01-01 ग्रामीण तथा शहरी मोबाईल मेडिकल यूनिट, 02 हाट बाजार मोबाईल मेडिकल यूनिट तथा अन्य माध्यमों से 04 वाहन भी संचालित हैं।

अतः अंबिकापुर विधान सभा के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में समुचित संख्या में एम्बुलेंस की उपलब्धता होने के कारण क्षेत्र की जनता में किसी भी प्रकार का रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लखनपुर C.H.C. में एम्बुलेंस नहीं है। आप वहां का जो एम्बुलेंस बता रहे हैं, उसको आप जी.पी.एस. में देख लीजिएगा। पिछले 8 महीनों से C.H.C. में एम्बुलेंस नहीं है। दूसरा, मरीजों की सुविधा पहुंचाने का डाटा तो है। क्या सरकार के पास ऐसा कोई डाटा संकलन किया गया है, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण उपचार में देरी या मृत्यु हुई हो? अगर वह डाटा भी हो तो बहुत अच्छा होता । हमारा क्षेत्र बहुत ज्यादा पहाड़ी, दुर्गम और ट्रायवल क्षेत्र है, नेटवर्क का भी प्राब्लम है, समय पर एम्बुलेंस नहीं होने से इसमें जनहानि भी होती है । इसके अलावा सरकार यह भी सुनिश्चित करे कि जिन एम्बुलेंसों की स्थिति जर्जर है, कंडम है, उसे समय रहते बदला जाये ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो विधान सभा है, मुझे लगता है कि प्रदेश के सभी विधानसभाओं में से सबसे ज्यादा एम्बुलेंस इनके विधान सभा में है । यहां 10 की संख्या में 108 के एम्बुलेंस हैं, मैं आपको लखनपुर सी.एस.ई. का बता रहा हूँ । आप उसका जी.पी.एस. से देख लीजिए । सी.एस.ई.लखनपुर में CG 04 MZ 1855 BLS वहां है । मैं कल उसकी फोटो भी मंगवाया था और जी.पी.एस. लोकेशन भी देखा था । माननीय सदस्य जी को यदि बोलेंगे तो उपलब्ध भी करा दूँगा । यहां मोबाईल एलाऊ नहीं है, इसके साथ-साथ दूरस्थ अंचल की बातचीत कर रहे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे दूरस्थ अंचलों के लिये 57 पूरे प्रदेश के लिये एमएमयू है, जिसमें पूरी डॉक्टर्स, दवाईयॉं,

उपकरण और ऐसे दुर्गम क्षेत्रों पर जहां विशेष पिछड़ी जनजातियॉ भी रहती है और ऐसे सरगुजा में 7 जन-मन योजना के तहत एम्बुलेंस जायेंगी, जिसका टेण्डर भी फ्लोट हो गया है, टेण्डर भी मिल गया है और मुझे लगता है कि दो-तीन महीने में यह गाड़ियॉ उपलब्ध हो जायेगी । जैसा कि माननीय सदस्य जी ने पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लचर की बात कही है, मैं जानकारी देना चाहूँगा कि हम यहां एम्बुलेंस सुविधाओं का बरसात करना चाहते हैं । मैं कोई सरकार को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पिछली सरकार में कुल 1217 परिवहन व्हीकल, एम्बुलेंस या एमएमयू चलते थे, हम उसको बढ़ाकर 1573 एम्बुलेंस या वाहन इन डेढ़ सालों में किये हैं। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से यह छत्तीसगढ़ के लिये बहुत पर्याप्त होने जा रहा है । माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सब की मॉनिटरिंग खुद करते हैं और 151 ऐसे गाड़ियों को, जो न केवल आवश्यकताअनुसार ट्रांसपोर्ट करेंगे, बल्कि उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे । हम गुरूवार को 151 गाड़ी को झण्डा दिखाकर रवाना भी करने वाले हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री राजेश अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या 108 संजीवनी और 102 महतारी एक्सप्रेस जैसे सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिये क्या कोई स्थानीय स्तर पर भी निरीक्षण तंत्र मौजूद है ? कई बार यह सेवायें समय पर नहीं पहुंचती है, स्थानीय स्तर पर कोई मॉनिटरिंग सिस्टम रहे तो हम लोगों को आसानी होती ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका पिछला सवाल भी छूट गया था । गाड़ी कंडम हो गये हैं, ऐसा बता रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- इनकी गाड़ियों को बदल दीजिए ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पूरे प्रदेश का 302 जो है, 108 चल रहे हैं, उसका टेण्डर भी हमने फ्लोट कर दिया है । 2-3 महीने के अंदर चकाचक नई गाडियॉ चलेंगी ।

अध्यक्ष महोदय :- इनके यहां नई गाड़ियॉ भिजवाईये ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- हम 75 की क्षमता बढ़ायें हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रबोध मिंज, आप भी प्रश्न कर लीजिए ?

श्री प्रबोध मिंज :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अच्छा जवाब दे रहे हैं । चूँकि ध्यानाकर्षण है, हमारा काम ध्यानाकर्षित करना है, जो जवाब आते हैं उससे सवाल भी उद्भूत होता है । वही कई जगहों पर गाडी नंबर सहित 108 की गाड़ियॉ बता रहे हैं और इन्होंने अभी कहा कि हमारे लुण्ड्रा विधान सभा के धौलपुर क्षेत्र में एम्बुलेंस उपलब्ध है और हमारे कुन्नी पीएससी में उपलब्ध है, लेकिन दोनों जगहों पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि कुन्नी क्षेत्र पूरा जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ क्षेत्र है, लखनपुर उसका ब्लॉक आफिस है, वहां

से लेकर वह करीब 32 किलोमीटर दूर है । वहां 3 साल पहले एम्बुलेंस थी, लेकिन वहां 3 साल के बाद आज भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है । जब मरीज आते हैं तो अपनी गाड़ी से लेकर आते हैं, रिफर करते हैं, किसी तरह से ले जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है । यह देखने की और संज्ञान करने की जरूरत है । रिकार्ड में तो आपकी पूरी चीजें आ जायेगी, जी.पी.एस.सिस्टम है, हमारा सब प्रकार सिस्टम उपलब्ध है, आपने मोबाईल से उपलब्धस कराने की बात कही है तो हम सब विधान सभा के लोगों को भी जोड़ दें । हम सब उस जी.पी.एस. में ट्रेस करेंगे । हमारा यही अनुरोध है ।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल, इनको जानकारी दे देंगे, ठीक बोल रहे हैं ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वाकई में प्रबोध जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और हम उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं । इस बार के टेण्डर में ऐसा सिस्टम किये हैं कि हम स्टेट से देखेंगे, जिलों में भी देखेंगे और उसे पब्लिक डोमेन में भी देखेंगे । अगर निर्धारित समय में चूंकि एम्बुलेंस (108) एक जगह खड़ी नहीं रहती । मान लीजिए कि लखनपुर की एम्बुलेंस अम्बिकापुर लाई गई है तो वहां खाली हो गया, लेकिन अगर उसी में कोई दूसरा आता है इसलिए हमारे जिला हेड क्वाटर में 6 एम्बुलेंस हैं । यह एम्बुलेंस चलती रहती है और उसकी मानीटरिंग व्यवस्था हम पब्लिक डोमन में भी देंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति देख सके कि गाड़ियां कहां चल रही हैं ? यह मैं जिम्मेदारी से सदन में घोषणा भी कर रहा हूं और कह भी रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरों टालरेंस की जो नीति है, उसको हम फालो-अप कर पाएंगे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने क्षेत्र का भी एक ध्यानाकर्षण लगाया है ।

अध्यक्ष महोदय :- उससे संदर्भित नहीं है, इससे संदर्भित प्रश्न पूछिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं, उन्हीं के विभाग का है । मंत्री जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तखतपुर में सोनोग्राफी की मशीन भेजी गई थी, पर उसमें आजतक एक भी सोनोग्राफी नहीं हुई है क्योंकि वह नकली मशीन है । कृपा करके उस ओर आप ध्यान देंगे । उसका उद्घाटन मुझसे ही कराया गया था । मुझे तो मालूम नहीं था कि सोनोग्राफी कैसे होता है । नहीं तो मैं उसी दिन पकड़ लेता । इन्हीं सब सुविधाओं के लिए यह ध्यानाकर्षण लगाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने उद्घाटन में गलत बटन तो नहीं दबा दिया ?

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, पता नहीं क्या हो गया ? मंत्री जी, आप उसको दिखवाईएगा । जरा बोल दीजिए कि मैं उसको दिखवा लूंगा ।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो आप मुझे अलग से बोल सकते थे । आपने मुझे हैड मास्टर साहब के सामने खड़ा करा दिए । निश्चित रूप से मैं उसको दिखवा लूंगा और आज ही दिखवा लूंगा ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटा सा..।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न है ?

श्री राजेश मूणत :- एक आग्रह है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप सुझाव दे दीजिए ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक आग्रह है कि राजधानी के अंदर जितनी भी पी.एच.सी. हैं, कम से कम वहां पर एम्बुलेंस (108) खड़ी हो जाये । घटना घटती है, अगर कोई दूर से आता है तो उसके लिए सुविध होगी । हम ट्रैफिक को देखें तो जिस प्रकार से रायपुर में हैवी ट्रैफिक है, अगर मुझे विधान सभा आना है तो समता कालोनी से सुबह के समय यहां आने में 40 मिनट लगते हैं । राजधानी में चारों क्षेत्र में पी.एच.सी. है, अगर वहां एक-एक एम्बुलेंस खड़ी हो जाये तो उस पूरे क्षेत्र को कवर कर लेगी, यह मेरा एक आग्रह है ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है । माननीय महंत जी अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें ।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- माननीय अध्यक्ष जी, पहले मैं आदरणीय मूणत जी की आग्रह पर अपनी स्वीकृति देता हूं । सरकार बड़ी है, चार इंजन की सरकार है । एक चार चक्कों वाली गाड़ी हर पी.एच.सी. में खड़ी हो जाये, यह हम लोग भी चाहेंगे ।

(2) रेडी-टू-ईट एवं फोर्टीफाइट आटा की आपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाले स्व-सहायता समूह का चयन कर कार्य दिया जाना

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरण दास महंत) :- अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- केन्द्र प्रवर्तित योजना सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 20 अंतर्गत पूरक पोषण आहार कार्यक्रम का क्रियान्वयन आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। रेडी-टू-ईट एवं फोर्टीफाइट आटा का निर्माण एवं आपूर्ति का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश दिनांक 20.01.2025 के द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के बलौदाबाजार, बस्तर, दन्तेवाड़ा, रायगढ़, कोरबा एवं सूरजपुर जिले में आने वाले समस्त परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के स्थान पर प्रदेश की सक्षम महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से रेडी-टू-ईट एवं फोर्टीफाईड आटा निर्माण एवं आपूर्ति संबंधी कार्य हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था। तत्पश्चात् प्रत्येक समूह हेतु आवेदनों को सूचीबद्ध कर जिला स्तर के आठ अलग-अलग विभागों के

अधिकारियों की समिति बनाकर प्राप्त आवेदनों की सूक्ष्मता से जांच कर लिस्ट बनाकर शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अंक प्रदान कर दावा आपत्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया। कोरबा जिले के बाल विकास परियोजना कटघोरा, हरदी बाजार, चोटिया एवं पसान हेतु उसी 8 अधिकारियों की समिति द्वारा दावा आपत्ति के माध्यम से अलग अलग परियोजना में चिन्हित समूहों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा निर्मित नियम प्रक्रियाओं को अतिक्रमित कर विधि विरूद्ध अंको में बढ़ोत्तरी कर मेरिट सूची में संशोधन किया गया। परियोजना पसान हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करने वाली आदर्श महिला स्व सहायता समूह को अंतिम चयन कर कार्य दिया जाकर व्यापक पैमाने पर अनियमितता एवं पक्षपात पूर्ण कार्य किया गया है। जिले के पात्र एवं अनुभवी महिला स्व सहायता समूहों को रेडी-टू-ईट से पृथक कर दिए जाने के कारण जिले की कामकाजी एवं अनुभवी स्व सहायता समूहों की महिलाओं में प्रशासन की पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया के कारण रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कथन सही है कि केन्द्र प्रवर्तित योजना सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 अंतर्गत पूरक पोषण आहार कार्यक्रम का क्रियान्वयन आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। रेडी-टू-ईट एवं फोर्टिफाईड आटा के निर्माण एवं आपूर्ति का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को दे दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश दिनांक 20-01-2025 के द्वारा चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के बलौदाबाजार, बस्तर, दन्तेवाड़ा, रायगढ़, कोरबा एवं सूरजपुर जिले में आने वाले समस्त परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के स्थान पर प्रदेश की सक्षम महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से रेडी-टू-ईट एवं फोर्टिफाईड आटा निर्माण एवं आपूर्ति संबंधी कार्य सौंपे जाने हेतु आदेश जारी किया गया था। यह कथन सही नहीं है कि जिला स्तर के 08 अलग-अलग विभागों के अधिकारियों की समिति गठन कर समूह चयन की कार्यवाही की गई है, अपितु राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में 07 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह कथन सही नहीं है कि बाल विकास परियोजना कटघोरा, हरदीबाजार, चोटिया एवं पसान हेतु समूह चयन में अनियमितता की गई है। परियोजना पसान में कुल 02 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह, बैरा का चयन शासन के नियमानुसार किया गया है। अंतिम मूल्यांकन पत्रक में टंकण त्रुटि के कारण टीप में मां लक्ष्मी स्व सहायता समूह, बैरा के स्थान पर आदर्श महिला स्व सहायता समूह का नाम टंकित हो गया, अत: यह कथन सही नहीं है कि परियोजना पसान में आदर्श महिला स्व सहायता समूह का चयन किया गया है। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पात्र एवं अनुभवी महिला स्व सहायता समूहों का ही चयन किया गया है। अतएव जनता में शासन व प्रशासन के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त होने की स्थिति नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता जी, आप इतने सम्मानित हैं, इतने मृदु हैं, इतने मधुर हैं, इतना सब चीज़ है कि आपके गुणों का मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरे पास शब्द नहीं है। आपको ध्यानाकर्षण लगाने की जरुरत क्या है? आप निर्देश कर दीजिए। सरकार आपकी बातों को सिर आंखों पर रखेगी। कहॉ आप ध्यानाकर्षण आदि में पड़े हो?

डॉ.चरणदास महंत :- आपका धन्यवाद। आपने इतना मान दिया, सम्मान दिया। काश् की यही बात आप अपने मंत्रियों को समझा देते।

श्री अजय चन्द्राकर :- समझाने की जरुरत नहीं है, मुख्य मंत्री जी कक्ष से पूरा देख रहे हैं। बल्कि आप वह बाजू वाले को समझाओ, जो आपको लाठी पकड़ने को बोलते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- ऐखर कोई सुनही त समझाही वो।

श्री अजय चन्द्राकर :- अईसे हे रामकुमार, समझगेस ना, बईला-भंईसा न होन हमन। आदमी हन। तोला बईला-भंईसा ला समझायेला आथे, आदमी ला समझायेला नई आय।

श्री रामकुमार यादव :- जे ह बईला-भंईसा ला चरा डारथे तेह सबला चरा डारथे।

डॉ.चरणदास महंत :- मैं आप सब लोगों का सम्मान करते हुए बहुत सामान्य प्रश्न पूछ रहा हूं। बहुत सामान्य, जिसमें कि परेशानी नहीं होना चाहिए। मिहला समूहों का चयन।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप मंत्री जी से बिना प्रश्न के पूछ लीजिए कि मैं कहूंगा उसे मानेंगी कि नहीं मानेंगी, तो क्या उत्तर आएगा, अभी से पूछ लीजिए।

डॉ.चरणदास महंत :- मैं उदाहरण बता दूंगा कि वह नहीं मानती हैं। महिला समूहों का चयन शासन के द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार हुआ है या जिला चयन समिति द्वारा पात्र, अनुभवी महिला समूहों का चयन करने का जो दस्तावेज जमा करना है, उसके अनुसार हुआ है? जिला चयन समिति के माध्यम से हुआ है या शासन के निर्धारित मापदंड के अनुसार हुआ है?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला समूहों के चयन हेतु शासन के निर्देशानुसार जिला स्तर पर चयन समिति गठित की गई थी, उसके आधार पर किया गया है।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, शासन का सबसे पहला मापदण्ड तो यह है कि जिस समूह के पास एक से तीन महीने तक का खर्च करने का पैसा लगभग 20 से 25 लाख रूपये नहीं होगा, उनका चयन नहीं किया जायेगा और इसमें ऐसे लोगों का चयन हुआ है जिनके पास कुछ भी नहीं है। यह चयन किस आधार पर किया गया ? मैं दो-चार जगहों के नाम बता देता हूं जैसे हरदी बाजार, चोटिया, कटघोरा, पसान, कोरबा शहरी एवं ग्रामीण, इन इलाकों में शासन के निर्देश के अनुसार चयन नहीं हुआ है, यह मेरा आरोप है। इसके बारे में आपका क्या कहना   है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब रेडी टू ईट संचालन के लिए जिला स्तर पर हमारी सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 जिलों को लिया तो उस समय साफ निर्देश किया गया

है कि महिला स्वयं सहायता समूह आवेदन देंगी। इसके तहत हमने ऐसी महिलाओं एवं ऐसे समूहों को लिया है जो सक्षम हो और हमने निर्देश के तहत यह प्रक्रिया भी जारी की है कि हम ऋण के माध्यम से या जिला स्तर के स्थानीय मद से सहायता करेंगे ताकि उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, पसान परियोजना में दो महिला समूहों ने आवेदन किया था और दोनों को 85-85 अंक मिले। अब इसमें किसी अन्य का चयन कर लिया गया जिसने आवेदन ही नहीं दिया था और जो उस क्षेत्र में निवास भी नहीं करते हैं और उन दोनों का चयन नहीं किया गया। यह तो पूरी तरह से नियमों के विरूद्ध है। (शेम-शेम की आवाज) आपने उसका चयन कैसे कर लिया ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी, आप केवल सीधे-साधे, सहज और प्रतिष्ठित माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कह दीजिये। आप सिर्फ माननीय कह देंगी तो वह कैसे सवाल नहीं पूछेंगे।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता जी हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं और जैसा कि माननीय चन्द्राकर जी ने पहले ही कहा कि यदि आप सिर्फ आदेशित कर देते तो हम उस आधार पर आपका कार्य कर देते। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। (मेजों की थपथपाहट) लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का सवाल है कि पसान में दो आवेदन भरे गये थे जिसमें मां लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, बैरा और जय मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अपने वक्तव्य में पहले ही कहा कि अंतिम मूल्यांकन पत्रक में टंकण त्रुटिवश आदर्श स्वयं सहायता समूह का चयन किया गया। लेकिन जब अंतिम सूची जारी हुई तो उसमें मां लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, बैरा का ही चयन किया गया ।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी टंकण त्रुटि करते थे। चंद्राकर जी, टंकण त्रुटि में "अ" की जगह बत्तख का "ब" हो जाता है, "श" की जगह सरोते का "स" हो जाता है, वह तो समझ में आता है। लेकिन पूरे समूह का नाम बदल जाये और "अ" की जगह "की" हो जाये, ऐसा तो नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो 7 लोगों का चयन किया, मैं मंत्री जी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। चयन समिति ने जो पहले..।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, रेमिंग्टन का जो टाइपराइटर आता था।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह किस नियम प्रक्रिया के तहत बार-बार खड़े हो रहे हैं यह बता दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपके मोशन में तो खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के मोशन में खड़ा हुआ हूं। वह पुराने वाले टाइपराइटर में टाइप हुआ है।

डॉ. चरणदास महंत :- चलिये, मैं end करता हूं।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, यह लगातार ऐसे ही डिस्टर्ब कर रहे हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूं।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, इनको यूक्रेन और रूस युद्ध के समझौता के लिए भेज दिया जाये।

डॉ. चरणदास महंत :- अध्यक्ष महोदय, एक विचित्र बात है कि पहले आवेदन पत्र में उनको जो नंबर दिये जाते हैं, उसमें कोरबा ग्रामीण का 74 अंक से 82 अंक हो जाते हैं। पोड़ी उपरोड़ा में जिसको 77 अंक मिलते हैं उसको दूसरे चरण में 85 अंक मिल जाते हैं। पसान में जो मां लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह है उसके सिर्फ 56 अंक थे और जब अंतिम सूची बनती है तो उसके 85 अंक हो जाते हैं। हरदी बाजार में मां दुर्गा महिला समिति को 67 अंक मिले थे जिसको अंत में 85 अंक मिल गये। कटघोरा में जय दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह को 68 अंक मिले थे जिसको 83 अंक मिल जाते हैं। कोरबा शहरी में मां तुल्सी स्वयं सहायता समूह का 81 अंक था जिनका अंक बाद में 89 हो जाता है। चोटिया में जो महिला समूह था उसके मात्र 52 अंक थे जो बाद में 72 अंक हो जाते हैं। बरपाली में मां राधिका स्वयं सहायता समूह के 50 अंक थे जो बाद में 70 अंक हो जाते हैं। बरपाली में दूसरा महिला स्व-सहायता समूह मड़वारानी है, उसका मात्र 40 नंबर था और अपात्र थी, उसका बढ़कर 67 नंबर हो जाता है और वह पात्र हो जाती है। पाली में जो प्रगति महिला स्व-सहायता समूह है, उसका एक ही नंबर बढ़ता है वह 84 नंबर से 85 नंबर हो जाता है। करतला में जो सोनिया महिला स्व-सहायता समूह है शायद आपने उसका दूसरा नाम समझ लिया होगा। उसका 36 नंबर था, उसका 56 नंबर हो जाता है। तो चयन समिति में जो 7 सदस्यों की समिति बनी थी, उसमें एक सप्ताह के अंदर में जिन महिला स्व-सहायता समूहों के नंबर कम थे उसे बढ़ा दिया गया। मैं माननीय मंत्री महोदया आपसे यह निवेदन करता हूँ कि क्या आप उन अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे ? या आप जांच करायेंगे, जिन्होंने इस कदर स्व-सहायता समूहों के नंबर बढ़ा-बढ़ा कर, अपने स्व-सहायता समूहों को दिया है। मेरा केवल इतना ही प्रश्न है।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई कार्यवाही का कारण ही नहीं बनता। क्योंकि रेडी-टू-ई एवं फोर्टीफाईट आटा की आपूर्ति हेतु आवेदन प्राप्त करने के बाद, किसी स्व-सहायता समूह द्वारा किया जाता है तो अगर दावा आपत्ति में किसी स्व-सहायता समूह को यह लगता है कि हमारा अंक कम है और हमें इस अंक के अनुसार, अंक प्राप्त नहीं हुआ है तो उनके द्वारा दावा-आपत्ति करने के बाद, उन्हें अंक दिया गया है तो उसकी वजह से उनके अंक में बढ़ोत्तरी हुई है।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय जी से कहना चाहती हूँ कि आप माननीय मंत्री महोदया जी को बधाई भी दे दीजिए कि उन्होंने रेडी-टू-ई एवं फोर्टीफाईट

आटा स्व-सहायता समूह से दिलवाना प्रारंभ किया है। आप लोगों की सरकार में आपने स्व-सहायता समूह से हटाकर, ठेकेदारों और सप्लायरों को आपूर्ति हेतु दे दिया था। (मेजों की थपथपाहट) आप एक बार माननीय मंत्री महोदया जी को बधाई दे दीजिए कि अब इसमें गड़बड़ नहीं हो रहा है।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी बहन जी ने कहा कि आप माननीय मंत्री महोदया जी को बधाई दे दीजिए, मैं उनको बधाई दे देता हूँ। मैं चार चक्के और चार इंजन वाली सरकार को भी बधाई दे देता हूँ। आप सबको यह दे रहे हैं मगर ऐसा तो नहीं है कि आप चाहे तो जिस स्व-सहायता समूह का नंबर बढ़ा दें, आपका स्व-सहायता समूह है तो उसे दे दें और उसका स्व-सहायता समूह है तो उसे दे दें। यह सब समितियां तो आप ही की हैं, यह हमारी नहीं है। हमारे समय में तो हमने यह बंद कर दिया था। यह जितनी समितियां हैं, यह आपकी हैं, यह हमारी नहीं है।

सुश्री लता उसेण्डी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने उसका ठीक परीक्षण नहीं किया, उसमें आपकी भी समितियां हैं, केवल हमारी समितियां नहीं हैं।

डॉ. चरणदास महंत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें बहुत कम हमारी समितियां हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि जो आपने इसके लिए नियम प्रक्रिया बनायी है, उस नियम प्रक्रिया के अंतर्गत यह नियम है कि अगर कोई स्व-सहायता समूह पहले से [XX][4] है तो उसे अभी के चयन में नहीं लिया जायेगा, क्या ऐसा नियम है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मुझे यह पता चला कि माननीय सदस्य महोदय जी ने इस विषय में ध्यानाकर्षण लगाया, लेकिन वह नहीं आ पाया। तो मैं उस विषय पर गई, मैंने उसका अध्ययन किया तो मुझे यह पता चला कि जब आपकी सरकार थी, उस समय स्व-सहायता समूहों के माध्यम से जिन महिलाओं ने ऋण लिया था, उनका कर्ज माफ हुआ था उनकी कर्ज माफी के बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो [XX] का शब्द उच्चारण हो रहा है तो उस समय सरकार इनकी थी।

अध्यक्ष महोदय :- [XX] यह शब्द विलोपित करें।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि किसी की भी सरकार हो, अगर उनके द्वारा स्व-सहायता समूहों का कर्ज माफ किया जा रहा है तो क्या उसे [XX] की श्रेणी में लाकर, उन्हें अपमानित करेंगे ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह बताईये कि क्या यह नियम में है ? मेरा केवल इतना प्रश्न है कि उसे अभी के चयन में नहीं लिया जायेगा, क्या ऐसा नियम है ? यह नियम है या नहीं ? मेरा प्रश्न प्वाईंटेड है...।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका संचालन पिछले समय ...।

---

[4] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकला गया.

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या उन्हें इतना ज्यादा अपमानित करके, कर्ज माफ करेंगे क्या ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न प्वाईंटेड है क्या नियम और प्रक्रिया में जिन्होंने यह रेडी-टू-ई चलाया और जो [XX] [5] है तो उन्हें इसकी आपूर्ति हेतु दिया जायेगा या नहीं दिया जायेगा ? आप मुझे केवल इतना बता दीजिए?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो आवेदन आने के बाद विभाग उनका परीक्षण करेगा जो समिति गठित की गई है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह आपके नियम में [XX] को देने का नियम है ?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य महोदय जी को बताना चाहूंगी कि जो कमेटी गठित की गई है, वह कमेटी निर्णय करेगी कि वह [XX] की श्रेणी में आ रही है या नहीं आ रही है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता जी बड़ा आश्चर्य है ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया साफ असत्य बोल रही हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय नेता जी, बड़ा आश्चर्य है, आपके ध्यानाकर्षण में आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, यह डिस्टर्ब कर रहे हैं। यह बहुत गंभीर मामला है, आप सुन लीजिए जरा क्या है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह बहुत गंभीर विषय है, नेता जी, अपना प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त हैं।

श्री उमेश पटेल :- आप मत करिये न। माननीय मंत्री जी, सक्षम हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- भूपेश बघेल जी के कहने पर माननीय नेता जी के ध्यानाकर्षण को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से खड़ा हूं। मेरा ध्यानाकर्षण इस विषय पर लगा हुआ है, यह नहीं आ पाया इसलिए मैं उनकी अनुमति से खड़ा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- भूपेश बघेल जी के कहने से नेता जी को डिस्टर्ब कर रहे हो।

श्री उमेश पटेल :- आप परेशान कर देते हैं।

डॉ. चरणदास मंहत :- चन्द्राकर जी, ये इतनी मोटी किताबे हैं, पत्रक हैं जो उन 7 अधिकारियों ने गड़बड़ी की है। मैं आपके कहने से छोड़ रहा हूं इसका मतलब नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो आपकी क्षमता का नमन कर रहा था।

---

[5] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप आखिरी प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, इस विधान सभा में साफ गलतबयानी कर रही हैं। इनके नियम प्रक्रिया में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आरोप है।

श्री उमेश पटेल :- हां, मेरा आरोप है।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिना तथ्य के साबित हुए कोई आरोप नहीं लगा सकते।

श्री उमेश पटेल :- अभी मैं साबित करूंगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- ये साबित हो जायेगा।

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- अभी साबित होगा। .. (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा आरोप नहीं लगाया जाता।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास प्रमाण है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि प्रमाण है तो क्या उसको लगाये हैं?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 1 घंटे के अंदर टेबल करूंगा प्रमाणित भी करूंगा कि माननीय मंत्री जी विधान सभा में गलतबयानी कर रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया में बहुत स्पष्ट है कि अगर कोई समूह [XX][6] है तो उसे नया रेडी-टू-ईट नहीं दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, चलिये, ठीक है माननीय मंत्री जी यह कहती हैं कि चयन समिति यह निर्णय करेगी। क्या चयन समिति ने यह निर्णय किया कि वह [XX] नहीं है। अगर [XX] नहीं है तो उसने कितने सालों का पैसा जमा नहीं किया?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब समूहों की प्रक्रिया चलती है, जब स्व-सहायता समूहों की बात आती है तो विभाग पूरी स्पष्टता के साथ चयन करता है। जैसे कि माननीय सदस्य जी ने कहा कि शासन के निर्देश में है या नहीं? तो मैं उन्हें बता देना चाहूंगी कि ऋण माफी में समूहों को [XX] समूह नहीं कह सकते। शासन के नियम में आपराधिक गतिविधि को अपात्र करने का प्रावधान रखा गया है।

श्री उमेश पटेल :- आप यह बता दीजिए कि कितने सालों से उसने पैसा जमा नहीं किया था?

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डिटेल जानकारी दे दूंगी।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, डिटेल जानकारी दे देंगी।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गलत तरीके से उस समूह को इनके द्वारा दिया गया है। वह [XX] है। उसने 02 साल से पैसा नहीं किया था। इनके सारे अधिकारी जानते हैं और दबीजुबान में कहते हैं कि ऊपर से दबाव था इसलिए इसको देना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, चौथे नंबर

[XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

पर आने वाले समूह को यह पहले नंबर में जाकर रेडी-टू-ईट की सुविधा दे रहे हैं। यह किसका दबाव है ? किस व्यक्ति का दबाव है कि जो चौथे नंबर पर आने वाले व्यक्ति को पहले नंबर का दे रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- उमेश जी, उसमें अध्यक्ष जी की व्यवस्था आ गई है। आपको पूरी जानकारी देंगे।

श्री उमेश पटेल :- आपको क्या पड़ी है ? आप मंत्री नहीं हैं, आप थोड़ी देर बैठिये न। आप माननीय मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, चौथे नंबर का जो महिला समूह है, उसको पहला नंबर कर दिया गया। [XX] [7] है, उसने 02 साल से पैसा नहीं किया। उसे पिछली बार जो ऋण माफी की सुविधा थी, वह भी नहीं मिल पाई, क्योंकि वह लगातार डिफाल्ट हो रहा था। आप इस बात को संज्ञान में लीजिए और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करिये जिन्होंने ये गलत तरीके से चौथे नंबर के महिला समूह को पहले नंबर पर किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, ठीक है। जानकारी उपलब्ध करा दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- नहीं, यह तो बता दें कि अगर सही पाया गया तो यह कार्रवाई करेंगे या नहीं ? वह चौथे नंबर की है।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यापक शिकायक है, सदन में घोषणा होनी चाहिए। अभी केवल 6 जिला है।

श्री उमेश पटेल :- एक-एक प्वाईंट में जहां-जहां दावा आपत्ति करना था, दावा आपत्ति भी की गई। अध्यक्ष महोदय, बड़ी बात यह है कि दावा आपत्ति बिना निराकरण करे उसे चौथे नंबर की महिला समूह को पहला किया गया है। यह तो घोर भ्रष्टाचार है। आपका इसमें संज्ञान चाहिए। आप आदेशित कर दीजिए कि इसमें वह जांच करा लें। अगर सही पाया जाये तो उसके बाद दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि आप आदेशित कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आपको कुछ बोलना है।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य का कहना है कि 2 साल से पैसा जमा नहीं किये हैं, अगर स्व-सहायता समूह का चयन हुआ है और यह इस शब्द को बार-बार कह रहे हैं कि [XX] है तो यह [XX] शब्द क्यों आ रहा है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जी को यह कहना चाहूंगी कि आखिर यह क्यों बार-बार [XX] कह रहे हैं ? हमने स्वयंसहायता समूह की महिलाओं का ऋण माफ किया है न कि उनके ऊपर एहसान किया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- वह समूह कांग्रेसी हो गये इसलिये [XX] कह रहे हैं ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बिना नियम-प्रक्रिया के उस समूह को क्यों दिया ? आप यह बताईये कि क्या आप इस पर कार्रवाई करेंगे ? (व्यवधान)

[XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत हो गया । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घोर भ्रष्टाचार है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- ध्यानाकर्षण । चलिये, हो गया । (व्यवधान)

श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल :- यह उन महिलाओं के साथ अन्याय किया है, इतने दिनों तक नहीं किया तो आप लोग तो समझदार हैं । (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय मंत्री जी, आप जांच कराने के लिये क्यों तैयार नहीं हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये । (व्यवधान)

श्री सुशांत शुक्ला :- क्या महिलाओं के लिये आपके मन में पीड़ा नहीं थी ? आप बताईये । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- आपने कहा था । यह भ्रष्टाचार आप करवा रहे हैं । (व्यवधान) मेरा आरोप है । (व्यवधान)

समय :

12.51 बजे

बहिर्गमन

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में

(माननीय सदस्य, श्री उमेश पटेल के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।)

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सदन सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय उप मुख्यमंत्री लोकनिर्माण विभाग की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष एवं पत्रकारों के लिये प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक-3, श्रीमती शेषराज हरवंश जी अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ेंगी ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य सदन में आये)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(3) वन मंडल बलौदाबाजार तथा रायपुर में अवैध शिकार एवं आरा मिलों में अवैध काष्ठ का व्यापार होना ।

श्रीमती शेषराज हरवंश (पामगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है ।

श्री अजय चंद्राकर :- किस प्रकार है ?

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ सदस्य डिस्टर्ब न करें ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप पढ़िए । आप डिस्टर्ब मत करिये ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वन मंडल बलौदाबाजार तथा रायपुर में वन प्राणियों का अवैध शिकार, आरा मिलों में अवैध काष्ठ का भंडारण तथा अवैध व्यापार की घटनाएं बड़ी संख्या में हो रही है । बारनवापारा का जंगल शिकारियों के लिए स्वर्ग की तरह है । वहां अवैध शिकार वनकर्मियों के संरक्षण में पूरे वर्षभर होता है इसे रोकने के लिये जानबूझकर समुचित उपाय नहीं किये जाते हैं क्योंकि अवैध शिकारियों से निहित स्वार्थों की पूर्ति होती है । 2022 में तो अवैध शिकार के एक प्रकरण में फारेस्ट गार्ड वसीम कासिफ (खान) भी अन्य तीन शिकारियों के साथ पकड़ा गया था । चारों को जेल भेजा गया था परंतु वन विभाग की उपेक्षापूर्ण कार्यवाही एवं पक्ष समर्थन के कारण शीघ्र ही सभी जमानत पर छूट गये और उस वनकर्मी को कुछ दिनों के लिए निलंबित करके बहाल भी कर दिया गया और रायपुर में ही पदस्थापना कर दी गई । यही वनकर्मी 2025 में एक और अवैध शिकार के प्रकरण में भी संलिप्त रहा है परंतु इस प्रकरण को भी रफा-दफा कर दिया गया है । अवैध शिकार के बारनवापारा प्रकरण में गिरफ्तार वनकर्मी के प्रति विभाग की अति उदारता आश्चर्यजनक है । आरा मिलों में अवैधानिक काष्ठ की जांच में 2025 में कई आरा मिलों को सील किया गया था परंतु कुछ ही दिनों में सभी प्रकरण रफा-दफा कर दिये गये, इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है । वन संरक्षक रायपुर तथा वन मंडलाधिकारी रायपुर के संरक्षण में अवैध शिकार, अवैध वृक्ष कटाई, आरामिलों में अवैध काष्ठ का व्यवसाय आदि फल-फूल रहे हैं । वन्य प्राणियों तथा वृक्षों की अपूर्णनीय क्षति हो रही है परंतु लम्बी अवधि से पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी उद्दंडता और दुस्साहस पूर्वक अवैध कार्यों को संरक्षण देते हैं और निहित स्वार्थों की पूर्ति करते हैं । अवैध शिकार तथा अवैध काष्ठ के व्यापार की घटनाएं बड़े पैमाने पर होने, अधिकारियों का संरक्षण होने, कार्यवाही नहीं होने के कारणों से आम जनता में शासन एवं प्रशासन के प्रति आक्रोश व्याप्त है ।

वन मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वनमण्डल बालौदाबाजार तथा रायपुर में वन्यप्राणियों का अवैध शिकार, अवैध कटाई तथा आरामिल में अवैध काष्ठ का व्यापार की घटनाएं बढ़ने एवं इसे रोकने के लिए जानबूझकर समुचित उपाय नहीं किये जाने की बात सही नहीं है । इसी प्रकार

बारनवापारा का जंगल शिकारियों के लिए स्वर्ग होने तथा वहां वनकर्मियों के संरक्षण में अवैध शिकार होने देने एवं इसे रोकने के लिए जानबूझकर समुचित उपाय नहीं किये जाने की बात सही नहीं है । जहां तक वर्ष 2022 के अवैध शिकार का प्रश्न है स्थिति यह है कि दिनांक 18.06.2022 को ग्रामीणों द्वारा बलौदाबाजार वनमण्डल के वनअमला को यह सूचना दी गयी कि ग्राम पीपरछेड़ी शासकीय स्कूल के पास एक वाहन CG 04 NS 1123 संदिग्ध अवस्था में खड़ी है। मौके पर परिक्षेत्र सहायक बल्दाकछार एवं परिसर रक्षक मुढ़ीपार के द्वारा जाकर स्थानीय सरपंच एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में वाहन की तलाशी ली गयी तथा उक्त वाहन में बंदूक, कुल्हाड़ी तथा अन्य धारदार हथियार इत्यादि पाया गया। उक्त घटना की सूचना वन अमले की उपस्थिति में स्थानीय सरपंच पीपरछेड़ी द्वारा कसडोल पुलिस को दी गयी। कसडोल पुलिस द्वारा उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट 470/22 दिनांक 18.06.2022 दर्ज किया गया तथा वसीम कासिफ वनरक्षक रायपुर, साहिद नकबी, आनंद श्रीवास्तव एवं अब्दुल हमीद को गिरफ्तार करते हुए उनके विरूद्ध वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 9, 41, 51 तथा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। उक्त अपराध प्रकरण में संलिप्तता पाये जाने के आरोप में वसीम कासिफ वनरक्षक को मुख्य वन संरक्षक रायपुर के आदेश क्र. 461 दिनांक 24.06.2022 द्वारा निलंबित किया गया। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कसडोल द्वारा दिनांक 28.03.2023 को घोषित निर्णय में चारों आरोपियों को दोषमुक्त किये जाने के पश्चात् मुख्य वन संरक्षक रायपुर के आदेश क्र. 212 दिनांक 22.05.2023 के द्वारा श्री वसीम कासिफ वनरक्षक को बहाल करते हुए अनुसंधान एवं विस्तार वनमण्डल रायपुर में पदस्थ किया गया। इसी वनकर्मी वसीम कासिफ वनरक्षक के वर्ष 2025 में अवैध शिकार प्रकरण में लिप्त रहने की बात सही नहीं है। जहां तक आरामिल में अवैध काष्ठ का भंडारण तथा अवैध व्यापार का प्रश्न है, इस संबंध में स्थिति यह है कि वनमण्डल रायपुर तथा बलौदाबाजार में निर्धारित रोस्टर अनुसार आरामिलों का निरीक्षण किया जाता है तथा अवैध संचालन एवं अवैध काष्ठ भंडारण का प्रकरण प्रकाश में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2025 में कई आरामिलों को सील करने तथा कुछ ही दिनों में भ्रष्टाचार कर रफादफा किये जाने की बात सही नहीं है। बल्कि सही यह है कि वर्ष 2025 में रायपुर वनमण्डल अंतर्गत कुल 2 आरामिल में अवैध काष्ठ के भंडारण का प्रकरण प्रकाश में आया था तथा एक आरामिल में लायसेंस के अतिरिक्त 1 बैण्ड सॉ एवं 1 ट्रॉली का अवैध रूप से चलाया जाना पाया गया। 2 प्रकरणों में नियमानुसार रूपये 34,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया तथा 1 प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बलौदाबाजार वनमण्डल अंतर्गत अवैध आरामशीन संचालन का 1 प्रकरण प्रकाश में आया था, जिस पर रूपये 20,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अतः आरामशीन अपराध से संबंधित उपरोक्तानुसार समस्त प्रकरणों में काष्ठ चिरान अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की गयी है। उपरोक्त कार्यवाही से स्पष्ट है कि विभागीय अमला अवैध

शिकार, आरामिल संबंधित अपराध, अवैध कटाई इत्यादि समस्त वन अपराधों को रोकने हेतु सजग है। वन संरक्षक, रायपुर तथा वनमण्डलाधिकारी, रायपुर के संरक्षण में अवैध शिकार, अवैध कटाई तथा आरामिलों में काष्ठ का व्यवसाय आदि फलने-फूलने, वन्यप्राणियों तथा वृक्षों की अपूरणीय क्षति होने की बात सही नहीं है। लम्बी अवधि से पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी द्वारा उदण्डता और दुस्साहसपूर्वक अवैध कार्यों को संरक्षण देने की बात भी सही नहीं है। विभाग द्वारा वन अपराध के प्रति सजग रहने तथा वन अपराध के प्रकरणों पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही के कारण आम जनता में किसी प्रकार का रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिसंबर, 2022 से प्रदेश में पेड़ों की कटाई बड़े पैमाने पर कराई जा रही है। वन्य प्राणियों का शिकार और आरा मिलों द्वारा काष्ठ की अवैध व्यापार की घटनाएं भी बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी हैं। वन मण्डल, बलौदाबाजार जिसके अंतर्गत बारनवापारा अभ्यारण्य आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन मण्डल, रायपुर में जंगल तो है ही नहीं, किंतु आरा मिलों की बहुत बड़ी संख्या है, जहां काष्ठ का अवैध व्यापार होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या यह सही नहीं है कि उसमें अनेक घटनाओं के तथ्यों को छिपाया गया है? वन विभाग अपराधियों को बचाना चाह रहा हैं । सोशल मीडिया में प्रसारित अनेक सी.डी. जो अवैध शिकार से संबंधित है, मैं उसे मंत्री जी को बाद में उपलब्ध करा दूंगी, यहां पर सी.डी. अलाऊ नहीं है इसलिए मैंने यहां नहीं रखा है । किंतु उसमें स्पष्ट पाया गया है कि हिरण की सिंग के साथ हिरण की खाल भी उसमें दिखाया जा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या इसकी जानकारी मंत्री जी को नहीं है ।

श्री केदार कश्यप :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने जो ध्यानाकर्षण लाया है, उसके उत्तर में मैंने स्पष्ट किया है और विभाग पूरी तरह से सक्षम है । यदि कहीं पर कोई अवैध कटाई होती है या अवैध परिवहन हो रहा है या फिर अवैध तरीके से वन्य जीवों का शिकार किया जा रहा है । यदि आपके संज्ञान में है तो उसकी जानकारी उपलब्ध कराइए, हम उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे । यदि हम पिछले डेढ़ वर्षों की बात करें तो मेरे पास पूरे रिकॉर्ड हैं, उसके तहत हमारी सरकार ने ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की है और आप कह रही हैं कि आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है तो वह कहां का होगा यह तो मुझे नहीं मालूम । लेकिन आप उसकी जानकारी उपलब्ध कराइए । उसके आधार पर हम दिखवाएंगे ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- अध्यक्ष महोदय, 28 अप्रेल, 2025 को रायपुर में एक वाहन की जांच में हिरण के सिंग, जिसका मैंने ज़िक्र किया और हिरण की खाल वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ी, जिसमें वन विभाग के कर्मचारी संलिप्त हैं । जिसमें यासिर खान और फ़राज खान को पकड़ा गया है । परंतु मंत्री जी इसका उल्लेख यहां नहीं कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी को सी.डी. उपलब्ध करा दूंगी ।

उस सी.डी. को फुर्सत के क्षण में देखने के बाद क्या उस पर कार्रवाई करेंगे, यदि उसमें सही पाया गया तो ?

अध्यक्ष महोदय :- आराम से सी.डी. देख लें उसके बाद आप विचार करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, इसमें यक्ष प्रश्न यह है कि मंत्री जी के पास सी.डी. देखने की फुर्सत है या नहीं है ? या फिर वे किस तरह की सी.डी. देखते हैं वह बता दें ।

श्री केदार कश्यप :- अब सी.डी. का जमाना नहीं रहा है । सी.डी. का जमाना खत्म हो गया ।

श्रीमती शेषराज हरवंश :- अध्यक्ष महोदय, सोशल मीडिया को यहां नहीं दिखा सकते इसलिए सी.डी.उपलब्ध करा दूंगी ।

अध्यक्ष महोदय :- उनको दे दीजिए, बता दीजिए ।

(4) प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में निरंतर वृद्धि होना.

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद), श्री धर्मजीत सिंह, श्रीमती भावना बोहरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- प्रदेश में बढ़ती बांग्लादेशी घुसपैठ राज्य की आंतरिक व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये बढ़ी समस्या बनती जा रही हैं जहां निरंतर इनकी इनकी संख्या तेजी के साथ बढ़ रही हैं, जिसके कारण राज्य में क्राईम भी बढ़ रहा है और प्रदेशवासियों की सरकारी संसाधनों का उपभोग भी किया जा रहा हैं। वही आतंकवाद निरोधक दस्ता (ए.टी.एस.) के अनुसार विगत 2 वर्ष पूर्व, पश्चिम बंगाल के रास्ते घुसपैठ कर बिहार, झारखंड होते हुये लगभग 5000 बांग्लादेशी छत्तीसगढ़ आने का अनुमान है। जिसका अनुमान सही भी होता नजर आ रहा है, हाल ही में कई घुसपैठियों का छत्तीसगढ़ में रहने का पुख्ता भी हो चुका है । जहां सिर्फ बिलासपुर में ही 300 वांग्लादेशी घुसपैठ होने का संदेह है। बीते कई वर्ष से घुसपैठ कर रहे हैं जहां जिला दुर्ग के भिलाई शहर में दो घुसपैठियों की पहचान की गयी वहीं राजधानी रायपुर के भाटागांव, न्यू-राजेन्द्र नगर, पुराना धमतरी रोड, लालपुर, टिकरापारा और संतोषीनगर अंतर्गत रह रहे हैं और नशा, तस्करी, लूट-पाट, चाकूबाजी व अनैतिक कृत्य के जरिए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यदि जिला के अनुरूप देखा जाये तो राज्य के लगभग सभी जिलों मे वांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठ कर अपना कब्जा जमाये बैठे हुये हैं अधिकांश सुदृढ़ क्षेत्रों में ही चुपके से रह रहे हैं जहां पूछ-परख कम है ऐसी जगहों का चुनाव करते है, बस्तर व सरगुजा संभाग जहां पहाड़ी क्षेत्रों में इनकी बसाहट विगत पांच वर्षों में निरंतर बढ़ती ही गयी है, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ वर्षों बाद छोटा बांग्लादेश ही ना बन जाये। इसके साथ-साथ बड़े शहरों जैसे रायपुर, बिलासपुर व दुर्ग में भी इनकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसके साथ-साथ अंतराष्ट्रीय गिरोह से भी इनका लिंक जुड़ा हुआ है व आतंकी गतिविधियों से भी जुड़े होने की आशंका हैं, किन्तु विचारणीय योग्य यह है कि इनके पास देश व

राज्य में रहने के लिये पर्याप्त शासकीय दस्तावेज भी हैं और उन दस्तावेजों का उपयोग कर सभी प्रकार के शासकीय योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं, जिसमे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट यहां तक की बैंक एकाउंट तक खोले गये हैं जो बहुत ही आश्चर्यजनक हैं। ऐसे में यह सिद्ध होता है कि राज्य की सरकारी तंत्र भी ऐसे घुसपैठियों का खुले तौर पर मदद कर रही हैं और उपयुक्त दस्तावेज धड़ल्ले से बनाया जा रहा है जो की राज्य विरोधी कार्यों में संलिप्तता को दर्शाता है । वहीं राज्य का प्रशासन ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाने हेतु कोई कड़ा नियम-कानून अभी तक नहीं बन पाया है जिसके कारण बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों के हौसले बुलंद हो गये हैं। वहीं प्रदेश में इनकी बढ़ती जनसंख्या व क्राईम के कारण भय का माहौल बना हुआ है जिसके कारण प्रदेशवासियों में प्रशासन के खिलाफ काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

समय :

1.05 बजे **(सभापति महोदय (श्री प्रबोध मिंज) पीठासीन हुए)**

उप मुख्यमंत्री (गृह) श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि राज्य का सरकारी तंत्र घुसपैठियों की खुले तौर पर मदद कर रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्र एवं राज्य की आंतरिक सुरक्षा हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के विरूद्ध समुचित जांच कर त्वरित वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। अवैध अनाधिकृत प्रवासियों की जांच हेतु मानक संचालन प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश प्रदेश के समस्त पुलिस अधीक्षकों को समय-समय पर जारी किये गये हैं।

इस संदर्भ में जिला दुर्ग में 04 अपराध दर्ज कर 11 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिला रायपुर में 03 अपराध दर्ज कर 06 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है जिला बिलासपुर में 01 अपराध दर्ज कर 01 आरोपी की गिरफ्तारी की गई है।

राज्य में अवैध अनाधिकृत प्रवासियों की पतासाजी हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा जिलों में स्पेशल टॉस्क फोर्स का गठन कर संदिग्धों की पहचान कर समुचित वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। शासकीय पहचान दस्तावेजों की प्रमाणिकता व सत्यापन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अवैध अनाधिकृत प्रवासियों की गतिविधियों के सबंध में जानकारी हेतु आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु टोल फ्री नंबर 1800-233-1905 जारी किया गया है।

शासन द्वारा लगातार अवैध अनाधिकृत प्रवासियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, जिससे आम जनता में शासन प्रशासन के प्रति किसी प्रकार का रोष व आक्रोश व्याप्त नहीं है तथा जनता में पुलिस प्रशासन की त्वरित कार्यवाही के प्रति संतोष एवं विश्वास कायम है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने जिन मुद्दों को ध्यानाकर्षण में लिखा है, उन मुद्दों को उत्तर में सम्मिलित नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी, आपके विभाग के अधिकारीगण भी बैठे हैं, ये आप जो कर रहे हैं, उसको लिख दिए या नहीं कर रहे हैं उसको लिख दिए। नियमत: जो ध्यानाकर्षण के मुद्दे हैं, वह उत्तर में आना चाहिए । माननीय सभापति महोदय, आप सरगुजा से आते हैं, कांग्रेस का शासन था, टी.एस.बाबा साहब ने मंत्री रहते हुए चिट्ठी लिखी, अंबिकापुर में महामाया पहाड़ या कोई पहाड़ है, उसमें रोहिंग्या मुसलमान आकर बस रहे हैं, उन्होंने अपने शासन में, अपने विभाग में मंत्री रहते हुए चिट्ठी लिखी। ये एक राष्ट्रीय समस्या है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति मध्य, नार्थ ईस्ट या असम की पूरी डेमोग्राफी बिगड़ गई। पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी बिगड़ रही है, लोग कह रहे हैं कि कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल के कुछ जिले बांग्लादेश बन ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। पहली बार किसी बुद्धिष्ठ को हिंसक होते बरवा में देखा गया। रोहिंग्या को उनकी गतिविधियों के कारण यहां से हटाईए, वे हिन्दुस्तान आए। आज की तारीख में जब इनके पर्याप्त निर्देश है, इन्होंने उत्तर में कहा है कि समुचित व्यवस्था है, एस.टी.एफ. है सब चीज है तो आखिर चार स्टेट क्रॉस करके छत्तीसगढ़ कैसे आ गए और उनके सारे कागजात कैसे बन गए, गृह विभाग क्या कर रहा था ? जो उत्तर दिया है यदि हम उसको माने तो। आप कितने गंभीर हैं या आपके उत्तर में गंभीरता नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपकी समुचित कार्रवाई हो रही है तो कौन-कौन सी कार्रवाई है जो समुचित है, जिसके बाद भी घुसपैठ हो रहे हैं। आपने क्या-क्या कार्रवाई की है, जिसको समुचित मानते हैं ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय विष्णु देव जी की सरकार में अब तक विशेषकर घुसपैठियों के लिए सर्वाधिक कार्रवाई की गई है। एस.टी.एफ. का गठन भी प्रदेश में पहली बार ही हुआ है, इससे पहले नहीं हुआ था। एस.टी.एफ. के गठन के बाद इसके प्रापर एस.ओ.पी. जारी किए गए हैं। इसमें जो दस्तावेज बनकर आते हैं, वे छत्तीसगढ़ में ही बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में कोई नहीं बनाए जा रहे हैं, परंतु आधार कार्ड यह कहीं और से भी लेकर आते हैं। आने के बाद यहां हम लोगों ने परीक्षण करने के लिए mAadhaar एक ऐसा एप्लीकेशन और भी ट्रेण्ड करके नीचे फोर्स को यह कहा गया है कि उसके आधार पर आप इसको चेक करें। उसकी भी चेकिंग हो रही है। दस्तावेजों के बहुत ज्यादा बन जाने के कारण, जो कि हमारे प्रदेश से बाहर ही ज्यादा बनते हैं, अब यह भी तय किया गया है कि सिर्फ दस्तावेजों के आधार पर नहीं, अन्य आधार पर भी इसका परीक्षण किया जाये। 19 अपराध दर्ज किये गये हैं, 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सर्वाधिक बड़ी संख्या माननीय विष्णु देव साय जी की सरकार में अभी है। साथ ही साथ टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। आपको कहीं भी पता चलता है तो आपस में चर्चा करके पहले बातें छूट जाती थीं, अभी टोल फ्री नंबर-18002331905 जारी करके यह कहा गया है कि जिनको

कोई जानकारी है, वह इसमें उपलब्ध करायें। मैं विधान सभा के सभी सदस्यों से भी निवेदन करता हूं कि आप भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस नंबर को प्रचारित करें, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले और इसपर समय से कार्रवाइयां भी की जा सके।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पहला, जिन लोगों की आपने गिरफ्तारी की है तो किस धारा-नियम के तहत आपने उनपर कार्रवाई की? दूसरा, उनको किसी detention centre में रखा है या जेल में रखा है या उसको depot कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यह जो मैं आपको 19 प्रकरण बता रहा हूं, यह foreigners act लागू किए हुए ही प्रकरण हैं और इनमें से अधिकतम जेल में हैं और कुछ को बेल हो गया है। वह बेल में हैं, लेकिन लगातार उनपर निगरानी रखी जा रही है। detention centre तो कुछ होता नहीं है, हम holding centers की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में इसको बनाया जाएगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, पहले तो आप यह बताइये कि मैंने आपसे पूछा कि क्या उनको detention centre में रखा गया है तो आपने कहा कि detention centre होता नहीं है, लेकिन detention centre तो होता है, भले ही आपके पास न हो। दूसरा, मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा है कि आप उनको depot करने की कोई कार्रवाई कर रहे हैं या उनको जेल में रखेंगे या वह जमानत में घूमेंगे? फिर मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैंने आपसे यही कहा कि detention centre इस विषय के लिए कहीं relevant नहीं है। होता है या नहीं होता है, इससे मतलब नहीं है। वह relevant नहीं है। हम holding centers जरूर बना रहे हैं। holding centers के लिए आने वाले समय में हमारा नोटिफिकेशन होकर एक स्थान तय होगा और बाद में वहां पर ऐसे लोगों को रखा जाएगा, जिनको जेल न भेजकर holding centers में रखा जाएगा। यह मैं कह रहा हूं। डिपोटेशन के लिए भी विषय प्रक्रियाधीन है और नियत समय में आने वाले समय में निश्चित रूप से हम डिपोटेशन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे।

सभापति महोदय :- अजय जी, जवाब तो आ गया है। अब धर्मजीत जी को प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूं। पहला, आपने अपने उत्तर में बताया कि आप जो center बना रहे हैं तो आप कितने center बना रहे हैं और कितनी क्षमता के बना रहे हैं और वह कब तक बन जाएंगे और कहां बनेंगे? दूसरा, आपने बताया कि आप डिपोटेशन की कार्रवाई कर रहे हैं तो कार्रवाई में कितनी अवधि लगती है? भारत सरकार की अनुमति लगती होगी, गृह मंत्रालय की अनुमति लगती होगी, मंत्रालय की अनुमति लगती होगी, देश में

भेजेंगे, म्यांमार भेजेंगे, रोहिंग्या है, कौन-कौन से तरह के विदेशी हैं या सिर्फ बांग्लादेशी हैं? आप यह बता दीजिए।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, दिनांक 2 मई, 2025 को केन्द्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी परिपत्र के आधार पर जब हम यहां पर डिपोटेशन की स्थिति में आते हैं तो उसको ऑर्डर करके हमको बी.एस.एफ. के बटालियन तक पहुंचाना होता है। कौन से बी.एस.एफ. के बटालियन तक पहुंचाना है, इसका निर्णय होता है। हमको किसी एक बी.एस.एफ. के बटालियन तक पहुंचाना होता है, फिर बी.एस.एफ. का आगे का काम उनको बॉर्डर के पार करा देना होता है। दूसरा, आप जिस विषय को कह रहे हैं कि हम holding centers बनाने जा रहे हैं तो पहले चरण में 100 सीटर का holding center बना रहे हैं और इसको रायपुर मुख्यालय में बना रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से इस प्रश्न को इसलिए पूछना चाहता हूं कि यह बहुत ही गंभीर समस्या है। ठीक है कि अभी छत्तीसगढ़ में बहुत कम लोग पकड़ाये हैं या उनकी जानकारी मिली है, लेकिन इसको पश्चिम बंगाल और झारखण्ड बनने में देरी नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग एन्ट्री करते हैं तो उनको वहां राजकीय सम्मान मिलता है। वहां पर वह आधार कार्ड बनवाते हैं और धीरे-धीरे चलकर झारखण्ड आते हैं। झारखण्ड में भी उनको राजकीय अतिथि बनाकर जशपुर की तरफ से छत्तीसगढ़ भेज दिया जाता है तो मैं यहां पर मंत्री जी आपसे सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जो 11-18 लोग पकड़ाये हैं, यहां इनको सरंक्षण देने वालों को भी ट्रेस किया है क्या ? दूसरा, इसमें रोहिंग्या हैं या नहीं ? बंगलादेशी यानि बंगलादेशी, रोहंग्या मतलब म्यांमार। यहां रोहंग्या भी बड़ी संख्या में हैं। तो आप इनके बारे में भी कुछ बतायेंगे ? तीसरा, आप इन लोगों को बंगालदेश कब तक भेज देंगे ? ऐसा कुछ जानकारी हो तो समयावधि बता दीजिये ? अगर इनका वोटर लिस्ट में नाम हो तो उसको भी ट्रेस करके कटवायेंगे क्या ? इन लोगों को यहां जो सब संसाधन उपलब्ध करायें हैं, ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या ?

जवाब देने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, जब हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी बच्चों को जाति का प्रमाण-पत्र बनवाना होता है, तो मिसल बंदोबस्त से लेकर दुनिया भर की प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। तो जो इस तरह से बाहर आये हुए लोग वोटर आई.डी. कार्ड से या आधार कार्ड से यहां राशन कार्ड बनवाना हो तो उनका भी मिसल बंदोबस्त की जानकारी लेकर बनायेंगे तो यह समस्या खत्म हो जायेगी। मंत्री जी, आप मुझे बताईये कि ये बंगलादेश कब जायेंगे ? क्या आप रोहिंग्या लोगों के लिए भी खोजबीन करवायेंगे ? उनको जो सरंक्षण देने वाला रैकेट है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे क्या ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं हृदय से बहुत आभारी हूं। माननीय वरिष्ठ सदस्य ने यह कहा है कि वोटर लिस्ट में भी इनका नाम होना चाहिए, नि:संदेह जांच के लिए यह एक

नया बिन्दु है। ऐसे विभिन्न तरह के कार्ड, राशन कार्ड हैं या नहीं, वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, इनका एपिक कार्ड बन गया है या नहीं ? आधार कहां से बना ? ये सारी चीजें चर्चा के विषय हैं, जांच के बिन्दु हैं। अभी तक जितने भी लोग पकड़े गये हैं, वे सारे बंगलादेशी ही हैं उसमें रोहिंग्या नहीं हैं। deportation की प्रक्रिया एक lendi process है, उसमें समय लगता है। आप मुझसे कहेंगे कि आप कितने दिन में भेज देंगे तो मेरे लिए यह बताना मुश्किल है। लेकिन होगा जरूर, मैं यह जरूर बता सकता हूं। जरूर होगा, माननीय विष्णु देव साय की सरकार में deportation की प्रक्रिया होगी और आगे बढ़ेगी। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि उनके कैसे दस्तावेज बन गये। एक रायपुर का प्रकरण है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यहीं रायपुर में ही बंगलादेशी आकर यहीं रहते हुए रायपुर के तात्कालीन एक पार्षद के प्रमाण-पत्र से उनका आधार कार्ड बन गया, उनका एपिक कार्ड बन गया, उनका राशन कार्ड बन गया। जो पार्षद थे, कांग्रेस पार्टी के थे, विपक्षी पार्टी के थे। तो वह बन गया और बनने के बाद वे यहां भारत से पासपोर्ट बनवाकर ईरान, इराक कहीं जा रहे थे। तो वे सारे लोग पकड़े गये और उसके बाद 4 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी हुई। इस प्रक्रिया में भी जिसने भी साहस किया, ऐसे लोगों को जो हमारे demography चेंज करने वाले हैं, जिसने भी साहस किया, ऐसे लोग, जो हमारे यहां व्यवस्थाओं का दूषित करने वाले हैं, वह चाहे अधिकारी हों, कर्मचारी हों वह चाहे सामान्य नागरिक हों, माननीय सभापति महोदय, कोई भी हो, पूरी ताकत के साथ कार्रवाई की जायेगी। इसमें किसी को नहीं छोड़ा जायेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मंत्री जी, आपने बिलकुल ठीक कहा। उसी वक्त यह चर्चा थी कि रायपुर में रोहिंग्या लोगों को बसाने की कार्यवाही बहुत सुनियोजित तरीके से की जा रही है। उसी तरह से बिलासपुर और अन्य बड़े शहरों में भी की जा रही है। तो आप एक बार रोहिंग्या को भी चेक करवा लीजिये। बंगलादेशियों को भी चेक करवा लीजिये। जो लोग इस तरह से बंगलादेशियों के बारे में सिफारिश करें, वह चाहे कोई भी हो, उनके ऊपर भी कार्यवाही करिये ताकि लोग डरे और इस प्रकार की कार्यवाही में भाग लेने से बचें। ताकि इस प्रदेश का सांस्कृतिक वातावरण है, जो सौहार्द है, वह बना रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप रोहिंग्या लोगों को भी चेक करवायेंगे ? आप एक बार रोहिंग्या एंगल से भी देखिये। शायद आपके क्षेत्र में भी आरोप था कि बहुत हैं। उसको जरा बता दीजियेगा।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, यह समूचे छत्तीसगढ़ का विषय है। अभी इसमें कितनी संख्या है, तो यह संख्या पहली बार सामने आई है। आने वाले समय में अभी संख्या और बढ़ेगी। इस पर पूरी कार्यवाही करेंगे। रोहिंग्या के सन्दर्भ में परीक्षण के दौरान एक व्यक्ति जो कहीं होता है, उसके पूरे परीक्षण के दौरान ये सारी बातें होती हैं कि वे कहां के रहने वाले हैं। दस्तावेजों पर न जाकर अब अन्य प्रश्नों पर उनका परीक्षण होता है। यह दोनों ही विषय उसमें होते हैं। चाहे वह रोहिंग्या हो या

बांग्लादेशी हो, इन दोनों ही विषय के लिए उसमें काम करते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि वे कितने लोग हैं, किस-किस क्षेत्र से हैं, हमारे भी क्षेत्र के लोग हैं। वे चाहे जहां के भी लोग हैं, हम लोग उसका परीक्षण करेंगे, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है और आने वाले समय में हर एक जिले में पूरी scanning करके हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो लोग demography चेंज करने की कोशिश में हैं, जो लोग इनको अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं, वह सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय जी।

सभापति महोदय :- उनका ध्यानाकर्षण चल रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- एक मिनट। अभी मूल प्रश्नकर्ता बाकी है, फिर आप प्रश्न कर लीजिएगा। यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है। माननीय मंत्री जी, यह बहुत गंभीर विषय है। अभी बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। वहां 4.5 प्रतिशत मतदाता कम होने वाला है, उसमें राजनीतिक घमासान मचा है। माननीय धर्मजीत जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी वोटर लिस्ट को देखना जरूरी है। आप इसमें चिट्ठी लिखिये।

श्री विजय शर्मा :- जी-जी, नि:संदेह। सभापति महोदय, बिहार में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का किसी के द्वारा विरोध किया जाता है तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसका क्यों विरोध किया जा रहा है? कुछ राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही है और मुझे उसमें आश्चर्य है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विरोध हो रहा है। यह विरोध चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। मतलब यह काम किस तरीके से, किस मानसिकता से कर सकता है। मैं पुन: कहता हूं कि कोई वोट बैंक सोच कर भी इनको बसाने की कोशिश करता होगा, उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। (मेजों की थपथपाहट)

सभापित महोदय :- श्रीमती भावना बोहरा जी।

श्रीमती भावना बोहरा (पंडरिया) :- माननीय सभापति महोदय, यह बिल्कुल सुनिश्चित है और चीजें दिख रही हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के मागदर्शन में घुसपैठियों पर कार्यवाही हो रही है। मेरा सिर्फ दो विषय हैं, जिस पर मैं ध्यानाकर्षण करना चाहूंगी। पहला विषय यह है कि अभी जो चर्चाएं हुईं, उस चर्चा में यह बात निकल कर आ रही है कि अगर कहीं शिकायत हो रही है या फिर कही कोई अपराध हो रहा है। अगर मैं इसमें करेक्ट नहीं होउंगी तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो उन जगहों पर सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर जांच हो रही कि वह रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है। क्या इसके अलावा भी आधार कार्ड के आधार पर या उनका निवास प्रमाण पत्र के आधार पर जांच हो रही है कि क्या वह सही में छत्तीसगढ़ या भारत के निवासी हैं या फिर सिर्फ शिकायतों के आधार पर ही इन पर कार्यवाही हो रही है? मेरा दूसरा विषय इसी से संबंधित है। अगर आज हम राजधानी रायपुर की बात करते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे क्षेत्र चिन्हांकित करके बता सकते हैं कि यहां पर कुछ illegal activities चल रही हैं या यहां पर कुछ दिखने से समझ में आता है कि शायद यह लोग हमारे बीच के नहीं है। रायपुर में ऐसी कई

सारी जगहें हैं। चाहे हम मैग्नेटो मॉल के पास की बात करें या चाहे विभिन्न चौक-चौराहों की बात करें। क्या इस विभाग के द्वारा या जो समिति गठन हुई है, उसके द्वारा उनकी भी जांच हो रही है? मेरा तीसरा विषय है कि जिस तरीके से Zomato, Amazon या अन्य पार्सल कंपनी है, जिस भी तरीके से पार्सल का सप्लाई करने वाले Unknown Person दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप सेलों में जायेंगे, वहां पर अलग-अलग तरीके की लोग सर्विस सप्लाई कर रहे हैं या उसके अलावा सिग्नल में जिस तरीके से लोग मिल रहे हैं। यह भी कहीं न कहीं एक संदेहास्पद स्थिति में वह दिखता है। मैं इन तीनों विषयों पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि इस पर जवाब आ पाये।

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य महोदया का इसमें बहुत अच्छा सुझाव भी है और प्रश्न भी है। Specifically मैंने आधार और निवास प्रमाण पत्र के संदर्भ में पहले ही बताया है। आधार u.i.d.a.i. के माध्यम से ऐसा संरक्षित है कि वह आधार किसके रिफरेंस में बना, यह हमको पता नहीं चल पाता है। यह देश में किसी को भी पता नहीं चल पाता है। सुप्रीम का गाइडलाईन है, फिर भी जो आधार है, उसमें क्या Actual डाटा है, वह हमको आज के समय में पता चल जाता है। लेकिन जो आदमी वही नाम कह रहा है, वही नाम उसमें निकल कर आता है। कैसे बना, किसके Reference से बना, कहां बना, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन हम लोग आधार के आधार पर कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। अभी इस तरीके की स्थिति है कि आधार सबके पास उपलब्ध हो गया है। आधार के आधार पर नहीं, बल्कि जो दूसरे प्रश्न है, उन प्रश्न के आधार पर उनको आइडेन्टिफाई किया जाता है। शिकायतों के आधार पर है या अन्य प्रक्रिया पर है, मैं निवेदनपूर्वक फिर से कहना चाहता हूं कि इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और आप इस टोल फ्री नंबर का जरूर उपयोग करें। जिसको भी जहां की भी जानकारी हो। जैसे मैग्नेटो मॉल की या अन्य स्थानों की, क्रॉसिंग की या आपको जहां की भी जानकारी होती है, इस टोल फ्री नंबर पर आप बतायें। किसी का नाम उजागर नहीं किया जाएगा कि किसने जानकारी दी है। उस सूचना के आधार पर कार्यवाहियां जरूर होंगी। विशेष रूप से पार्सल के लिए या अन्य माध्यमों से लोग इस काम में जुटे हैं, आने वाले बाहर के लोग कम श्रमिक दर पर काम करते हैं और इसलिये उनका उपयोग किया जाता है । सस्ते श्रमिक के रूप में उपयोग किया जाता है । चाहे वह ठेकेदार हैं, टेंट में काम करने वाले हैं, उद्योगपति है, सभी जगह यह स्थिति है । माननीय सभापति महोदय, जब प्रकरणों को देखेंगे तो बात समझ में आती है और यह हम सब की चिन्ता का विषय है, इसीलिए सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी करके पूरी ही जानकारियों को आमंत्रित किया हुआ है । सभी पर कार्यवाही होगी, आप कृपया पूरी जानकारी उपलब्ध भी करायें ।

श्री सुशांत शुक्ला :- सभापति जी ...।

सभापति महोदय :- ध्यानाकर्षण का था । ध्यानाकर्षण तीनों लोगों ने लगाया था । इसमें विस्तृत ध्यानाकर्षित हो गया है ।

श्री सुशांत शुक्ला :- इससे संबंधित विषय पर आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ कि ..।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है । इस पर मंत्री जी और सभी लोग खुले रूप से चर्चा कर रहे हैं, इसमें सभी को भाग लेने दीजिए ।

सभापति महोदय :- सामान्य चर्चा का विषय है ना, जिनहोंने ध्यानाकर्षण लगाया और काफी विस्तृत जवाब दिया है ।

श्री उमेश पटेल :- सभापति महोदय, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है ।

सभापति महोदय :- इसी से संबंधित हो तो ?

श्री सुशांत शुक्ला :- इसी से संबंधित मेरा भी प्रश्न है ।

श्री उमेश पटेल (खरसिया) : माननीय सभापति महोदय, यदि कोई बाहर देश का व्यक्ति छत्तीसगढ़ में घुसपैठ तरीके से उपस्थित है, आप उसको बाहर निकालें, हम इसका समर्थन करते हैं । (मेजों की थपथपाहट) यहां से जो बाहर के व्यक्ति हैं, जो घुसपैठिये हैं, उसको बिल्कुल बाहर निकालिये । सभापति महोदय, यह केवल रोहिंग्या या बंगलादेशी तक सीमित न हो, ऐसी जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के लोग भी यहां उपस्थित हैं, उनको भी निकालकर बाहर करिये । यह आपसे निवेदन है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य के आशय को स्पष्ट नहीं समझ पाया हूँ, फिर भी जो समझा हूँ, उसका जवाब आपके सामने रख देना चाहता हूँ । मैं आपसे निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूँ कि रोहिंग्या और बंगलादेशी का तो विषय ही नहीं है, यदि पाकिस्तान का कोई व्यक्ति होगा तो उसको बाहर किया जायेगा । इसमें एक बात जरूर है, माननीय सदस्य के ह्दय में अगर वह बात होगी तो मैं आपके सामने रखता हूँ । अगर वह पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय का होगा तो भारत में वह नागरिकता के लिये आवेदन कर सकता है, यह उनको स्पष्ट भी होना चाहिये । (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, माननीय विपक्ष के सदस्य का पूछने का मतलब यह है कि आपको कार्यवाही के लिये पूरे सदन का समर्थन प्राप्त है और इस चीज से पूरा प्रदेश या पूरा सदन चिंतित है, उसके समर्थन से यह जाहिर होता है।

सभापति महोदय :- सुशांत जी ।

श्री सुशांत शुक्ला (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ और धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो टोल फ्री नंबर जारी किया है, परन्तु एक विषय बिलासपुर के संदर्भ में भी है । बिलासपुर के बेलतरा विधान सभा में खमतराई, बहतराई और मोपका, यह तीन ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर पिछले 5 वर्षों में ऐसे अनैतिक गतिविधियॉ बढ़ी है, जिसमें धर्म विशेष के लोगों की संलिप्तता है । मैं खासकर मोपका जैसी जगहों पर

उल्लेखित करना चाहता हूँ कि एक आदिवासी समाज की जमीन पर एक धर्मस्थान बना है और लगभग 300 से ज्यादा लोग बांग्ला भाषी वहां पर सक्रिय है, खेल मैदान पर आते हैं, बाजारों पर जाते हैं, वहां मदरसे चल रहे हैं, जिस पर शिक्षा ग्रहण करते हैं । वैसी स्थिति खमतराई में है, जहां पर हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी के नीचे नाले के ऊपर अवैध निर्माण कर लिया गया है । अब जो प्रश्न उठता है कि इनको लाकर बसाया किसने तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षण कराना चाहता हूँ कि 12 पंचायतों को 18 वार्डों में जब नगर निगम की परिसीमन के समय सम्मिलित किया गया, तब पूर्व पंचायतों के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इनके राशन कार्ड, इनके आधार कार्ड बनाये गये, जिसका आज भी सत्यापन लंबित है । मैंने बिलासपुर के स्थानीय प्रशासन से आग्रह किया कि संबंधित दस्तावेजों की जॉच की जाये और यदि यह बंगलादेशी या रोहिंग्याज हैं या दूसरे हैं तो कुछ जॉच हुई, जिसमें यह देखने को मिला कि बिलासपुर में जो आधार कार्ड परिवर्तित हुये हैं, वह पूर्व में उत्तरप्रदेश के शंकरगढ़ या झारखंड के जामताड़ा, यहां पर पहले उनके आधार कार्ड थे, वह बाद में बिलासपुर में स्थानीय निकाय के चुने हुये प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर परिवर्तित किये गये । मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि क्या खमतराई, बहतराई और मोपका में, जो बेलतरा विधान सभा और बिलासपुर नगर निगम के अधीन आते हैं, ऐसे क्षेत्रों में जॉच की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे क्या ?

श्री विजय शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य महोदय का हद्य से आभारी हूँ, जिन्होंने विशेष विषय पर ध्यानाकर्षण करते हुये सदन को जानकारी दी है कि खमतराई के हाऊसिंग बोर्ड की जगह पर और 12 पंचायतों के 18 वार्ड आदि, मोपका में 300 बांग्लाभाषी तो बांग्लाभाषी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, वह हमारे देश की भाषा है और बहुत अच्छी भाषा है । माननीय सभापति महोदय, मसला यह है कि वह कौन है, यह निर्धारित होना चाहिये । देश के हैं तो कोई बात नहीं है, यदि बाहर के हैं तो हमको समझना पड़ेगा । तीसरा, बहतराई ऐसा कोई नाम माननीय सदस्य ने बताया । इन तीनों ही स्थानों पर कठोरता से जांच करवाएंगे । इसमें कोई संशय नहीं होगा । (मेजों की थपथपाहट) मैं आपसे निवेदनपूर्वक यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जिन्होंने अभी प्रश्न किया और अन्य सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे जय छत्तीसगढ़ अभियान जिसके माध्यम से हम घुसपैठियों की जांच हर जिले में कर रहे हैं और जिसके लिए ही टोल फ्री नम्बर जारी किया गया है । इसमें आप भी पूर्ण योगदान दें और इस नम्बर पर जरूर इस जानकारी को भी उपलब्ध कराएं, जो जानकारी अभी आपने सदन में उपलब्ध कराई है ।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न है और एक सुझाव भी है । राजधानी के आसपास खासकर मोहल्ले के नाम अगर आप कहें तो मैं मोहल्ले के नाम का उल्लेख कर देता हूं- संजय नगर, टिकरा पारा । आऊटर में बी.एस.यू.पी. के जितने भी मकान बने हैं, इसके लिए मैंने स्वयं बहुत पहले नगर निगम को पत्र लिखकर भेजा है, रायपुर प्रशासन के ध्यान में मैंने लाया है । मेरा

आपसे आग्रह है कि इन क्षेत्रों को, जो आऊटर के बसे हुए हैं, खासकर बी.एस.यू.पी. के जितने भी मकान हैं, उसके अंदर एक बार अभियान चलाएं, ताकि यह न्यूसेंस वैल्यू राजधानी में न फैले । बहुत बड़ी संख्या के बाहर के आये हुए लोग बसे हैं। इसके लिए प्रशासन पहले से सक्रिय होकर उस अभियान को पूर्ण करे, यह आपके माध्यम से आग्रह है ।

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही गंभीरता से और बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान दिलाना है कि संजय नगर, टिकरा पारा में बी.एस.यू.पी. के जो मकान बने हैं, उसमें अभियान चलाकर परीक्षण करना चाहिए । पुलिस प्रशासन के माध्यम से इस परीक्षण को नगर निगम के साथ मिलकर जरूर पूरा किया जाएगा । मेरा उनसे भी निवेदन है और साथ ही साथ पुन: सभी सदस्यों से निवेदन है कि आपके सोशल मीडिया में आप उस टोल फ्री नम्बर को जरूर प्रसारित करें । आप उस टोल फ्री नम्बर के माध्यम से भी इन सारी खबरों को जरूर बताएं ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, इसी में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी ने कह दिया कि यदि कोई और विषय होगा तो टोल फ्री नम्बर दिए गए हैं ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, उसी में बोल रहा हूं । सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि संदिग्ध लोग जो बांग्लादेशी हैं, उनके लिए आपने यह टोल फ्री नम्बर जारी किया है । मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं, मैं मंत्री जी से एक निवेदन करूंगा ।

सभापति महोदय :- कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, जी । अभी हम लोग मैनपाट गए थे, वहां बहुत शिकायत आई है । जो हमारी आदिवासी बच्चियां हैं, उनसे बाहर से आये हुए दूसरे धर्म के मानने वाले लोग बड़ी संख्या में शादी कर रहे हैं और शादी करके आदिवासी बच्चों के नाम से जमीन ले रहे हैं ।

सभापति महोदय :- यह विषय से बाहर हो रहा है । रोहिंग्या, बंग्लादेशियों का विषय है ।

श्री गजेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, ऐसे लोगों का विषय है, जो बाहर से आये हैं । वह कौन लोग हैं, उसमें उनकी जांच हो सकती है क्या ? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसमें भी एक बार परीक्षण कराएं, यह मेरा आपसे आग्रह है ।

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, ऐसी बातें अनेक स्थानों पर आती हैं और प्राय: बातें चर्चा में रह जाती हैं तो वह चर्चा में न रह जाएं, डॉक्यूमेंटेड हो जाए इसलिए ही यह टोल फ्री नम्बर है । फिर भी माननीय सदस्य कह रहे हैं तो मैं उनसे पूरी जानकारी प्राप्त करके इस दिशा में हम लोग जरूर काम करेंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, इसी में एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- पूछ लीजिए ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यानाकर्षित करना चाहथौं । जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध चलिस ।

सभापति महोदय :- लंबा मत जाईए ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति जी, एक सेकण्ड में हो जाएगा । भारत और पाकिस्तान के युद्ध चलिस तो टी.व्ही. और प्रेस मीडिया में बात चलथे कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, तुरंत यहां से बोरिया बिस्तर लेकर भाग जाओ । जब यहां भी ओ समय छत्तीसगढ़ में बात करे जाथे कि यहां भी बहुत ज्यादा पाकिस्तानी हें । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहथौं, ध्यानाकर्षित करना चाहथौं कि इहां कतना पाकिस्तानी हे, ओकर मन के निरीक्षण होगे हे का ?

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, माननीय सदस्य ह अचानक अभी कुछु बात ला पूछही त मैं कईसे बताहव भाई । ये बात समझे के हवय । मैं ह निवेदन करथौं, बतावथव । अचानक पाकिस्तान वाले चले जाओ, इहों केहे हें, इहों होवथे अउ जब जेन ला जाना रहिन हे, तेन चल दिन । अगर कोनो बाचे होहय अउ आपला जानकारी होही त मोला जरूर बतावव । दूसरा एक ठी अउ बात, जेन बात ल हमर माननीय सदस्य उमेश भाई कहिन हे, तेखरो बर मैं ह एक बात ला पुन: आप ला कहात हवव । आपके ध्यान में अईसनहा होहय, जेन पाकिस्तान मा पीड़ित अल्पसंख्यक होहय, तेखर भारत मा कानून बन गे हे, ओ अपन नागरिकता बर आवेदन कर सकथे । अईसे मोला आपला कहना हे ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मंत्री जी, मैं ये कहना चाहत हों, मंत्री जी मोला कथे, अरे भई मैं कहां खोजे सकिहं पाकिस्तानी ला? या तो मोला कुछू पॉवर दो तूमन।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, कार्रवाई करत हें, खोजत हें, सब जानकारी दिए हे।

श्री विजय शर्मा :- सभापति महोदय, अतकाकन जनता मिलके विधायक बनाये हे अऊ कतेक पॉवर चाहिए भई ओला, मोर समझ में नई आवय।

समय:
1.35 बजे

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

सभापति महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा :-

1. श्री अजय चन्द्राकर
2. श्रीमती कविता प्राण लहरे
3. श्रीमती अनिला भेंड़िया
4. श्री दलेश्वर साहू
5. श्री राजेश अग्रवाल

समय:
1.36 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नांकित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री लखेश्वर बघेल
2. श्रीमती भावना बोहरा
3. श्री ललित चन्द्राकर
4. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी

समय:
1.37 बजे

प्रस्ताव

"दिनांक 07 मई, 2025 को 'ऑपरेशन सिंदूर' द्वारा आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना द्वारा हमले से ध्वस्त किए जाने के उठाये गये ऐतिहासिक कदम पर भारतीय सेना के अदम्य साहस एवं वीरता तथा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की रणनीतिक दक्षता के प्रदर्शन के लिए ये सदन हार्दिक अभिनंदन करता है।"

संसदीय कार्य मंत्री (श्री केदार कश्यप) :- माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "दिनांक 07 मई, 2025 को 'ऑपरेशन सिंदूर' द्वारा आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना द्वारा हमले से ध्वस्त किए जाने के उठाये गये ऐतिहासिक कदम पर भारतीय सेना के अदम्य साहस एवं वीरता तथा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की रणनीतिक दक्षता के प्रदर्शन के लिए ये सदन हार्दिक अभिनंदन करता है।"

माननीय सभापति महोदय, मैंने आज जो प्रस्ताव लाया है, निश्चित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का, जो कि आतंकवाद के खिलाफ लाया गया था, का एक शक्तिशाली प्रतीक है, जो देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शक में लाया गया और हम सभी इस बात के लिए अपने देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का, हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। (मेजों की थपथपाहट) हमारे देश के सैन्य बलों का जिन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' के माध्यम से आतंकवाद का मुँहतोड़ जवाब दिया, हम भारतीय सेना के उन जवानों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ये देश जिसने माननीय नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से यह कार्य किया। पहले इस देश को चुप रहने के लिए जाना जाता था, लेकिन ये आधुनिक भारत है। यह माननीय नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर चलने वाला भारत है और अब ये चुप बैठने वाला भारत नहीं बल्कि आतंकियों को मुँहतोड़ जवाब देने वाला भारत है, यह इस

बात को साबित करता है। (मेजों की थपथपाहट) इसने यह साबित किया कि जो हमको छेड़ेगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। यह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बता दिया।

मानननीय सभापति महोदय, 22 अप्रैल, 2025 का वह दिन जब पहलगाम में जहां कि वादियों में जो घटना घटित हुई, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह वह दिन था, जब मानवता का खून बहाया गया और जब उस वादी में हमारी बहनों के साथ हमारे जो नवविवाहित जोड़े हैं, उनके नाम और धर्म पूछकर जिस तरीके से उनकी हत्या की गयी, इससे पूरा देश आक्रोशित हो गया और पूरे देश में एक ही मांग उठने लगी कि इस आतंकवाद का जवाब देना चाहिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इसका जवाब दिया। जहां पर आतंकवादियों ने हमारे सैलानियों के नाम और धर्म पूछकर और उनके कपड़े उतारकर अभद्रता के साथ उस घटना को अंजाम दिया था। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश में लोगों को आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करने और आतंकवाद के खिलाफ एकजूट खड़े होने के लिए ऊर्जा का एक बड़ा स्त्रोत बना।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्रस्ताव लाये हैं और अधिकारी दीर्घा में नाम मात्र के लिए केवल एक ही अधिकारी हैं।

श्री केदार कश्यप :- अधिकारी हैं। वह भोजन करने गये हैं। वे आ रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- आप उनको बुलवा लीजिये। क्या सब एक साथ भोजन करने जायेंगे ?

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, यह कोई शासकीय कार्य थोड़ी न चल रहा है।

श्री रामकुमार यादव :- ए मन के सरकार मा अधिकारी मन कतकाना गंभीर हे, एला देख लेवव। ओ हर तुमन के नहीं सुनय तो काखर सुनही ?

श्री उमेश पटेल :- आप उनको बुलवाईये। आप इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- यह तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह विषय तो हमारे प्रधानमंत्री जी से संबंधित है।

श्री रामकुमार यादव :- ए मन अधिकारी मन ला मुड़ी में बैठकार राखे हे।

डॉ. चरणदास महंत :- सभापति महोदय, यह कोई शासकीय कार्य नहीं है। इनका पूरी तरह से शासकीय कार्य है। यह कोई शासन का कार्य नहीं है कि सब अधिकारी बैठे रहे। (मेजों की थपथपाहट)

श्री केदार कश्यप :- आप सुन तो लीजिए। आप ध्यान भटकाने की कोशिश मत करियेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उमेश जी, आप अधिकारियों के लिए बोलते हैं या इस सबसे बड़ी पंचायत में जनता के लिए बोलते हैं ? आप इसे थोड़ा क्लियर कर दीजिये।

श्री रामकुमार यादव :- जब हमन के सरकार रिहीसे तब आप मन हर बार-बार ऊंगली उठावत हवव।

श्री उमेश पटेल :- चन्द्राकर जी, आप किसके लिए बोलते थे ? जब हमारी सरकार थी और अधिकारी दीर्घा खाली रहता था तो क्या आपने आपत्ति नहीं उठाई ?

श्री रामकुमार यादव :- ये हर बार-बार ऊंगली दिखावय कि तुंहर अधिकारी, तुंहर अधिकारी कहि के। आप मन ओ समय हर भूल गे हवय कि का कहात हवय तेला ?

सभापति महोदय :- उमेश जी, बैठिये। रामकुमार जी, बैठिये। मंत्री जी बोलिये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इसी हमले के दर्द ने भारत को हिम्मत का रूप दिया और भारत माता की उन बहनों के सिंदूर उजाड़ने वाले दुश्मनों की जो साजिश थी, हमने उसी सिंदूर की सौगंध खाकर इस सिंदूर के लाल रंग को अपना साहस बनाया और जैसे रणचंडी देवी दुष्टों का रक्तपात कर रक्त से अत्याचार को खत्म करती है, उसी तरह से सिंदूर का बदला दुश्मन की जमीन पर उन्हीं के खून से लिया गया। यह ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद के खिलाफ में एकजूट होकर खड़े होने की इसी ऊर्जा का परिणाम है और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद को भारत का सीधा-सीधा जो संदेश दिया गया, इस संदेश के माध्यम से यह कहा गया कि अब किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना को यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय सभापति महोदय, पहलगाम की घटना केवल आतंकवादी घटना नहीं थी। यह मानवता के मूल्यों का एक घृणित व्यवहार रहा। आतंकवादियों ने अपनी सारी बर्बरता पार कर दी। उन्होंने न केवल निर्दोषों की जान ली बल्कि धार्मिक आधार पर हमारे देश के लोगों को निशाना बनाया।

श्री रामकुमार यादव :- मंत्री जी..।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, उनको बोलने दीजिये। आपका समय आयेगा तब आप बोलियेगा।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, मंत्री जी इसी में जोड़ देंगे इसलिए बोल रहा हूं। पहलगाम घटना में जो आतंकवादी रिहीसे ते मन पकड़ाए हर का ? ऊहु ला जोड़कर बताईहा। ओ मन तो कांटा तार ले बुलक के भाग गे हे ऐसा लगत हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़े मिशन की सफलता पर इस सदन में प्रस्ताव पेश हो रहा है और आप बीच-बीच में खड़े होकर प्रश्न पूछ रहे हैं। इसमें प्रक्रिया यह है कि माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है, उनके बारे में वह बोलेंगे और उसके बाद आपको इनको जितना ज्ञान देना है, आप बोल लीजिएगा। आप लोग भी बोल लीजिएगा, लेकिन अभी उनको प्रस्ताव नहीं रखने दे रहे हैं उनसे प्रश्न, उत्तर कर रहे हैं। "ऑपरेशन सिंदूर" हमारे देश की सफलता और हमारे जवानों के शौर्य का यह प्रस्ताव है, इस पर आपको गर्व करना है, प्रश्न-उत्तर नहीं करना चाहिए। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, अभी ले ओमन पकड़ाए नइ हे, ओ खूंखार आतंकवादी मन खुल्ला घूमत हे।

सभापति महोदय :- माननीय रामकुमार जी, ...।

श्री धर्मजीत सिंह :- अगर वह नहीं पकड़ाये हैं तो वहां तबाही मचा दी गई है, जिसके घर में तबाही मचनी थी, वहां मच गई है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति महोदय, ओमन पकड़ाए नइ हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- जब उन्हें पकड़ेंगे तभी आप बहादुर मानेंगे क्या ? यह सिस्टम में भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी सरकार में आप लोगों की तरफ से बहुत प्रस्ताव रखा गया था।

श्री लखेश्वर बघेल :- माननीय सभापति महोदय, अभी नहीं जाना है न ?

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं। आपकी तरफ से भी यहां शासकीय संकल्प आता था। उस समय हम लोग सुनते थे और अभी भी शासकीय संकल्प आ रहा है तो उसको आप सुनिये। आप अगर डिफर करते हैं तो आप यह बोलिए कि भारत हार गया, ऐसा बोलिएगा।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों से यह आग्रह करता हूँ कि मुझे विषय पर बोलने दिया जाये। यदि मुझे विषय पर नहीं बोलने देंगे तो मैं भी इधर-उधर से जवाब देना चालू करूंगा। वर्ष 2016 से वर्ष 2019 तक में जो घटनाएं घटित हुई थीं, तभी जो आपके केन्द्र के नेता था, वहां पर उन लोगों ने हमारे सेना प्रमुख से पूछा था कि वहां पर कौन मारा गया ? वहां कौन सी घटना हुई थी और कितने पेड़ कटे ? यह भी आपकी ही पार्टी के लोगों ने पूछा था, तब आप कहां गये थे ?आपको इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा। आप ही लोग हैं जो हमारे देश के सेना के शौर्य पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हैं। आप कहते हैं..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय रामकुमार जी, आप यह जानते हैं कि सीमा में बरदी नहीं चरायी जाती। सीमा में बी.एस.एफ., सी.आर.एफ. जवान, तिब्बत जवान, भारत पुलिस यह सब तैनात रहती है। आप थोड़ा समझ लीजिए और हर बात में खड़े मत होईये। वह बरदी चराने की जगह नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- मैं बरदी चरईया हों, लेकिन तुंहर मेर कुछु काम नइ हे। तुमन रूस और यूक्रेन के युद्ध ला समाप्त करे बर जाहू। आप मन ला न एती काम हे, न ओती काम हे, बीच में हो।

सभापति महोदय :- माननीय रामकुमार जी, आप बैठिये। मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि "ऑपरेशन सिंदूर" पर माननीय मंत्री जी प्रस्ताव रख रहे हैं, इसके बाद इसकी चर्चा में आप अपनी बातों को रखिएगा।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, यह जो हमला है, यह आंतक फैलने के लिए ही नहीं था, बल्कि भारत की धर्मनिरपेक्षता और एकता को तोड़ने का एक सुनियोजित प्रयास था। हमले में 26 मासूम निर्दोष मारे गये। इस हमले ने देश के हर नागरिक के दिल में एक गहरा घाव छोड़ दिया था।

पहलगाम हमले के बाद देश में आक्रोश और दु:ख की लहर दौड़ गयी। प्रधानमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलायी, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुखों और राज्य की सुरक्षा सलाहकारों ने भाग लिया। इस बैठक में "ऑपरेशन सिंदूर" की नींव रखी गयी। इस ऑपरेशन का नाम "सिंदूर" इसलिये रखा गया क्योंकि यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि यह भारत की उन बेटियों के सिंदूर का प्रतीक था, उस दिन जिनके सुहाग आतंकवादियों ने छीन लिये। यह संकल्प का सिंदूर था कि अब आंतकवाद के हर साजिश का अंत किया जायेगा। पहलगाम हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने स्पष्ट निर्देश दिये कि इस हमले के दोषियों को बिना सजा के नहीं छोड़ा जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, "ऑपरेशन सिंदूर" एक बहुत ही जटिल और बहुआयामी ऑपरेशन रहा। इसमें सिर्फ सैन्य कार्यवाही नहीं, बल्कि खुफिया जानकारी जुटाना, कूटनीतिक दबाव बनाना ओर मनोवैज्ञानिक युद्ध भी शामिल था। सबसे पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हमले में शामिल आतंकवादियों और उनके ठिकानों के बारे में सटीक जानकारी जुटायी। ड्रोन, सेटेलाईट, इमेजरी और मानव खुफिया के माध्यम से आतंकियों के हर कदम पर नजर रखी गयी। इसके बाद तीनों सेनाओं भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना, भारतीय नौ सेना ने मिलकर, एक संयुक्त रणनीति तैयार की। सेना के विशेष बल जैसे कि पैरा कमाण्डो को आंतकियों के ठिकानों पर जमीनी कार्यवाही के लिए तैयार किया गया। वायु सेना ने हवाई हमले की योजना बनायी, जिसमें राफेल जैसे उन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जाना था, हथियारों और उपकरणों की तैयारी भी पूरी मुस्तैदी से की गई। आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने के लिए लेजर गैजेट, बम सटीकमारक मिसाइलें और रॉकेज लॉन्चर तैयार किये गये। आधुनिक संचार प्रणालियों और निगरानी उपकरणों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया ताकि ऑपरेशन की सटीक जानकारी और समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। माननीय सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई की आधी रात के बाद से शुरू हुआ। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था। भारत ने पाकिस्तान और पी.ओ.के. में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। आधी रात को घने अंधेरे में भारतीय वायुसेना के जॉबाज लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पी.ओ.के. में आतंकवादियों के ठिकानों पर हवाई हमले किये। यह हमले इतने सटीक और विनाशकारी थे ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति जी।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा, आप बैठिये।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहथव कि कि जो 3 आतंकवादी रहिस हे, तेखर लिये का योजना चलात हे, तेकरो लिये बतावव। अभी तक पकडाये नई हे। पूरा देश भयभीत हे कि और घटना झन कर दिही। ओ मन पाकिस्तान चले गये हे या भारतच में हे तेकरो भी बतावव।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, आप बैठिये न। आप प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। आप दूसरी बात के सदस्य हैं। आपको पूरी प्रक्रिया मालूम है। आप उनका प्रस्ताव आने दीजिए न।

श्री रामकुमार यादव :- वो तीनों आतंकवादी कहा हे, तेला बतावव।

सभापति महोदय :- उनकी प्रस्तावना आने दीजिए। आपके बाद आप चर्चा में अपनी बात रखियेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- तैं आखिर चाहत का हस, तेन ला बता।

श्री रामकुमार यादव :- मैं चाहत हंव कि जेन आतंकवादी पकड़ाये नई हे..।

श्री धर्मजीत सिंह :- ओला खोजत हन।

श्री रामकुमार यादव :- कब खोज करही?

श्री धर्मजीत सिंह :- खोजत हन, मिलही न। तैं आतंकवादी वाला का समझे हस। बकरी का बच्चा है क्या कि उसको कहीं पर पकड़े लेंगे।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति जी, ये देश की बात कर रहे हैं। कांग्रेस भवन में तोर अध्यक्ष के मोबाईल चोरी हो गये, वो तो पकड़ नई पाये, आगे इहां का बात करथे।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन मोबाईल के रक्षा नई कर सकत हस। सेना को बार-बार सलाम है, लेकिन तुंहर सरकार मा प्रश्नचिन्ह लगे हे कि तीनो आतंकवादी नई मिले हे।

सभापति महोदय :- मूणत जी, बैठिये। माननीय मंत्री जी, आप अपनी बात रखिये।

श्री केदार कश्यप :- माननीय सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों के कई प्रशिक्षण शिविर, लांच पैड, गोला बारूद के डिपो पूरी तरह से तबाह हो गये। इस ऑपरेशन में कई शीर्ष आतंकवादी कमांडर भी मारे गये। इसमें लश्कर ए तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों के मुख्यालय और प्रशिक्षण शिविर भी शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई। भारत ने कुशल रणनीति के तहत पाकिस्तान और पी.ओ.के. में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। पूरी पाक सेना पर जवाब कार्रवाई करते हुए 11 एयरबेस को भी कुचल डाला। इस लिस्ट में पाकिस्तान के 4 आतंकी अड्डों बहावलपुर, मुर्दिके, सरजाल, मेहमूना जोया और पी.ओ.के. के 5 आतंकी अड्डों सवाई नाला, मुजफ्फराबाद, सैयदना, बिलाल, गुलपुर, कोटली, बरनाला, भीमबर और अब्बास के नाम शामिल हैं। आतंक के नर्सरी के नर्सरी कहे जाने वाले मुर्दिके पाकिस्तान का बड़ा कमर्शियल हब माना जाता है और यहीं लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय भी मौजूद है। 200 एकड़ में फैले हुए मुख्यालय में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप चलाये जाते हैं। पाकिस्तान के पंजाब में बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का बेस है। 26-11 आतंकी हमलों का मास्टर माइंड मसूद अजहर यहीं से अपने नापाक आतंकी मंसूबों को अंजाम दिया करता है। ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने अत्याधुनिक हथियारों और रणनीति का प्रदर्शन किया। उन्होंने ड्रोन के माध्यम से निगरानी की और वास्तविक समय में जानकारी साझा की जिससे सटीक कार्रवाई करने में मदद मिली। माननीय सभापति महोदय, आपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं बल्कि पूरे देश की एकजुटता का प्रतीक भी थी। यह हमले के बाद देश के हर कोने से लोगों ने

आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। राजनीतिक दलों ने मतभेदों को भुलाकर एकजुटता दिखाई। पूरे देश की एकजुटता ने आतंकवादियों को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों पर होने वाले किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह संदेश था कि भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिये कुछ भी कर सकता है। इस एकजुटता ने न केवल सेना का मनोबल बढ़ाया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी यह दिखाया कि भारत आतंकवाद से लड़ने के लिये प्रतिबद्ध है। यह ऑपरेशन ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया कि यह अपनी धरती पर आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे। माननीय सभापति महोदय, पहलगाम का घाव कभी नहीं भरेगा लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने यह सुनिश्चित किया कि इस खून का हिसाब लिया जायेगा, यह एक ऐसी महागाथा है जो अदम्य साहस, अटूट संकल्प और राष्ट्र के प्रति असीम प्रेम को दर्शाती है, यह हमें याद दिलाती है कि जब भी भारत पर संकट आयेगा उसके सिंदूर को रक्त से सनाने की कोशिश की जायेगी तब भारत का हर सिपाही, हर नागरिक उस सिंदूर का बदला लेने को तत्पर रहेगा । ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के शौर्य और भारत के अटल संकल्प का एक ऐसा प्रतीक बन गया जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा कि आतंक का जवाब केवल ताकत और दृढ़ संकल्प से ही दिया जा सकता है, यह सिर्फ एक अध्याय नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाईयों में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था ।

माननीय सभापति महोदय, मेरा फिर से इस सदन से यह आग्रह है कि सर्वसम्मति से हमारे देश के उन सेना के हमारे जवानों का और देश के प्रधानमंत्री का यह सदन एकमत होकर के हम और आप इस बात के लिये उनका धन्यवाद करें कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे देश को एकजुट करके जो आतंकवादी शक्तियां हैं उनके खिलाफ में खड़ा होने के लिये हमारे देश के हर नागरिक को तैयार करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी । मैंने पहले ही कहा कि यह ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य जीत नहीं है बल्कि यह लोगों के भीतर, देश के प्रति एकता और जो जागरूकता फैलाने का और देश के प्रति अपनी निष्ठा जताने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी यह ऑपरेशन सिंदूर रहा । माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार । (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । अब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिये एक घंटे का समय निर्धारित है । श्री अजय चंद्राकर जी, चर्चा प्रारंभ करेंगे ।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, मैं संसदीय कार्यमंत्री श्री केदार कश्यप जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा आज यह साबित करने जा रही है तो राष्ट्रीय विषय से भी सरोकार रखती है । राष्ट्र में जो भी गतिविधियां देश को आगे बढ़ाने के लिये होती हैं, उसमें मत रखती है और मत की प्रस्तुति माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने की है और बहुत अच्छे विषय को छुआ है ।

माननीय सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के पहले ऑपरेशन सिंदूर की स्थिति क्यों बनी ? देश के राजनीतिक इतिहास को, देश के सैन्य इतिहास को, देश के बाकी भौगोलिक इतिहास को जानना जरूरी है कि इस देश के साथ, चूंकि मैं कोशिश करूंगा कि किसी राजनीतिक पार्टी का नाम मत निकले लेकिन इस देश के साथ कैसा अन्याय किया, जो नेतृत्व था । वह आज की पीढ़ी को जानने, सुनने और समझने लायक है । देश के टुकड़े करने में ही नेतृत्व का विश्वास रहा । देश जब स्वतंत्र हुआ, यदि मेरे कोई तथ्य असत्य हों तो आप काट सकते हैं । जब देश स्वतंतत्र हुआ ।

श्री केदार कश्यप :- काट तो सकते हैं और काटने के बाद आप चाहें तो पाकिस्तान को शांति के लिये नोबेल पुरस्कार के लिये भी प्रस्तावित कर सकते हैं ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- स्वतंत्रता के लिये कौन सी पार्टी लड़ी और कौन मरा उसको भी तो कोड कीजिये ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, यह अच्छी बातें नहीं हैं, यह सब बातें नहीं आनी चाहिए । मुझे लगता है कि भारत-पाकिस्तान के विषय पर हम सभी एक हैं और हमेशा मजबूती से एकता के साथ हमने लड़ाई लड़ी है तो यदि आप इस तरह की भावना रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे तो सभी का Moral down होगा । माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इसको विलोपित किया जाये ।

श्री केदार कश्यप :- देवेन्द्र जी, आप एक-बार उनको बताईये न । वे बीच-बीच में खड़े होकर जिस तरीके से हम लोगों को बाधित करते हैं ।

श्री देवेन्द्र यादव :- मैं आपसे यह उम्मीद नहीं करता हूं, आप संसदीय कार्यमंत्री हैं । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बैठिए । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- 3 आतंकवादियों को नहीं पकड़े हैं और यहां पर भाषण देंगे तो मैं कैसे सुनूंगा ? बताईए न ।

समय :
2.00 बजे

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 1948 में पहली बार कवाईयों ने आक्रमण किया । भारत की सेना जवाब दे रही थी, जीत की ओर बढ़ रही थी । तत्कालीन प्रधानमंत्री उसको बिना संसद की अनुमति के, बिना किसी नेताओंण से परामर्श किए यू.एन.ओ. में ले गयीं । आज देश उसका परिणाम भुगत रहा है। बाकी जो शेष हिस्सा है, वह पी.ओ.के. बन गया। । दूसरी बार चीन का आक्रमण हुआ। देश को मुगालते में रखा गया। हिंदी चीनी भाई-भाई, उस समय सबसे प्रमुख नारा था। पंचशील के सिद्धांत..।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति महोदय, बात सिंदूर की हो रही है। ये इतिहास में जा रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरा सुनेंगे, तो समझ में आयेगा।

श्री अटल श्रीवास्तव :- हम लोगों को भी इतिहास में बोलने का मौका दिया जाएगा? कहां आपके वीर सावरकर, अमेरिका से मांफी मांगे थे। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय सभापति महोदय जी, चन्द्राकर जी, सिंदूर की बात करें। इतिहास की बात न करें। (व्यवधान)

श्री दिलीप लहरिया :- आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करें। ये ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- जिसने महात्मा गांधी को गोली मारा, आप उसकी पूजा कर रहे हो। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जिस विषय पर प्रस्ताव आया है, आप उस पर बात करें। ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है। आप चीन व उसकी बात न करें।

श्री अटल श्रीवास्तव :- आप ऑपरेशन सिंदूर में बात नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- तुमन गोडसे के आरती उताथव। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- चन्द्राकर जी, आप विषय में आइए। ऑपरेशन सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे बोलने के बाद आपको अवसर दिया जायेगा।

श्री दिलीप लहरिया :- यह देश की बदनामी हो रही है। जब से वापस आया तब से देश की बदनामी हो रही है। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप कुछ भी बोलेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभापति महोदय, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो विषय है, उस पर बात कीजिए।

सभापति महोदय :- चलिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी नेता का नाम नहीं लिया। इनको क्यों मिर्ची लग रही है?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, इस विषय में यशस्वी प्रधानमंत्री की रणनीतिक दक्षता के प्रदर्शन के लिए सदन हार्दिक अभिनंदन कर रहा है। हम सिर्फ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की रणनीतिक दक्षता की बात करना चाह रहे हैं। हम उनको सुनना चाह रहे हैं। हम उनको सुनना चाह रहे हैं कि उनकी दक्षता क्या है और ऑपरेशन सिंदूर में उनका क्या योगदान रहा है?

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मैं क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा? विपक्ष की पसंद पर नहीं बोलूंगा। मुझे जो बोलना है, वह बोलूंगा। सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। मैं इनकी पसंद पर नहीं बोलूंगा।

सभापति महोदय :- सबके अवसर आयेंगे। बाकी सबके नाम हैं। आप अपने समय में बात रख लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- भारत की विदेश नीति के पंचशील सिद्धांत प्रमुख आधार स्तंभ होते थे। परिणाम क्या निकला? हमने वर्ष 1962 में 93 हजार वर्ग मील जमीन खोई। उसके बाद वर्ष 1971 का युद्ध हुआ। भारतीय सेना लाहौर तक पहुंचने वाली थी। 93 हजार सैनिक सरेंडर हुए। विश्व के इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सरेंडर भारतीय सेनाओं ने कराया। टेबल में परिणाम क्या निकला? हमने 13 हजार मील जीती हुई जमीन छोड़ी और एक लाइन का शिमला समझौता निकला कि हम एक दूसरे के मामले में बाह्य हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम दोनों मिलकर सुलझाएंगे।

श्री अटल श्रीवास्तव :- फिर अमेरिका का इस मामले में हस्तक्षेप क्यों हुआ? फिर ट्रंप ने क्यों फोन किया? इसमें भी बात हो जाए कि ट्रंप ने क्यों फोन किया। किसके कहने पर समझौता हुआ? हमारी सेना को अंदर घुसने क्यों नहीं दिया गया? गिरफ्तारी पर चर्चा को क्यों नहीं किया गया? किसकी गिरफ्तारी का डर था? अडानी के या लाहौर की? इस पर भी खुलासा होना चाहिए।

श्री दिलीप लहरिया :- देश की बेइज्जती हो रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका बोलने में नाम नहीं है?

सभापति महोदय :- अटल जी, आप अपने समय में बोलिएगा न।

श्री रामकुमार यादव :- ट्रंप ने बोला है कि मैं आपकी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया हूं। आप इसको भी बताना।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने कहा न कि मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। कोशिश करूंगा करके कि किसी नेता का नाम नहीं लूंगा। कोशिश करूंगा कहा। अब आपको उसके बाद भी समझ में आ जाता है तो मैं क्या करूं? आप इतने समझदार हैं। (हंसी) इतना समझदार विपक्ष मैंने देखा नहीं है कि किसी का नाम लिए बगैर आप समझ जाते हैं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मतलब आप मान रहे हैं कि हम समझदार विपक्ष हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमने 13 हजार मील जमीन छोड़ दी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय चन्द्राकर जी, आप मान रहे हैं कि हम समझदार विपक्ष हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- शिमला समझौता एक लाइन का कि हम दोनों के बीच में तीसरे की बात हम स्वीकार नहीं करेंगे। उस दिन वह ताकत थी कि पाकिस्तान को हम परमाणु बम बनाने से भी रोक सकते थे। सारी स्थितियां हमारे हाथ में थीं। माननीय सभापति महोदय, मैं ऑपरेशन सिन्दूर में तो बात करूंगा ही, लेकिन मैं उससे पहले एक बात बता देता हूं। आपको इसमें ज्यादा लंबा इतिहास नहीं बताऊंगा। अक्टूबर, 2004 से 2014 तक एक पार्टी की सत्ता होती है। 11 बार, माने प्रत्येक वर्ष एक बार

आतंकी हमले इस देश में हुए। नागरिक क्षेत्रों में हुए। यह मोदी जी के शासन का 11वां साल चल रहा है, नागरिक क्षेत्र में सिर्फ एक हमला हुआ, पहलगाम में ।

श्री रामकुमार यादव :- अउ पुलवामा ला कब होइए । अच्छा सैनिक शहीद होंगे तो उसको नहीं मानेंगे ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- संसद में हमला किसके राज में हुआ ?

श्री रामकुमार यादव :- संसद के हमले से आपको कोई लेना देना नहीं ?

श्री अटल श्रीवास्तव :- संसद में हमला किसके राज में हुआ था, कारगिल में हमला किसके राज में हुआ था ? आप गलत बात कर रहे हैं, आप बताइए ना कारगिल का हमला किसके राज में हुआ था ?

श्री रामकुमार यादव :- सैनिक शहीद हुए उससे आपकी सरकार को कोई लेना देना नहीं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- उसके बाद आज तक एक भी आदमी ।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- पुलवामा हमला, पठानकोट हमला ये सब किसके राज में हुआ था ?

श्री अजय चन्द्राकर :- उसके बाद एक भी अपराधी परिणाम तक नहीं पहुंचा । जिसने कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया, उस वकील को माननीय मोदी जी ने राज्य सभा में मनोनीत किया (मेजो की थपथपाहट) उज्जवल निकम को ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- और सुप्रीम कोर्ट के जज को राज्य सभा भेजा जिसने जस्टिस लोया के केस ।

सभापति महोदय :- अटल जी, रामकुमार जी आप दोनों वहां से बात करते हैं। आप सीधे बात करते हैं, यह गलत परम्परा है । आप आसंदी के माध्यम से बात करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुझे लगता है कि ये अटल जी आज चंदखुरी के राम भगवान की मूर्ति देखकर आ गए हैं । सभापति महोदय, उससे पहले एक और सरकार थी जो अल्पमत की सरकार थी । खरीदी-बिक्री में बनी सरकार थी । उसी समय मुम्बई का सीरियल ब्लास्ट हुआ । लाजपत नगर का ब्लास्ट उसी समय हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, अजमल कसाब को भी एक आदमी ने पकड़ा था । कोई भी कार्रवाई आखिरी परिणाम तक नहीं पहुंची । अब पुलवामा और नागरिकों पर दो तीन हमले हुए, जो भी कार्रवाई हुई । लेकिन एक बात आपको बता देता हूं 17 फरवरी, 2006 को, यानी किसकी सत्ता थी आप जान सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं नाम ना लूं । सबसे बड़े अलगाववादी नेता यासीन मलिक इस देश के प्रधानमंत्री के साथ चाय पीकर लंच करते हैं । ये हमारी आंतरिक सुरक्षा या विदेश नीति के अंग थे । मैं तारीख बता रहा हूं अलगाववादी नेता प्रधानमंत्री के साथ ।

श्री अटल श्रीवास्तव :- मुशर्रफ के साथ बिरयानी खाने कौन गया था, बिना बुलाए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 17 फरवरी, 2006 और उसके बाद यासीन मलिक की पत्नी मुसाल हुसैन मलिक ने सांसद राहुल गांधी जी को पत्र लिखा, जिसमें मलिक के समर्थन में संसद में आवाज उठाने की बात कही गई । जाकिर नाईक धार्मिक उपदेशक है, भारत में प्रतिबंधित है । अभी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ ।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, क्या सम्मानित सदस्य, किसी अन्य व्यक्ति जो इस सदन का हिस्सा नहीं है, उसका नाम ले सकते हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- उसमें भी बता देता हूं ।

श्री रामकुमार यादव :- ये तो महाज्ञानी है, ज्ञान के भंडार वाला, बतावव । एला जादा ज्ञान हो गे हे, ईरान करा भेजव, एला विदेश भेजा जाय ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, हम हर व्यक्ति का नाम ले सकते हैं। हम उस संदर्भ में किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते, जब हम उस पर आरोप लगाएं और उसका यहां आकर जवाब देना पड़े, उस स्थिति में नाम नहीं ले सकते अन्यथा हम सब नाम ले सकते हैं, यदि एलिगेट्री नहीं है तो ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जाकिर हुसैन के नाम लेने से..।

श्री देवेन्द्र यादव :- मैंने जाकिर हुसैन की बात नहीं की, मैंने राहुल गांधी की बात की । आप राहुल गांधी का नाम क्यों ले रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- राहुल गांधी जी से प्रश्न उठाने का आग्रह किया था, यह क्या आरोप है ?

श्री देवेन्द्र यादव :- आप राहुल गांधी जी का नाम क्यों ले रे हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- हां लिये ना । लिये और लेंगे । इन्होंने कहा कि एक पत्र उन्होंने लिखा ।

श्री देवेन्द्र यादव :- चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद । अभी हम भी बात करेंगे और उस समय हम आपको जवाब देंगे । हमको जैसे जवाब देना है, हम भी दे देंगे । आप जाकिर हुसैन की तरफदारी करते हुए दिख रहे हो ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जाकिर हुसैन इस देश का गद्दार है, जाकिर हुसैन भारत माता का दुश्मन है और दुश्मन का नाम हम लेंगे, लेंगे, लेंगे ।

श्री रामकुमार यादव :- हम भी बोलेंगे कि मोदी जी बिरयानी खाकर आते हैं, मोदी जी, ट्रम्प के दबाव मा समझौता करते हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जाकिर नाईक को एक फाउंडेशन, अब नाम तो नहीं लेता । राजीव गांधी फाउंडेशन नाम ले देता हूं । उसको फिनान्स करते हैं । साबित होने पर उसको मोदी जी की सरकार फेमा के तहत प्रतिबंधित करती है कि इस एनजीओ को फंडिंग नहीं दी जा सकती, जाकिर नाईक को जिस पार्टी या जिस फाउंडेशन ने डोनेशन दिया हो, वह प्रमाणित है । मैं इस बात को अपने घर की किताब से नहीं बोल रहा हूं । अब छत्तीसगढ़ की माटी पर एक महान सपूत माननीय भूपेश बघेल जी पैदा हुए,

अभी भी कार्यरत हैं जिसके प्रभावी रामकुमार जी हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को सफल कैसे माना जा सकता है, कैसे पकड़ा गया, कोई नहीं पकड़ा गया। यही एक देश है और यही एक पार्टी है जो प्रमाण मांगती है। ऊरी में क्या हुआ ?

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाह रही हूं।

सभापति महोदय :- ये प्रश्नकाल नहीं है, आपका नाम है, आप अपनी चर्चा में बात रख लीजिएगा।

श्री अटल श्रीवास्तव :- सभापति जी, गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे तो आपत्ति दर्ज होगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- चंद्राकर जी, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, मोदी जी का ही बयान था, जब केन्द्र में हमारी सरकार थी तो मोदी जी ने पूछा कि नक्सलवाद के पास शस्त्र आता है, वह कहां से आता है ?

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, मुझे यह बात समझ नहीं आती, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग इतने समझदार कैसे हो गए ? मैं आरोप भी नहीं लगा रहा हूं, आप हर बात अपने उपर क्यों लेते हो ? इस देश में पचीसों पार्टियां हैं, कांग्रेस भर पार्टियां नहीं है, कांग्रेस से बड़ी पार्टियां हैं। माननीय सभापति महोदय, इस देश में आतंक के खिलाफ लड़ने की कोई इच्छाशक्ति नहीं थी, 10 साल में 11 बड़े-बड़े हमले हुए। परिणाम क्या है ? आतंकवादी, अलगाववादी भारत के प्रधानमंत्री के साथ चाय और नाश्ता कर रहे हैं। 2014 के बाद पहली बार मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। हमारी एक आइडियोलॉजी है, राष्ट्रीयता के मुख्य सिद्धांत, जोर से बोलिए भारत माता की जय। बस एक लाईन है, हमको यही सिखाया जाता है। राजनीति राष्ट्रीयता का एक आधार है, भारत माता की जय। भारत माता की जय की विचारधारा से प्रेरित प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस आतंकवाद पर आज के बाद पाकिस्तान से कोई चर्चा नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो और स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान से चर्चा होगी तो सिर्फ दो विषय में POK हमारा है और आतंकवाद पर चर्चा होगी। इन दो विषयों को छोड़कर किसी तीसरे विषय में पाकिस्तान से बात नहीं होगी, ये राजनीतिक दृढ़ता यदि किसी ने दिखाई तो उनका नाम नरेन्द्र मोदी है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, 22 अप्रैल, 2025 को 26, 27 लोगों को धर्म पूछकर चुन-चुनकर मारा गया। उल्लेख हो गया है, मैं उन बातों को नहीं कहूंगा। अब इसको आप थोड़ा सोचिए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय, जब 28 लोगों को चुन-चुनकर मारा गया तो ढाई घंटे तक वहां पर एक पुलिस नहीं आई।

श्री अजय चंद्राकर :- आपका नाम बोलने वालों में है या नहीं, पहले यह बताईए।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- क्यों नहीं आई ? अगर वहां पर ढाई घंटे तक हमले हो रहे हैं, चुन-चुनकर, पूछ-पूछकर मारा जा रहा है तो वहां पर प्रशासन और पुलिस कहां थी ? आप बताईए, उसका जवाब दीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- आपके खुफिया तंत्र कहां रिहिस हे। (व्यवधान) ढाई घंटा में तुमन उठ नई पाएव। तुमन हथेली में तेल लगा के सुते रेहेव। का करत रिहिस तेला बतावव।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- ढाई घंटे पूछ-पूछकर मारा गया, सिंदूर उजाड़ा गया। (व्यवधान) कश्मीर केन्द्र शासित राज्य है, मोदी जी की जिम्मेदारी है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- वहां सरकार किसकी है इसको देखिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- उमर अब्दुल्ला आपका मुख्यमंत्री था। (व्यवधान)

श्री अटल श्रीवास्तव :- केन्द्र शासित राज्य है, आप क्या बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- वहां पर ढाई घंटे तक सुरक्षाकर्मी कहां थे ? ये सबसे पहला सवाल है। उस समय मोदी जी ने आदेश क्यों नहीं दिया ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- टोकना है या सुनना है ? (व्यवधान)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आप जो बोल रहे हैं, हम नहीं सुन सकते। (व्यवधान) जब वहां पर हमला हो रहा था, वहां पर कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था। हम मानते हैं, चंद्राकर जी अच्छा बोल रहे हैं लेकिन हमको भी दर्द होता है।

श्री दिलीप लहरिया :- आप ऑपरेशन सिंदूर में बात रखिए न, आप अपनी बड़ाई मारने के लिए दूसरी भूमिका बना रहे हैं। आप बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन इतना मुद्दा बनाकर इतिहास में जा रहे हैं, आप ऑपरेशन सिंदूर में बात करिए।

सभापति महोदय :- बता रहे हैं, बैठिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सभापति महोदय, हमारे विद्वान सदस्य भांचा जी बोल रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति जी, मैं इनकी आपत्ति पर दो घंटे में दो बातें बोल देता हूं। पहली बात, उमर अब्दुल्ला की सरकार कांग्रेस समर्थित है या नहीं है, ये भाषण में स्पष्ट करेंगे। कांग्रेस उनको समर्थन दे रही है या नहीं दे रही है। दूसरी बात, एल.जी. ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि मैं पहलगाम की जिम्मेदारी लेता हूं। यदि आप न्यूज पेपर पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन जितनी घटना मैंने सुनाई, क्या उसकी कांग्रेस ने कभी नैतिक जिम्मेदारी ली कि यह हमारी गलती से हुआ है? आप न्यूज पेपर पढ़िये, एल.जी. ने उसकी नैतिक जिम्मेदारी ली है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति जी, इनके विदेश मंत्री जी 3 खूंखार आतंकवादियों को हवाई जहाज में बैठाकर ले गये हैं, उसमें आप बोलिये। आपको तो इस बारे में बोलने का अधिकार नहीं है।

सभापति महोदय :- संगीता जी, यह प्रश्नकाल नहीं है कि वहां पुलिस कहां थी? वह संदर्भ में बता रहे हैं। आप अपने समय में अपनी बात रख लीजिएगा।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति जी, एक मिनट। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब भी अजय जी खड़े होते हैं तो संगीता जी खड़ी हो जाती हैं। यह आप दोनों का आपस का मामला है, इसको आप दोनों निपट लीजिए। आप हाऊस में क्यों व्यवधान करते हैं? (हंसी)

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय सभापति महोदय जी, यदि यह कुछ भी कहते हैं तो हमको भी परेशानी होती है।

श्री अजय चंद्राकर :- अब आप बैठ गई हैं तो मैं बोलूं?

सभापति महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हुए हैं।

नेता प्रतिपक्ष (डॉ. चरणदास महंत) :- मैं बोल रहा हूं, आप लोग थोड़ा सुन लीजिए। आदरणीय सभापति जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ध्वस्त करने की जो बात कही थी, यह ऐतिहासिक कदम है। हम भारतीय सेना की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। (मेजों की थपथपाहट) हम यहां पूरे सौहार्द्र के साथ हमारी सेनाओं को बधाई देने के लिए व उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आये हैं, मगर यहां पर एक ऐसा सिपाही बैठा हुआ है, जो हम लोगों को बार-बार उत्तेजित कर रहा है। यहां हमारी सौजन्यता, सरलता व सजगता पर आप बार-बार हमको उल्टे-सीधे दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम इस चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते हैं और बहिष्कार करते हैं।

समय :
02.17 बजे

बहिष्कार

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के विरोध में.

(डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के विरोध में सदन का बहिष्कार किया गया)

प्रस्ताव (क्रमशः)

श्री अजय चंद्राकर :- नेता जी, मैंने अपने पूरे भाषण में सिर्फ एक बार कांग्रेस कहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोग पाकिस्तानी समर्थक हो।

श्री राजेश मूणत :- माननीय सभापति महोदय जी, क्या है कि नेता जी हकीकत सुनना नहीं चाहते हैं। जब आप हकीकत सुनना नहीं चाहते हैं और देश के सामने हकीकत आ रही है तो पलायन के सिवा और कोई बात ही नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी ने भारतीय सेना कहा तो उनकी इस टिप्पणी पर मैं एक लाइन बोल देता हूं। पूरे दक्षिण एशिया में हम एकमात्र लोकतांत्रिक देश हैं। सेना राजनीतिक निर्णय से चलती है। बांग्लादेश में कार्यवाहक सरकार है और उसको सलाहकार चला रही है। हम पाकिस्तान की स्थिति जानते हैं। बांग्लादेश में राजशाही वापस लेने के लिए आंदोलन चल रहा है। बर्मा में सैनिक शासन है। चीन में वह साम्यवादी शासन है, जहां कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। भारत में शांतिकाल या युद्धकाल में परमाणु बम हो, हमला हो, सेना का उपयोग हो, वह निर्णय राजनीतिक नेतृत्व करता है और यह माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देकर अपनी संकीर्णता का परिचय दे रहे हैं। (शेम-शेम की आवाज) (मेजों की थपथपाहट) यह राजनीतिक व्यवस्था पर विचार नहीं करते हैं। यह उसी पारिवारिक व्यवस्था, सामंतशाही, तानाशाही, जिसको परिवारवाद बोलते हैं, उसके पोषक हैं। सभापति जी, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त करता हूं। 26 लोग मरे और उनसे उनकी जात पूछकर उनको मारा गया। उन पर चारों तरफ से दबाव था कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 7 तारीख की मध्य रात्रि को पूरी दुनिया सो रही थी, तभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को रेडियो न्यूज से पता चलता है। आप पूरे समाचार पत्रों को पढ़ लीजिए कि वह क्या कर रहे थे? वह स्वीमिंग कर रहे थे, तब उनको पता चला कि मेरे देश में हमला हुआ है। वह इतना सटीक था। सन् 1971 के बाद पहली बार भारत ने मुनिरका या भावलपुर जैसी जगह में अंदर घुसकर आक्रमण किया। ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था? जो zero tolerance था। उरी व बालकोट में जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक हुए थे, उसके बाद भारत ने 3 दिन के युद्ध में स्पष्ट कहा था कि हम परमाणु धमकी से नहीं दबेंगे। ये राजनीतिक दृढ़ता की क्या प्रशंसा करेंगे ? इनकी प्रशंसा जनता ने कर दी है, उनको कहां पर बैठना है, कब तक बैठना है, वह देश भर में तय है। माननीय सभापति महोदय, वैश्विक राजनीति में इसके परिणाम क्या आए ? भारत की आंतरिक सुरक्षा में क्या परिणाम आए ? भारत की बाह्य सुरक्षा में क्या परिणाम आए ? आप देखियेगा। समाचार-पत्रों में है कि चीन पूरी तरह से लॉजिस्टिक से लेकर खुफिया सपोर्ट पाकिस्तान को दे रहा था, उसके बाद भी उसको नहीं पकड़ पाये। राफेल गिराया गया, आप पेपर पढ़ते होंगे तो पूरे बाजार में राफेल का शेयर गिर गया। अभी रहस्योद्घाटन हुआ कि राफेल को बदनाम करने के लिए भारत का राफेल गिराया गया है, बदनाम करने के लिए चीन ने यह चाल चली थी, यह स्पष्ट हो गया।

माननीय सभापति महोदय, बीच में एक देश कूद गया। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, देश के सेनाध्यक्ष ने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य महानिदेशक तक रिक्वेस्ट आया था कि हम लड़ना नहीं चाहते, आप युद्ध विराम कीजिये। दो दिन बाद उसके देश के राष्ट्रपति का बयान आ गया कि युद्ध विराम में मेरी भूमिका नहीं थी। मैं कहूंगा तो बात दूसरी ओर घूम जायेगी। अभी उसको नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया जा रहा है, सब जगह हो रहा है। पाकिस्तान ने नोबेल पुरस्कार के लिए नामित

किया है। इजराइल ने भी किया है। गिड़गिड़ाकर, रहम की भीख मांगते हुए उन्होंने कहा कि साहब युद्ध विराम कर दीजिये, वरना हम कहीं नहीं रहेंगे। अब ये प्रमाण मांगने वाले लोग हैं कि एयर स्ट्राइक का क्या हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक का क्या हुआ, एक नहीं पकड़े गये। भारत के सुरक्षा सलाहकार श्री डोभाल जी ने परसो ही कहा कि 3 दिन की लड़ाई में भारत को कोई क्षति हुई है, ऐसा कोई एक फोटो दिखा दे, एक कांच का टुकड़ा कोई दिखा दे, ये सटीकता थी, यह उद्देश्य था। उद्देशयपरख नागरिक क्षेत्रों को क्षति नहीं पहुंचायेंगे, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गये।

मानीय सभापति महोदय, कांग्रेस का क्या है ? विदेश नीति में पहली बार 7 देशों में डेलीगेशन गये, उसमें 59 लोग थे। 31 एन.डी.ए. के लोग थे, 20 कांग्रेस और अन्य दलों के लोग थे, विपक्ष के लोग थे कह लें तथा 8 राजनयिक लोग थे। शशि थरूर जी ने प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा की, कूटनीति की प्रशंसा की, दुनिया के देशों तक पाकिस्तान को बेनकाब किया तो कांग्रेस ने उनके साथ क्या व्यवहार किया ? हाल बेहाल, उनका जीना मुहाल कर दिया कि आप "आपरेशन सिन्दूर" का समर्थन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी प्रशंसा कर रहे हैं। उसके बाद शशि थरूर जी ने एक कदम आगे बढ़कर उस इन्दिरा जी के पुत्र को और उस इन्दिरा जी को आपातकाल के लिए दोषी ठहराया, उनकी यह स्थिति है। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रवाद के साथ हूं, मैं देश के साथ हूं, मैं मोदी जी के साथ हूं, मैं किसी से बंधा नहीं हूं। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात क्या हुई ? भारत के जो हथियार हैं, स्वदेशी, make in india की पूरी ताकत दुनिया ने देखी। रूद्रम मिसाइल हो, चाहे नेत्रम हो, चाहे हमारा ड्रोन सिस्टम हो, जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, चाहे वह ब्रम्होस हो, दुनिया के एक्सपर्ट ने कहा कि इतनी सटीकता के साथ, इतनी तैयारी make in india के बाद भारत की जो रक्षा तैयारी हुई है और जिस तरीके से भारत ने किया, मैं उन समीक्षकों के नाम भी बता सकता हूं। john spencer ने लेख india wake up के ऊपर एक पूरा make in india और रक्षा तैयारियों पर एक निबंध लिखा है। आज रूस का खुला समर्थन है, तुर्किये का खुला समर्थन है, बंगलादेश का खुला समर्थन है, लेकिन हम परमाणु धमकी से नहीं झुकेंगे। इसी विषय पर बात होगी, दूसरी पर बात नहीं होगी। पूरी तैयारी करेंगे, आतंकवाद और pok के छोड़, दूसरे विषय पर पाकिस्तान से अब बात नहीं होगी, यह राजनीतिक दृढ़ता है। "आपरेशन सिन्दुर" के बाद जब राजनीतिक जमीन खिसकने लगी और दुनिया ने भारत की रक्षा तैयारी और रक्षा उत्पादन में कांग्रेस शासन के समय जो मुश्किल से एक हजार करोड़ रूपये का निर्यात होता था, वह आज भा.ज.पा. की सरकार 50 हजार करोड़ रूपये का निर्यात कर रही है और वर्ष 2030 तक उसको बढ़ाने के लिए काम कर रही है। (मेजों की थपथपाहट) पहले जो निर्भरता थी। युद्ध के बाद सेना के आधुनिकीकरण के लिए जो समितियां बनी थीं, उसमें कांग्रेस सरकार ने काम नहीं किया। मोदी जी ने आते ही उस रिपोर्ट को खोलवाया और उस रिपोर्ट के बाद आज हमारा रक्षा बजट 6 लाख करोड़ रूपये से

ऊपर पहुंच गया है। मैं देश की बाह्य सुरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा की बात करूंगा। अभी गृह मंत्री जी नहीं है। छत्तीसगढ़ उसमें आता है कि 31 मार्च, 2026 डेडलाईन। देश की बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता न करने वाले, दृढ़ नेतृत्व के साथ इतिहास में स्थान बनाने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हम समवेत् स्वर में अभिनंदन करते हैं। हम भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम समवेत् स्वर में अभिनंदन करते हैं और यह कृतज्ञ राष्ट्र अपने देश की सेना का और माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती है। छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं भी हम सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाते हैं, हम उनको बधाई देते हैं। देश को एक सबल नेतृत्व मिला है। भारत वर्ष 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा, महान राष्ट्र बनेगा। इस घटना से कहीं पर कोई संदेह नहीं है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

सभापति महोदय :- माननीय किरण देव जी।

समय :
2:27 बजे

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए)

श्री किरण देव (जगदलपुर) :- आदरणीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आज छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए वास्तव में बड़ा ही गौरवशाली दिवस है। आज "ऑपरेशन सिंदूर" को लेकर माननीय मंत्री जी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सदन के साथ-साथ यह मेरे लिए भी गौरव का विषय है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारे देश की सेना की ताकत है, उसकी जो क्षमता है और उसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दी है। निश्चित रूप से इसके लिए मैं तीनों भारतीय सेना, जल सेना, थल सेना एवं वायु सेना को सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का जो निर्णय लेने की क्षमता है, उसको देश ही बल्कि पूरे विश्व ने भी देखा है। "ऑपरेशन सिंदूर" अपने नाम से ही परिलक्षित होता है कि उसके अंदर की जो भावना है। जिस तरीके से पहलगाम की घटना हुई, जिसमें हमारे ऐसे 26 बहनों के सिंदूर पोछने का काम किया गया। पड़ोसी देश पाकिस्तान से घुसपैठियों और आतंकवादियों ने जिस तरीके से यह लज्जाजनक घटना को अंजाम दिया, उसका तत्क्षण बदला लेने का निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और हमारे तीनों भारतीय सेना के जवानों ने लिया। हमारे प्रधानमंत्री जी का दृढ़ निश्चय की जो नीति है, उसको पूरे देश ने देखा है। इससे पूर्व इस देशवासियों ने समय-समय पर न मालूम कितनी आतंकवादी घटनाएं, कितने युद्ध को देखा है। उस समय तत्कालीन क्या निर्णय लिये गये? उस समय कांग्रेस की सरकार रहा करती थी और उस समय की सारे विषयों को आज अजय चन्द्राकर जी ने सदन में रखा है। सिर्फ 23 मिनट में यह अपने आप में

पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर देने वाला घटना था। ऐसा परिणाम रहा कि सिर्फ 23 मिनट में भारतीय सेनाओं ने यह करके दिखाया। हमारी सेना हमारे देश की सीमा पर रहते हुए, पड़ोसी देश की सीमा को न लांघते हुए उनके सैन्य ठिकानों पर, उनके आतंकी ठिकानों पर, यहां तक की उनके एयरबेस को तबाह करने का काम किया है। इसके लिए मैं तीनों भारतीय सेना का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सेना को खुली छूट देने का निर्णय था। यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय था कि इस तरीके से पूरी तैयारी के साथ, पूरी क्षमता के साथ हमारे देश की सेना ने यह बता दिया कि हमारे देश की तरफ कोई तिरछी निगाहों से या मैली निगाहों से देखेगा तो उसका यही अंजाम होगा । सभापति महोदय, हम बाह्य सुरक्षा की बात करें या आंतरिक सुरक्षा की बात करें, हमारा देश सुरक्षा की दृष्टि से कितना सुदृढ़ हुआ है, कितना सक्षम हुआ है, यह प्रमाणित हो गया । आदरणीय सभापति महोदय, मैं यहां पर इस बात का जरूर उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की “मेक इन इंडिया” की जो नीति है, हम पहले सेना के उपयोग के हथियार विदेशों से मंगाते थे, आप देखिये कि ऑपरेशन सिंदूर की घटना के बाद, उससे बदला लेने के पश्चात् आज ऐसे कई देश हैं, जो ब्रम्होस से लेकर आकाश और कई ऐसे हमारे मिसाईल सिस्टम हैं, हमारे सैनिक के उपकरण हैं, वह देश में बने हैं, जिसका निर्माण देश में ही हुआ है और उनको लेने के लिये उत्सुक हो रहे हैं, अलग-अलग देशों से बार-बार प्रस्ताव आ रहे हैं । सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर बेटियों के सम्मान की रक्षा को दर्शाता है, मैंने पहले भी कहा है कि इसका नाम जो ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है, हम विश्व के मानचित्र में देखें, इस घटना से हमारे देश के सैन्य कौशल का मान बढ़ा है । सभापति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री के निर्णय लेने की क्षमता से पूरा विश्व परिचित हुआ है और यह हमारे बेटियों के नाम पर, उनके सिंदूर पोंछने के नाम पर, यह “ऑपरेशन सिंदूर” का नाम लिया गया है, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है । सभापति महोदय, हमने 4 दिन का ऑपरेशन सिंदूर का समय देखा है और हम सभी ने नहीं इसे पूरे विश्व ने देखा है और इस पूरी ब्रीफिंग की कार्यवाही बहुत ही महत्वपूर्ण है । हमारे देश की दो बेटियॉ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमाण्डर व्योमिका सिंह ने जो सैन्य कार्यवाही की लगातार जानकारी दी है, हमारे देश की जो नारी शक्ति है, मातृ शक्ति है, उनकी नेतृत्व क्षमता और उनके साहस की प्रशंसा करनी होगी, जहां एक बड़े मिशन को अंजाम दिया गया । सभापति महोदय, इनकी भावनाओं को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, ऑपरेशन सिंदूर का जो मकसद है, इसके पीछे जो पीड़ा है, उसे हम सभी महसूस करते हैं । सभापति महोदय, पहलगाम के घटना की जो तस्वीर सामने आई है, यह पूरे विश्व के सामने आई है, यह बहुत ही पीड़ादायक है । इसमें कार्यवाही करके ही इस पीड़ा को कम से कम किया जा सकता है, इसे समाप्त तो नहीं किया जा सकता और इसको पूरे देश ने स्वीकार किया है । सभापति महोदय, यहां एक बात का जरूर उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक श्री अजय चन्द्राकर जी ने इस बात को स्पेसिफिक रूप

से कहा था कि ऐसा क्यों होता है ? जब-जब ऐसी घटनायें होती है, चाहे वह एअर स्ट्राईक का मामला हो, इसके पूर्व ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, देशवासियों ने कई विपक्षी राजनैतिक दलों का वह भाव भी देखा है, उन्होंने सेना पर प्रश्नचिन्ह लगाये हैं कि आपने कहां पर स्ट्राईक किया है, यह भी कहा गया कि स्ट्राईक का परिणाम जो बता रहे हैं, वह सत्य नहीं है, उसकी निशानदेही बतायें ? यह अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, उस पर सवाल खड़ा करना, इसकी जितनी निन्दा की जाये कम है । जब "ऑपरेशन सिंदूर" के परिणाम की सफलता को और हमारे सैन्य शक्तियों को पूरा विश्व मान रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व क्षमता का लोहा माना जा रहा है, उसी समय हमारे देश के अन्य विपक्षी दलों की यह भावना कि इस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है । सभापति महोदय, मैं इसमें एक बात का जरूर उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे देश के या सत्ता दल के लोग या उनके नेता या हमारी सैन्य क्षमता के विषय में जब हम इस बात को कहते हैं तो विपक्षी दलों के माध्यम से इसमें टीका-टिप्पणियों की बात की जाती है, जिससे संदेह को जन्म देने की बात हो । वहीं पर मैं आपको बता दूं कि कई अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों ने इस आपरेशन को भारतीय सैन्य क्षमता का आज तक का सबसे सटीक उदाहरण बताया है । इस प्रकार की क्षमता को देखकर आगे कई अन्य देश इसका अनुसरण करें तो एक मिसाल के तौर पर यह एक उदाहरण बना हुआ है । भारत ने, हमारे देश की सैन्य क्षमता ने हमारे देश के नेतृत्व में यह दिखा दिया है कि हम अपने ही देश में रहकर अपने सैन्य उपकरणों से, आधुनिक उपकरणों से जिसका निर्माण हमारे ही देश में हुआ है, हमारे देश की तरफ किसी भी प्रकार की आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जा सकता। हम अपने देश में रहकर उनके देश के सैन्य आतंकी ठिकानों को नेश्तनाबूत कर सकते हैं, उनको तबाह कर सकते हैं । इस दृष्टि से चार दिन का यह ऑपरेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है । आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि अगर भविष्य में भी किसी प्रकार की आतंकवादी घटनाएं हमारे देश के अंदर घुसकर या वहीं से भी किसी प्रकार की घटनाओं के लिए अगर कोई भी आतंकवादी संगठन इस प्रकार की नापाक कोशिश करेगा तो इसी तरीके से बदला लिया जाएगा । अभी आपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, यह मात्र स्थगित हुआ है । इसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय की बहुत-बहुत प्रशंसा होनी चाहिए । इन चार दिनों के युद्ध में पाकिस्तान को उनके समर्थक देशों ने जो सहयोग प्रदान करने का प्रयास किया, उनको सहयोग प्रदान किया, उसमें भी पूरी क्षमता के साथ उन देशों को यह बता दिया गया कि हमारे देश की सैन्य क्षमता किस स्थिति में है । हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में किसी भी आतंकवादी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस ऑपरेशन सिंदूर में तीन चीजें और स्पष्ट हुई है । हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो रणनीति है, जो हमारी पॉलिसी है और जिस तरीके से डिप्लोमेटिक निर्णय हुए है जैसे इंडस वाटर ट्रीटी का जो विषय है, इसको रोककर डिप्लोमेटिक निर्णय लेने का काम किया है । आतंकवादी को संरक्षण और पनाह देने वालों एवं

उनके द्वारा हमारे देश में घुसकर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वालों को बिना हथियार के ही यह बता दिया कि वॉटर बंक के माध्यम से भी उसके लिए किसी हथियार की आवश्यकता नहीं है, अपने डिप्लोमेटिक पॉलिसी के माध्यम से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा करके दिखाया है । पूरे विश्व में उनके इस निर्णय क्षमता की प्रशंसा हो रही है । जितने भी आतंकवादी संगठन और जितने भी कुख्यात आतंकवादी रहे हैं, जो पाकिस्तान या बांग्लादेश या अन्य देशों से जिनकी निगाह में आतंकवाद समर्थक देशों के माध्यम से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया था, आज स्पष्ट रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सैन्य क्षमता का जो खौफ है, जो डर है, वह स्पष्ट दिखाई दे रहा है । आदरणीय चन्द्राकर जी ने बहुत सारे विषय पर अपनी बात रखी है । सदन में मैं फिर से एक बार ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं, हमारे तीनों सैन्य क्षमता चाहे वायु सेना हो, थल सेना हो या जल सेना हो, उनके जवानों का मैं अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं । आदरणीय सभापति जी, ऑपरेशन सिंदूर के इस महत्वपूर्ण गौरवशाली दिवस पर हमने सदन में इसकी अनुभूति की है और आदरणीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उस पर आपने मुझे इस चर्चा में हिस्सा लेने का समय प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूं ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा शासन की ओर से एक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हमारे बहादुर सेना के जवानों के शौर्य और हमारे प्रधान मंत्री के दूरगामी और मजबूत सोच, हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और तकनीकी मंत्री इन सबके मार्गदर्शन में ये उपलब्धि हमें मिली है, इसके लिए इन सभी को बधाई देते हुए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को भी मैं इस माध्यम से बधाई देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, देश के बहुत ही लोकप्रिय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान नाम का एक आतंकवादी देश पैदा हो गया। पड़ोस में नेपाल है, चीन सन् 1962 से हमारा दुश्मन है और जिस बांग्लादेश को हमने पैदा किया, वह बांग्लादेश भी आज हमारे देश के खिलाफ षड़यंत्र में चीन और पाकिस्तान के हाथों का खिलौना बना हुआ है। ऐसी विषम परिस्澎ँ◌◌ाति में जबकि हमारे चारों तरफ से इस प्रजातांत्रिक देश की शांति-व्यवस्था और तरक्की को रोकने का जो षड़यंत्र हो रहा है, उसमें पाकिस्तान सीधे युद्ध तो कभी लड़ नही सकता लेकिन वह प्रॉक्सीवार करके, आतंकवादी भेजकर देश के किसी भी अन्य महत्वपूर्ण ठिकाने पर बम गिराकर या हत्या करके हमारे देश को जो अटकाने का कार्य करता है, उससे निपटने के लिए डेमोक्रेटिक तरीके से, डिप्लोमेशी के तरीके से बहुत से काम इस देश की सभी सरकारों ने करने का प्रयास किया। हमारे देश में भी जब कई हमले हुए, तो एयर स्ट्राईक और सर्जिकल स्ट्राईक करके नरेन्द्र मोदी जी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का एक संदेश तो

दिया, लेकिन वह एक ऐसा देश है जहां पर चुनाव तो होते हैं, लेकिन चुनाव का परिणाम वहां की सेना तय करती है। वह एक ऐसा देश है, जिसके प्रधान मंत्री को निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं है। वह एक ऐसा देश है, जहॉ पर डेमोक्रेशी अपनी अंतिम सासें गिन रहा है और वहां मिलिट्री रूल और मिलिट्री के बंदूक के साये में ही उस देश के हर निर्णय किए जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम के हमले के पहले वहां के सेनाध्यक्ष ने एक बहुत बड़े जलशे में हिन्दु और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान जैसी बातों को लेकर नफरत का बीज बोया और उनके ही संरक्षण में वहां से आतंकवादी आकर 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम में धर्म पूँछकर, कलमा पढ़ने की बात कह करके लोगों को गोलियॉ मारे और हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया।

सभापति महोदय, किसी का कोई दोष नहीं था। वह तो हमारे देश के कश्मीर की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने, इस देश के कश्मीर की खूबसूरती को देखने गए थे। ये बात पाकिस्तान के लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि हमारे कश्मीर और पाकिस्तान के पीओके दोनों के जीवन शैली में जमीन और आसमान का अंतर है। जहॉ यहां हम अपने खर्च से चार गुना ज्यादा पैसा अपने कश्मीर के लोगों के ऊपर खर्च करते हैं, वहीं पीओके में बलूचिस्तान में एक-एक किलो आटे के लिए लोग लाईन लगाकर तड़प रहे हैं और मर रहे हैं। उनको बिजली नहीं मिलती है। उनके यहॉ सड़क नहीं है। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। बलोच लड़कियों को उठाकर पाकिस्तान के सैनिक रेप करते हैं और वह गायब भी कर दी जाती हैं। ऐसे पाकिस्तान के माहौल में सिवाय हमारे देश में आतंकवादी हमला कराने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है और उसी सिलसिले में 22 अप्रैल को 26 लोगों को मारा गया।

सभापति महोदय, नरेन्द्र मोदी जी उस दिन विदेश के दौरे पर थे। वह अपना दौरा रद्द करके रात को आकर एयरपोर्ट में ही मीटिंग लिए और एयरपोर्ट में मीटिंग लेने के बाद वह अपने सेनाध्यक्षों को बुलाए, रक्षा मंत्री को बुलाए, पूरे कैबिनेट को बुलाए और पूरा डिस्कशन किए, निर्णय किए कि हम कैसे लड़ें, क्या करें, क्या योजना बनाएं और ठीक 12 या 15 दिन बाद 07 मई को देर रात भारत के सैनिकों, हमारे हवाई सेना के जवानों ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और उनके 09 से ज्यादा आतंकवादियों के ठिकाने चाहे वह बहावलपुर हो, चाहे वह मुरीदके हो या अन्य कोई जगह हो, उनको नष्ट किया। उनके 100 से ज्यादा लोग मारे गए। एक खूँखार आतंकवादी के परिवार के 10 लोग वहॉ मारे गए। अब इस क्रिया के बाद एक प्रतिक्रिया पाकिस्तान से आती है। 8 और 9 मई की रात को आपने, हमने इस सदन में बैठे हुए, इस सदन के बाहर बैठे हुए सभी लोगों ने टी.व्ही. में देखा कि उन्होंने चीन और तुर्किये के बने हुए ड्रोन को सैकड़ों की तादाद में हमारे बॉर्डर के जितने एयरफोर्स के एयर बेस है, उनको मारने के लिए उड़ाये और तब हमारे देश के बहादुर सिपाहियों ने, बहादुर जवानों ने उस ड्रोन को भारत में निर्मित अपने हथियारों से नेस्तनाबूद कर दिया और भारत का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। यह अलग बात है कि राजनीति में लाभ उठाने वाले लोग कहते हैं कि आपने नहीं बताया कि आपका राफेल गिरा, आपने

नहीं बताया कि आपका कितना नुकसान हुआ। एन.एस.ए. अजीत डोभाल साहब ने यह कह दिया है कि इस देश का एक कांच का टुकड़ा भी पाकिस्तान के हमले में नहीं टूटा है। सभापति महोदय, इसके बाद इनको राजनीति बंद कर देनी चाहिए। इस हमले के पहले सिंधु जल नदी के पानी को रोकने का क्रांतिकारी निर्णय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने लिया और यह एक ऐसा निर्णय था जिसमें बहुत सरल तरीके से पानी को बंद नहीं किया जा सकता था क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत कोई बातें हुई थी लेकिन उन्होंने सिंधु नदी का पानी रोका और पाकिस्तान को उस गर्मी में पानी के कारण तबाही में लादने का काम भी हमारी सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। यह राजनीतिक निर्णय है। जिस देश में प्रजातंत्र मजबूत होगा, उस देश की सेना का नियंत्रण वहां के राजनीतिक नेता करते हैं, वहां प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई क्या नियंत्रण करेगा ? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जाकर मुनीर ने धमकाया और चमकाया और उनसे बदतमीजी से बात की। जो प्रधानमंत्री अपने सेनाध्यक्ष के दुर्व्यवहार से परेशान हो उस देश में कोई राजनीतिक निर्णय तो हो नहीं सकता। लेकिन हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हम राजनीतिक निर्णय लेते हैं और लेते रहेंगे और हमने अपनी सेना को पूरी खुली छूट दी। प्रधानमंत्री ने कहा युद्ध करने के लिए आपको पूरी खुली छूट है, जिसमें जगह आप तय करेंगे, समय आप तय करेंगे और तरीका भी आप तय करेंगे। यह निर्णय लेकर प्रधानमंत्री जी ने हमारी सेना का हौसला बढ़ाया और हमारी सेना ने उनको नेस्तनाबूद किया और जब 8, 9 मई को तुर्किये और चीन के ड्रोन का हमारे ऊपर हमला हुआ तो 10 तारीख की सुबह हमारे एयरफोर्स के जांबाज जवानों ने पाकिस्तान का राडार सिस्टम खत्म किया, न्यूक्लियर कमान सिस्टम खत्म किया, रहीम यार खान एयर बेस खत्म किया, सरगोधा एयरबेस खत्म किया, भोलारी एयरबेस खत्म किया, जैकोबाबाद एयरबेस खत्म किया और नूर खान एयरबेस सहित 11 एयरबेसों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। आज भी वहां से न कोई फ्लाईट टेक ऑफ हो रही है और न ही वहां पर कोई फ्लाईट लैंड हो रही है। (मेजों की थपथपाहट) यह है भारत देश की बहादुर सेना और यह है देश का बहादुर नेतृत्व।

सभापति महोदय, यह प्रश्न उठाते हैं कि तीन दिन में युद्ध क्यों खत्म हुआ ? आज कल कोई पुराने जमाने का युद्ध नहीं है कि यहां से टैंक रखकर हम मारेंगे और वहां से टैंक रखकर वह मारेंगे। दोनों तरफ तो टैंक खड़ी हुई थी। यह टैंक का युद्ध नहीं था। यह दिमाग और तकनीकी का युद्ध था। हमने तीन दिन में उनके इतने ठिकाने तबाह कर दिये कि उनका एक भी प्लेन टेक ऑफ करके लड़ाई के लिए नहीं आ सकता था और तीन दिनों का युद्ध पाकिस्तान को उसकी औकात बताने के लिए हुआ कि तुम अगर इस प्रकार का काम करोगे तो हम इसी तरीके से पीटेंगे। किसी को भी यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर की रक्षा के लिए लाँच किया गया है, वह बंद हो गया है, जबकि वह अभी ऑनगोइंग चल रहा है। जिस दिन पाकिस्तान हमला करेगा, उस दिन हमारी सरकार पाकिस्तान को तबाह करने का काम करेगी।

सभापति महोदय, वर्ष 2007 में रूस के साथ मिलकर ब्रम्होस मिसाईल को बनाने का काम शुरू हुआ लेकिन वर्ष 2014 में मोदी जी ने मेक इन इंडिया के माध्यम से ब्रम्होस को यहीं बनाने का काम किया और यह ब्रम्होस मिसाईल इतनी तगड़ी थी कि न तो इसको कोई एयर डिफेंस सिस्टम ट्रेस कर सका और न ही इसको कोई रोक सका और आज ब्रम्होस मिसाईल की डिमाण्ड पूरी दुनिया में है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी से बड़े-बड़े देश के लोग, इजराइल जैसे देश के लोग भी ब्रम्होस की डिमाण्ड कर रहे हैं। जब वर्ष 2014 में माननीय नरेन्द्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके पहले देश का रक्षा बजट क्या था? उस समय देश का रक्षा बजट केवल 2.53 लाख करोड़ रूपये था। अब भारत का रक्षा बजट केवल 2.53 लाख करोड़ रूपये में कवर होता था। वर्ष 2025 में देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी ने 608 लाख करोड़ रूपये का रक्षा बजट किया है। यह कोई छोटा-मोटा बजट नहीं है। हमारा जितने का रक्षा बजट है उतने में तो पूरे पाकिस्तान का बजट नहीं आता है क्योंकि वह भिखारी देश है वहां लोग आटा, चीनी, दाल, चावल और टमाटर के लिए लाईन लगाते हैं। हमारे देश में वह स्थति नहीं है। हम उनसे बहुत आगे हैं। अगर माननीय मोदी नज़रे टेढ़ी करके देख देंगे तो पाकिस्तान का कई सूबा, पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। वहां बलूचिस्तान के लोग मांग कर रहे हैं कि भारत आओ, हमारी मदद करो, हम इनसे अलग होना चाहते हैं। यह हमारा दोहन, शोषण सब कर रहे हैं। वहां का पी.ओ.के. यह चाहता है कि वह भारत में मिले। फिर पाकिस्तान में बच क्या जायेगा? पाकिस्तान में अमृतसर के पास जो लाहौर है, वह छोटा सा पाकिस्तान का पंजाब प्रांत बचेगा। बाकी पंजाब, पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े होगा। आज हम इसलिये भी कह रहे हैं क्योंकि यह आज भले न हुआ हो, लेकिन साल दो साल के अंदर माननीय मोदी जी पाकिस्तान का टुकड़ा करेंगे और नया बलूच, बलूचिस्तान देश बनाया जायेगा। पाकिस्तान के टुकड़ा कर देंगे और एक टुकड़े में जीने वाला पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद के सहारे जीयेगा। इजराइल का जो आयरन डोम है उसमें जो मिसाईल चलाने का खर्च, जो ईरान से हुआ, जो मिसाईल चलता है उस एक मिसाईल का 40 लाख रूपये लगता है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा ड्रोन गिराने का सिस्टम बनाया है, जिसमें हमारा 30 हजार रूपये खर्च आता है और उसमें हम पाकिस्तान के तुर्की और चीन के ड्रोन को तबाह कर देते हैं। रूद्रम, आकाश, यह सब भारत के मिसाईल हैं। तीन दिन का युद्ध क्यों? अक्लमंद आदमी इस प्रकार के युद्ध में ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाता। चूंकि उनको सबक सिखाना था, उन लोगों ने हमारे बेगुनाह लोगों को मारा। इसलिये उनको भी मारना और तबाह करना जरूरी था, लेकिन आज पूरी दुनिया में जो युद्ध हो रहे हैं वह अर्थव्यवस्था का युद्ध हो रहे हैं। पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था में कौन पहला आएगा, इसका युद्ध हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, क्याआप यह चाहते हैं कि हम पांचवी अर्थव्यवस्था से चौथी अर्थव्यवस्था में पहुंच गये हैं। हम चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी, दूसरी और पहली में जाने की सोच रहे हैं। इस प्रकार से 15 दिन युद्ध खिंचकर, हम अपनी अर्थव्यवस्था खराब कर दें। माननीय मोदी जी बहुत समझदार आदमी हैं। माननीय मोदी जी

ने पूरी दुनिया देखी है। मोदी जी पूरी दुनिया की प्रतिस्पर्धा में भारत की अर्थव्यवस्था को चौथे नंबर पर लेकर आए हैं। हम यह नहीं चाहते, पाकिस्तान है क्या ? उसके और लोग मार देते तो हमें क्या फर्क पड़ता ? वह मरा हुआ आदमी है ही, हम उसको कितना मारेंगे ? इसलिये हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया है और इसमें हमारी नौ सेना ने तो एक भी गोली नहीं चलायी। वह सिर्फ करांची को टारगेट करके, गुजरात के समुद्र में हमारा विक्रांत खड़ा था। वह पूरा टारगेटेड था अगर एक मिनट भी पाकिस्तान दु:साहस करता था तो एक बार के ब्लास्ट में पूरा करांची तबाह हो सकता था। उनका एक एयरबेस भी सुरक्षित नहीं था। उनका एटॉमिक रिसर्च सेन्टर भी सुरक्षित नहीं था और शायद वहां पर रेडियेशन लिक भी हो गया था और उसको हवाई जहाज से पाऊडर गिराकर, दबाने का प्रयास किया। भारत की सेना महान सेना है। हम उनसे संख्या में भी ज्यादा हैं। भारत की सेना बहादुरी के मामले में भी, हम उनसे ज्यादा बहादुर हैं। हम उनके समान नहीं हैं कि जब बंगलादेश बना तब 90 हजार सिपाही अपनी गोली बंदूक रखकर, त्राहिमाम् करके हाथ जोड़कर बैठ गये थे। हमारी सेना बहादुरी से लड़ती है हम बहादुरी से लड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से जो आतंकवादी गतिविधियां चलता है, उससे उसको बाज आना पड़ेगा। जिस दिन भी वह बाज नहीं आएगा उस दिन से अभी तक यह "ऑपरेशन सिंदूर" चल रहा है। इसके बाद और भी भीषण हमले होंगे, यह और भी ज्यादा विध्वंसक हथियारों से होंगे, पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन्हें और भी ज्यादा मारा जायेगा। माननीय सभापति महोदय, इसलिए यह सिंदूर का कार्यक्रम अपनी बहनों के सिंदूर को जिन लोगों ने मिटाया है, उनको सबक सिखाने के लिए है। हम अपनी बहनों के सिंदूर की उस समय रक्षा तो नहीं कर पाये थे लेकिन उनकी इस पीड़ा में शामिल होने के लिये इस ऑपरेशन को चलाया गया है। यह ऑपरेशन भारत के शौर्य पराक्रम, आत्मनिर्भर होने का प्रतीक है। यह ऑपरेशन भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री को जो जनादेश मिला है, देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत उनके साथ है, निर्णय करने की क्षमता उनके पास है। इसलिए यह ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। इस ऑपरेशन सिंदूर के लिये मैं प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, विदेश मंत्री जी को, डी.आर.डी.ओ. के वैज्ञानिकों को और अपने बहादूर जवान थल सेना, नभ सेना और वायु सेना के वीरों को शत-शत नमन करता हूं और उनकी बहादुरी पर हमें नाज है। इस बात को हम कहना चाहते हैं और यह प्रस्ताव उसी के लिये आया है। हमारी भावनाओं को आप इस प्रस्ताव में जरूर भेजेंगे ताकि हमारे देश की एकता, अखंडता और समृद्धता की रखा कर सकें। हम अपने प्रधानमंत्री के इस बहादुरी के कार्य की प्रशंसा करते हुए अपने जवानों पर नाज करते हैं। उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके कारण हमारा देश हिफाजत में है, हम सुरक्षित हैं, हमारा देश तरक्की कर रहा है, हम चयन की नींद सोते हैं इसलिए हमें अपने बहादुर जवानों पर बहुत गर्व है। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अमर अग्रवाल (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ विधान सभा में छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ नागरिकों की भावनाओं के अनुरूप सरकार ने "ऑपरेशन सिंदूर" के लिये सेना और देश के प्रधानमंत्री के धन्यवाद के लिये जो प्रस्ताव लाया है, यह वास्तव में छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता की अभिव्यक्ति इस सदन के माध्यम से इस देश की सेना और इस देश के प्रधानमंत्री के पास निश्चित तौर पर हम सबकी भावनायें जायेंगी। सभापति महोदय, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद केवल पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में एक संदेश गया कि भारत के इतिहास में कभी किसी देश पर आज तक भारत ने हमला नहीं किया लेकिन यह सीधा संदेश दिया कि अगर हमारे देश के खिलाफ कोई करेगा या हमको छेड़ेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। यह केवल पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में संदेश गया। (मेंजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, वास्तव में किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि वह देश सुरक्षित रहे। आज दुनिया में कोई भी देश भारत के लिये जो सम्मान के भाव से देखता है और यह स्वीकार करता है कि भारत एक शक्तिशाली देश है। उसका सबसे बड़ा कारण भी है, मैं थोड़ा सा पीछे चलूंगा। हम सबको मालूम है कि इस देश में जब अटल बिहारी बाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय कई दलों की सरकार थी। उससे पहले के तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनको बधाई भी देने गये थे और साथ में उन्होंने आग्रह किया था कि कि इस देश की सुरक्षा के लिये सबसे बड़ा अगर कोई काम आपको करना है तो वह परमाणु विस्फोट का करना है और मैंने भी प्रयत्न किया, उन्होंने स्वीकार किया लेकिन मैं अनन्य दबाव के कारण या किन्हीं कारणों से वह परीक्षण नहीं कर पाया लेकिन यह देश के लिये बहुत जरूरी है, उन्होंने अटल बिहारी बाजपेयी जी से आग्रह किया ।

समय :
3.00 बजे

माननीय सभापति महोदय, अब आप देखिये कि अपेक्षा भी उसी से की जाती है जो सक्षम नेतृत्व होता है, जो मजबूत होता है, अपेक्षा भी उससे की जाती है और यही अपेक्षा उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने अटलबिहारी बाजपेयी जी से की । माननीय सभापति महोदय, अब उस समय 13 दिन सरकार चली, दलों में सहमति नहीं बन पायी । देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने उसी समय आदेश दे दिया था लेकिन जब सरकार चली गयी, उसको वापस ले लिया लेकिन बाद में दोबारा जब वह प्रधानमंत्री बने और फिर उन्होंने उस परमाणु विस्फोट की देश के महानतम वैज्ञानिकों को अनुमति देकर इस देश में परमाणु विस्फोट हुआ और यह सब जानते हुए भी कि पूरी दुनिया हमारे ऊपर प्रतिबंध लगायेगी और हुआ भी वही । उस परमाणु विस्फोट के बाद पूरी दुनिया ने हमारे देश के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाये लेकिन यह देश की जनता के साहस के कारण, इस देश की जनता के समर्थन के कारण, इस देश के सारे लोगों के तमाम पुरूषार्थ के दम पर उस समय भी हम निकल गये जब पूरी

दुनिया ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया और उसके बाद भी हम विकास करते हुए आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गये । यह हिम्मत होती है, यह साहस होता है, यह देश के प्रति जवाबदेही होती है और उस समय माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी ने इसका बखूबी निर्वहन किया । हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी इनके बारे में न केवल भारतवर्ष में दुनिया में एक कहावत है । इनके बारे में कहा जाता है कि जब व्यक्ति की सारी सोच समाप्त हो जाती है तो वहीं से मोदी जी की सोच प्रारंभ होती है, यह उनके बारे में कहावत है ।

माननीय सभापति महोदय, यह जो ऑपरेशन सिंदूर है । जहां एक तरफ हमने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि हम अपनी रक्षा करने में सक्षम हैं और हम किसी भी प्रकार का आतंकवाद चाहे किसी के द्वारा हो बर्दाश्त नहीं करेंगे । वहीं दूसरी तरफ हमने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया और उसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया । हमारे देश की संस्कृति रही है । हम वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से काम करते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना से काम करते हैं । उन सारी भावनाओं और संस्कृति का सम्मान करते हुए पूरी दुनिया ने देखा है कि हमने केवल वहीं पर एयर स्ट्राईक की जहां पर आतंकवादियों का ठिकाना था । पाकिस्तान के एक भी सिविलियंस पर भारत ने हमला नहीं किया, कहीं मिसाईल नहीं दागी । यह पूरी दुनिया ने देखा है और यह माना है कि भारत जहां अपनी रक्षा कर सकता है, भारत वहां अपनी संस्कृति पर अडिग रहकर भी सारी चुनौतियों का सामना कर सकता है, यह पूरी दुनिया को संदेश दिया और उसके बदले में क्या हुआ ? जब हमने उनके सारे आतंकवादियों के जो अड्डे थे, उसको यहीं से भारत से बैठे हुए हमने टेक्नालॉजी का उपयोग करके उसको तबाह किया तो पाकिस्तान ने क्या किया ? पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस के ऊपर ड्रोन दागने का काम किया और मिसाईल दागने का काम किया । माननीय सभापति महोदय, हम सब उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं । हमारे पाकिस्तान से लगे हुए जो प्रांत हैं, किस प्रकार से वहां पर ड्रोन गिराने का और मिसाइल दागने का काम, सिविलियंस पर हमला करने का काम किया। हमने नहीं किया। जब हमारे सिविलियंस के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद भी आप प्रधानमंत्री जी का संयम देखिए, हमारी सेना का संयम देखिए, हमारे देशवासियों का संयम देखिए, उसके बाद भी हमने सिविलियंस पर हमला नहीं किया। उनके मिलिट्री के जो एयरबेस थे, उस पर हमला करके हमने फिर मैसेज दिया कि हमको मजबूर मत करो नहीं तो पाकिस्तान को मिटाना, क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। माननीय सभापति महोदय, जब कारगिल युद्ध हुआ तो उस कारगिल युद्ध में नवाज शरीफ पहुंच गए थे। बिल क्लिंटन जी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। बिल क्लिंटन जी ने श्री अटल बिहारी जी को फोन किया कि नवाज शरीफ आए हैं और आप भी आ जाएं, चर्चा होगी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मना किया। वे बोले "जब तक मेरे देश की एक इंच भी भूमि किसी की है, मैं कोई वार्ता नहीं करूंगा"। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने नवाज शरीफ का नाम लेते हुए यह कहा कि इनका कहना है कि ये परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं तो आप एक बार आ जाते

तो अच्छा रहता। अटल जी का जवाब था कि अगर उनके पास परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, मेरे यहां एक शहर जा सकता है, दो शहर जा सकता है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि भारत पर हमला हुआ तो वह पाकिस्तान का पूरा नक्शा दूसरे दिन का सूरज नहीं देखेगा। यह दृढ़ता अगर किसी में है तो हमारे देश में है और वह क्षमता हममें आज भी है। हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद वह काम भी कर सकते थे, जब उन्होंने हमारे सिविलियंस पर हमला किया। लेकिन भारत ने अपनी संस्कृति अक्षुण्ण रखने के लिए पूरी दुनिया में संदेश दिया कि हम केवल मुद्दे का विरोध करते हैं और विश्व बंधुत्व की भावना से जो हमारी संस्कृति है, उसकी हम रक्षा भी करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में जो कहा जाता है कि जब सोच खत्म हो जाती है, वहीं से उनकी सोच प्रारंभ होती है, इसका उदाहरण भी हमको ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला। माननीय सभापति महोदय, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि उस एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उन्होंने हमारे सिविलियंस पर मालूम नहीं कितने ड्रोन हमारे ऊपर दागे। बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश का हो सकता था। मिसाइलें दागीं, बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश का हो सकता था। लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सारे ड्रोन को मार गिराने का हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है सुपर 400 है, हमने उनके सारे ड्रोन को गिराया। उनकी सारी मिसाइलों को गिराया और भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, यह देश के सामने विचारणीय प्रश्न है। दुनिया इस बात को मानती है। तो क्या यह पहले की तैयारी के बिना संभव हो सकता है? पहले से अगर हम सतर्क नहीं रहते, पहले से हमारी तैयारी नहीं करते, तो क्या यह संभव था कि हम इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हमारे कुछ नागरिकों को बचा पाते, क्या यह संभव था? माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पहले ही यह संकल्प लिया कि देश की सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य है और इस देश की सुरक्षा में जो-जो कमियां रहीं, बहुत सी चीजें हैं, मैं उन बातों का उल्लेख नहीं करूंगा। जहां पर हमारे बॉर्डर हैं, वहां तक हथियार जाना हो, सैनिक जाना हो, रोड तक नहीं थी। उन सारी बातों को चिन्हांकित करके कल अगर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, वह क्या-क्या कर सकता है और हमको और हमारे देश को कैसे सुरक्षित करना है, उन सारी बातों का विचार करके वर्ष 2014 से जो उन्होंने इस 11 साल के अंदर काम किया, उसका परिणाम है कि भारतीय सेना के शौर्य और मोदी जी की सोच के कारण आज इस पूरे देश के एक-एक नागरिक को हम सुरक्षित करने में सफल रहे और न केवल सुरक्षित करने में सफल रहे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दुनिया में हमने संदेश दिया और इस प्रकार के स्ट्राइक का दुनिया में बहुत कम उदाहरण हैं, हालांकि टेक्नालॉजी नई है, बहुत कम उदाहरण हैं लेकिन भारत ने उसका उपयोग करके पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि भारत अपनी रक्षा करने में सक्षम है । किसी भी विपरीत परिस्थिति में हम अपने देश को मजबूत बनाने में सक्षम हैं और इस बात के लिए आज जो प्रस्ताव आया है । उसमें हमारे भारत की तीनों सेनाओं, वायु सेना, थल सेना और जल सेना, इनका बहुत

बहुत अभिनंदन है । इस सदन के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत-बहुत अभिनंदन है । आज पूरे देशवासियों को यह विश्वास हुआ है कि एक सुरक्षित व्यक्ति के हाथ में यह देश सुरक्षित है । इस विश्वास को अर्जित करने का काम मोदी जी ने किया है । इसके लिए हम सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपने समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद् ।

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय सभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप जी के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और साथ ही हमारी तीनों सेनाओं और डीआरडीओ के हमारे वैज्ञानिकों ने जो कार्य किया और हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है । जिस प्रकार से मोदी जी के द्वारा सेनाओं को खुली छूट दी, जिसके कारण हमारी सेना सफल रही । उनको धन्यवाद् देने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है । मैं मंत्री जी को धन्यवाद् देता हूं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रस्ताव लाया है । जिससे हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद् ज्ञापन करें । हमारे वक्ताओं ने इस विषय पर विस्तार से बात कही है । हमने देखा है भारत के प्रति, पाकिस्तान का रूख कभी भी ठीक नहीं रहा है । किसी न किसी माध्यम से भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सके, वह इस दिशा में काम करता रहा है । भारत ने लगातार उसका जवाब भी दिया है । आप देखिए, इसके पहले की दो घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा । इसके पहले उरी की घटना हुई, उस हमले के बाद हमारे प्रधानमंत्री के निर्देश में 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उनको जवाब देने का काम किया गया । इसके बाद पुलवामा की घटना हुई, उस पुलवामा की घटना को लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक के माध्यम से उनको जवाब देने का कार्य किया गया । जिस प्रकार से अभी कायरतापूर्वक पहलगाम की घटना को उनके आतंकवादियों के द्वारा अंजाम दिया गया । 22 अप्रैल की घटना को हम सबने समाचार के माध्यम से देखा और सुना है । घटना होने के बाद लगभग हर हिंदुस्तानी यह चाहता था कि उसी भाषा में पाकिस्तान को जवाब मिलना चाहिए । माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक संदेश आया कि 7 तारीख को मामला आया कि ब्लैक आउट के माध्यम से लोगों को सतर्क कैसे रखा जाना है । किन शहरों में ब्लैक आउट किया जाएगा । लेकिन मैं ब्लैक आउट की बात नहीं करता । हमारी सेनाओं के द्वारा 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात को पराक्रम दिखाया गया । आतंकवादियों के ठिकानों को, जहां यह साजिश रची गई, ऐसे केन्द्रों को ध्वस्त करने का काम इस भारतीय सेना के द्वारा किया गया । उसके बाद उनके 11 एयरबेस हैं, उस एयरबेस को भी ध्वसत करने का काम भारतीय सेनाओं के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने और इस देश के रक्षा मंत्री ने सेनाओं को खुली छूट दी, जहां पर, जिस स्थान पर जैसा आप चाहते हैं, उसके अनुसार से बदला लेना है। पहले आदेश की प्रतीक्षा करते थे और इस आदेश की प्रतीक्षा करते-करते समय निकल जाता था। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व को संदेश देने का काम किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिये भारत ने पूरे विश्व में संदेश दिया कि सिंदूर मिटाने वालों का नामोनिशान

मिटा दिया जाएगा। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था बल्कि भारत की आत्मा पर हुए कायरतापूर्ण हमले का मुहतोड़ जवाब है, हमारे देश के सेनाओं ने इस काम को करके दिखाया है। (मेजों की थपथपाहट) माननीय सभापति महोदय, 26 भारतीय नागरिक और 1 नेपाल के नागरिक की हत्या की गई, मौत के घाट उतारे गए। उनके परिवार के लोग वहां पर बैठे हुए हैं, वे लोग परिवार के साथ हैं, उनके कपड़े उतरवाए गए, उनको कलमा पढ़वाया गया, कपड़ा उतरवाकर उनका खतना देखने का काम किया गया, इस प्रकार से देख-देखकर जो हिंदू है, उनको धर्म पूछकर मारा गया, उनके परिवार के सामने एक बेकसूर की बर्बरतापूर्वक हत्या की गई। निश्चित रूप से इसके पीछे साजिश रची गई थी। भारत के सब लोग चाहते थे, इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। भारत ने उस दर्द को सहा है, उस दर्द को देखा है। माननीय सभापति महोदय, इस जवाब के साथ ही बड़े निर्णय लिए गए, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को निलंबित करने का काम किया गया, इसके साथ ही सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का काम किया गया। पाकिस्तान के जो आतंकवादी लोग हैं, वे किस प्रकार से नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उनके द्वारा किस प्रकार से कार्य किया गया है। पूरे विश्व के लोगों को इस घटना के बारे में बताने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की वैश्विक पहुंच के लिए सात प्रतिनिधिमंडल बनाई गई, ये जो सात प्रतिनिधिमंडल बनाई गई, उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे, बल्कि उस प्रतिनिधिमंडल में अन्य दल के सांसद भी शामिल थे, उसके नेतृत्व करने के लिए शामिल थे। उस प्रतिनिधिमंडल के द्वारा लगभग 32 देशों का दौरा किया गया। इस प्रतिनिधिमंडल में शशि थरूर, जो कांग्रेस के हैं, रविशंकर प्रसाद, बी.जे.पी. से हैं, श्रीकांत शिंदे जी, महाराष्ट्र शिवसेना से हैं, बैजयंत पांडा जी, भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुप्रिया सुले जी, करूणानिधि पार्टी से और संजय झा जी थे। इस प्रकार से 7 प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व में विभिन्न देशों का दौरा किया गया। इस घटना के संदर्भ में, इस कार्रवाई के संदर्भ में उनको बताने का काम किया। इस प्रतिनिधिमंडल में टोटल 29 सांसद सदस्य शामिल हुए। माननीय सभापति महोदय, 31 राजनीतिक नेता और अन्य दलों के 20 राजनीतिक नेता शामिल हुए। इसके साथ ही पूरे राजनयिकों को भी इसमें शामिल करने का काम किया गया। समूह-1 में यात्रा करने वाले देश सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया शामिल थे। इसका नेतृत्व हमारे भाजपा के सांसद बैजयंत पांडा जी कर रहे थे। उन्होंने इन गतिविधियों को वहां पर रखने का काम किया। समूह-2 में UK, फ्रांस, जर्मनी, ईटली, डेनमार्क और यूरोपीय संघ शामिल थे। इसका नेतृत्व रविशंकर प्रसाद जी कर रहे थे। समूह-3 में इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर शामिल थे। इसका नेतृत्व जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद संजय कुमार झा जी कर रहे थे। उनके द्वारा इन देशों में जाकर इस घटनाक्रम के संदर्भ में चर्चा करने का काम किया गया। समूह-4 में संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो और सियेरा लिओन शामिल थे। इसका नेतृत्व शिव सेना के सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी कर रहे थे। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात और अफ्रीका के प्रमुख सहयोगी देशों में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल

का नेतृत्व किया। समूह-5 में संयुक्त राज्य अमेरिका, पनामा, गुयाना, ब्राजील और कोलम्बिया शामिल थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। समूह-6 में स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस शामिल थे। रूस और स्पेन गये भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व तमिलनाडू के DMK सांसद कनिमोझी जी के द्वारा किया गया। समूह-7 में मिस्र, कतर, इथोपिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। NCP सांसद सुप्रिया सुले जी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल वहां गया। इस प्रकार से 7 समूहों के माध्यम से यह कार्य किया गया। मोदी जी यदि चाहते तो इस घटना के संदर्भ में केवल अपने सांसदों को वहां भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने सबको साथ में लेकर और उस प्रतिनिधि मण्डल में दूसरे दल के सांसद को प्रमुख बनाकर उसके नेतृत्व को स्वीकार किया। जिससे वह प्रतिनिधि मंडल विदेशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर और उस पूरी घटना के संदर्भ में इस बात को वहां पर दृढ़तापूर्वक रख सका। पूरे देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा एक मंच में आकर जिस प्रकार से 32 देशों में जाकर 7 समूहों के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी बात रखने का काम किया गया। यदि मैं यह कहूं कि नेतृत्वकर्ता कैसा होना चाहिए तो नेतृत्वकर्ता के संबंध में मैं यह कह सकता हूं कि वह अलग-अलग विचारधारा को मानने वाले व अलग-अलग पार्टी में रहने वाले हो। ऐसे संकट के समय में नेतृत्वकर्ता नरेन्द्र मोदी जी ने इस देश के समूचे राजनीतिक दल को साधने का काम किया। समूचे दल के द्वारा विदेशों में जाकर इस घटना के संदर्भ में और पाकिस्तान की करतूतों को बताने का काम किया गया है। ऐसे नेतृत्वकर्ता नरेन्द्र मोदी जी का मैं अभिनंदन व स्वागत करना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय सभापति महोदय, प्रचण्ड, तेजस, S-400 जैसे मिसाइलों की बात आई है। जिस प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा मिसाइलें तैयार की गई हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी यह देश उन देशों की सूची में शामिल था कि हम आयात करते थे और आयात करके बहुत सारे काम करते थे। लेकिन वर्ष 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके दिशा-निर्देशन में जिस प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा हमारी मिसाइलों से लेकर, हैलीकॉप्टर से लेकर विभिन्न तकनीकी उपकरण बनाने का काम किया गया है। आज हमें इस बात का गर्व है कि कभी हम आयातक देश थे और आज हम निर्यातक देश बने हैं और सेना में 34 गुना वृद्धि कर 23,622 करोड़ रूपये के सेना के सामान हम विदेशों को निर्यात करने में सफल हुए हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। (मेजों की थपथपाहट) आज मोदी जी के नेतृत्व में हम न केवल अपने देश को, बल्कि विदेशों में भी सामान की सप्लाई कर रहे हैं। सामरिक दृष्टिकोण से हमारा महत्व बढ़ा है। चाहे हम वायुसेना की बात करें, चाहे हम थल सेना की बात करें, चाहे हम जल सेना में विक्रांत की बात करें, तीनों सेनाओं में हमने वृद्धि करने का काम किया है। इससे इस देश का गौरव विश्व के सामने बढ़ा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारी सरकार चल रही है, निश्चित रूप से यह देश भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है कि आने वाला समय भारत का है।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उन्होंने जिस प्रकार से जवाब देने का काम किया है, यह देश के लिए गौरव का विषय है। हम इस बात को कह सकते हैं कि आज हमारे माननीय मंत्री केदार कश्यप जी के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं यह कह सकता हूं कि आने वाले समय में भारत और सशक्त होकर उभरने वाला है और निश्चित रूप से दुनिया का मार्गदर्शन भारत करेगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री लखन लाल जी बाहर थे, स्पेशल आपका भाषण सुनने के लिए आए हैं। अपना भाषण खत्म करने के पहले उनको धन्यवाद दे दीजिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। इस विधान सभा के माध्यम से उनको धन्यवाद देते हैं। हमारे सेना के तीनों अंग वायु सेना, थल सेना, जल सेना, हमारे वैज्ञानिक, डी.आर.डी.ओ. के हमारे वैज्ञानिकों, इन सभी धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी। (मेजों की थपथपाहट)

मुख्यमंत्री (श्री विष्णु देव साय) :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को "आपरेशन सिन्दूर" की सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) "आपरेशन सिन्दूर" ने एक बार यह सिद्ध कर दिया कि भारत अब अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सीमा में जाकर त्वरित, निर्णायक और प्रभावी कार्रवाई करने वाला राष्ट्र बन चुका है। यह केवल एक rescue mission नहीं था, यह भारत की ताकत, संकल्प और वैश्विक नेतृत्व क्षमता का जीवंत प्रमाण है। सभापति महोदय, ऐसा अभियान केवल सैन्य और कूटनीतिक सफलता नहीं होते, यह संपूर्ण राष्ट्र की भावना को दर्शाते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का यह दृष्टिकोण है कि हर भारतीय का जीवन बहुमूल्य है। वह चाहे देश में हो या विदेश में हो। इस आपरेशन में हमारे सुरक्षा बलों, विदेश मंत्रालय और विशेष रूप से एयर फोर्स और दूतावास कर्मियों ने जिस साहस और कुशलता का प्रदर्शन किया, वह प्रशंसनीय है। परन्तु इस समन्वय और निर्णय क्षमता के केन्द्र में एक नाम है और वह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी। प्रधानमंत्री जी की सक्रिय भागीदारी, व्यक्तिगत निगरानी और स्पष्ट निर्देशों के कारण ही यह मिशन समय पर सुरक्षित और सफलतापूर्वक सम्पन्न हो पाया।

माननीय सभापति महोदय, आज हम वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं। तो ऐसा मिशन हमें यह विश्वास दिलाता है कि भारत केवल अपने नागरिकों की ही नहीं, बल्कि मानवता की रक्षा के लिए भी कर्तव्यनिष्ठ है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की साख अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर नई ऊंचाईयों की छू रही है। चाहे आपरेशन गंगा की बात हो, चाहे

आपरेशन कावेरी की बात हो, चाहे आपरेशन देवी शक्ति रहा हो या अब आपरेशन सिन्दुर हो, भारत ने बार-बार यह दिखाया है कि वह वैश्विक संकटों में मूकदर्शक नहीं बल्कि सक्रिय संकट निवारक राष्ट्र है।

मानीय सभापति महोदय, भारतीय सेना द्वारा चलाया गया "आपरेशन सिन्दूर" 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए वीभत्स आतंकी हमलें के शिकार लोगों और उनके परिवारजनों को न्याय देने के लिए किया गया था। यह आतंकवाद की भेंट चढ़े निर्दोष लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारी माताओं और बहनों का सिन्दूर उजाड़ने वाले, भारत की ओर आंख उठाकर देखने से पहले अब 10 बार सोचेंगे। देश के 140 करोड़ नागरिकों को भारतीय सेना के पराक्रम और वीरता पर नाज है। पहलगाम की वीभत्स घटना के बाद हमारे देश के सपूत स्वर्गीय दिनेश मिनारिया का शव भी आया। मैंने उनके परिवार की पीड़ा देखी। हमारी बहन ने अपनी आंखों के सामने अपना सुहाग उजड़ते देखा। यह पीड़ा कितनी बड़ी है, यह पूरा सदन समझता है। आतंकियों ने उन्हें केवल इसलिए मार दिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि भारत का अभिन्न अंग जम्मू-कश्मीर में देश के विभिन्न प्रांतों के लोगों की आवाजाही हो सके। उन्हें धर्म देखकर मारा गया। देश भर से माताओं-बहनों के बिलखने की तस्वीरें आईं और उनके साथ पूरा देश रोया। यह ऐसी वीभत्स घटना है, जिसमें पूरी मानवता तार-तार हुई। आतंकवादियों ने जहां निर्दोष लोगों का खून बहाया, वहीं भारतीय सेना ने इस जवाबी कार्यवाही में इस बात का विशेष ध्यान रखा कि पाकिस्तान के आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे। हमारे नेतृत्व ने आतंकवाद और उनके समर्थकों को बता दिया कि आज का भारत पहले किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन छेड़ने वालों को छोड़ता भी नहीं है। (मेजों की थपथपाहट) "ऑपरेशन सिंदूर" के माध्यम से देश के नेतृत्व ने बता दिया कि हम हिसाब चुकता जरूर करते हैं। जिन आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, वे संसद के हमले, मुंबई हमले, अक्षरधाम हमला तथा पुलवामा जैसी आतंकी घटनाओं में शामिल थे। आतंकवाद को शह देने वाले देशों को भारत ने दुनिया में बेनकाब किया है।

समय :
3:32 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. रमन सिंह) पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत ने हमेशा शांति को प्राथमिकता दी है, लेकिन इसकी सम्प्रभुता पर किसी भी तरह के हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। आतंकवादियों की भाषा बोलने वाले देश आज विश्व में अलग-थलग बंट चुके हैं। इसके पीछे भारतीय नेतृत्व की दृढ़ इच्छाशक्ति है। पाकिस्तान समर्थिक आतंकवाद को उजागर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस तरह सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल अलग-अलग देशों में भेजा, वह भारतीय लोकतंत्र की सुंदरता के साथ "एक भारत श्रेष्ठ भारत" का भी सुंदर उदाहरण है। मुझे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द मोदी जी की अगुवाई वाली केबिनेट में काम करने का अवसर मिला है। उनका व्यक्तित्व व कार्यशैली, संकल्प, समन्वय और

संवेदनशीलता का अद्भुत संगम है। एक दशक तक रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो अथक कार्य किया, उसका पूरा लाभ हमें "ऑपरेशन सिंदूर" में नजर आया। "ऑपरेशन सिंदूर" 140 करोड़ देशवासियों की एकजुटता और अखण्डता के प्रतीक के रूप में भी याद किया जाएगा। सीमा पार आतंकवाद जितना खतरनाक है, उससे भी अधिक खतरनाक पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले दल और उनके नेता हैं, इन्हें भी बेनकाब करना होगा। "सर्जिकल स्ट्राइक" हो या "ऑपरेशन सिंदूर", भारतीय सेना के साहस और उसकी वीरता पर सवाल उठाने वाले दलों तथा नेताओं को देश भली-भांति जान चुका है। "ऑपरेशन सिंदूर" का नाम नारी के सम्मान और शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के कार्यवाही के साथ-साथ मातृशक्ति को समर्पित है। छत्तीसगढ़ की जनता इस ऑपरेशन की सफलता पर गर्व महसूस करती है। अंत में मैं इस सदन के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को "ऑपरेशन सिंदूर" के सफल संचालन हेतु कोटी-कोटी धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) उनका यह नेतृत्व हम सभी के लिए प्रेरणा है। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव कि "दिनांक 07 मई, 2025 को "ऑपरेशन सिंदूर" द्वारा आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना द्वारा हमले से ध्वस्त किये जाने के उठाये गये ऐतिहासिक कदम पर "भारतीय सेना" के अदम्य साहस एवं वीरता तथा देश के "यशस्वी प्रधानमंत्री" की रणनीतिक दक्षता के प्रदर्शन के लिए यह सदन हार्दिक अभिनंदर करता है।" माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाये। जय हिन्द। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि "दिनांक 07 मई, 2025 को "ऑपरेशन सिंदूर" द्वारा आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना द्वारा हमले से ध्वस्त किये जाने के उठाये गये ऐतिहासिक कदम पर "भारतीय सेना" के अदम्य साहस एवं वीरता तथा देश के "यशस्वी प्रधानमंत्री" की रणनीतिक दक्षता के प्रदर्शन के लिए यह सदन हार्दिक अभिनंदर करता है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 16 जुलाई, 2025 को 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(3 बजकर 35 मिनट पर विधान सभा बुधवार, दिनांक 16 जुलाई, 2025 (आषाढ़ 25, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 15 जुलाई, 2025